लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Print
18-8-92
Fumigated
On 15.2.84
Parliament Library

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूचि/CONTENTS

अंक 16, मंगलवार, 5 दिसम्बर, 1972/14 अग्रहायण, 1894 (शक)

No. 16, Tuesday, December 5, 1972/Agrahayana 14, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्रश्न संख्या **S. Q. Nos.**		
301. कलकत्ता बिजली बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सहायता से गैस टर्बाइन का लागाया जाना	Installation of Gas Turbine by Calcutta Electricity Board with Central Assistance.	1–3
302. दिल्ली में रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण	Constructions of Quarters for Railway Employees in Delhi	3–5
304. बिना टिकट यात्रा और इसकी रोकथाम के लिए उपाय	Ticketless Travelling and steps taken to check it.	5–7
307. केरल में इद्दिकी जल परियोजना का निर्माण	Construction of Iddiki Hydel Project in Kerala	8–9
308. पर्वतीय स्थलों के लिये बिना किसी प्रतिबन्ध के रियायती टिकटें जारी करना	Issue of Hill Station concession tickets without restriction	9–10
309. रेलवे की आवास समिति में संकेत तथा दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के प्रतिनिधि	Representative of staff of Signal and Telecommunication Department on the Housing Committee of Railways. ..	10
310. सिंदरी उर्वरक कारखाने का आधुनिकीकरण	Modernisation of Sindri Fertilizer Factory	11–12
311. मोगा में छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के परिणाम स्वरूप पंजाब में रेलवे स्टेशनों को क्षति पहुंचाना	Loss caused to Railway Stations in Punjab as a sequal to Police firing on Student in Moga	12–14
313. हल्दिया में सोडा ऐश के उत्पादन के लिए कंटाई लवण का कच्चे माल के रूप में उपयोग	Use of Contai Salt as Raw Material for producing Soda Ash at Haldia	14

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

2/Lok Sabha/73—1

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्रश्न संख्या S. Q. Nos.			
303.	मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं	River Valley Project Schemes from Madhya Pradesh	15
305.	दक्षिण पूर्व रेलवे में सबसे लम्बी गाड़ी चलाना	Introduction of longest train on South-Eastern Railway	15
306.	बम्बई और दिल्ली के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डीलर्स एसोसियेशन की मांगें	Demands of Petroleum Products Dealers Association of Bombay and Delhi	16
312.	कानून में त्रुटियों के कारण केन्द्र राज्य विवाद	Centre-State Rift due to Flaws in Statute	16
314.	न्यायाधीशों के लिए ओरियन्टेशन कोर्स (अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम) तथा विधाकों के लिये प्रशिक्षण	Orientation Courses for Judges and Training for Legislators	16
315.	राजस्थान नहर के लिये विश्व बैंक की सहायता	World Bank aid for Rajasthan Canal ..	17
316.	कांडला तेल शोधक कारखाने में रुस्तम क्रूड तेल का उपयोग	Utilisation of Rustom Crude at Kandla Refinery	17
317.	भूमि की प्रस्तावित अधिकतम सीमा की दृष्टि में उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन	Amendments in Succession Act in view of proposed ceiling on land ..	17–18
318.	उड़ीसा में बांसपानी-जखापुर रेलवे लाइन	Banspani-Jakhapura Rail link in Orissa ..	18
319.	रेलवे इंजीनियरों तथा तकनीशनों के लिये अनुरोध करने वाले देश	Names of Foreign Countries requesting for Railway Engineers and Technicians	18
320.	ईराक द्वारा कच्चे तेल तथा गंधक का बढ़ी हुई मात्रा में सप्लाई किया जाना	Supply of increased quantities of Crude Oil and Sulphur by Iraq ..	18
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
2992.	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में भर्ती	Recuitment in North-East Frontier Railways	19
2993.	कलपक्कम अणुशक्ति केन्द्र से पड़ोसी राज्यों को बिजली का वितरण	Distribution of Power among Neighbouring States from Kalpakkam Atomic Station ..	19
2994.	उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कम्पनी को बिजली की सप्ला	Supply of Power to Hindustan Aluminium Company by U.P. Electricity Board	19
2995.	केदार बाग, रोहतक रोड, दिल्ली-35 में बिजली लगाने की योजना	Scheme to electrify Kedar Bagh, Rohtak Road, Delhi-35	20

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
2996.	माल शैडों में स्थान किराये पर लेन की सुविधाएं	Facilities for hiring Space in Goods Sheds	20
2997.	राजस्थान के लिए बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं	Major and Medium Irrigation Schemes for Rajasthan	20–21
2998.	राजस्थान में सिंचाई	Irrigation in Rajasthan ..	21
2999.	डिवीजन कार्यालयों की कार्मिक शाखा (पर्सोनल ब्रांच) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Staff of Personnel Branch to Divisional Offices ..	21
3000.	बम्बई गैस में वैध लूट	Legalised Robbery in Bombay Gas ..	21
3001.	केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Rural Electricity in Kerala ..	21–22
3002.	दक्षिण-पूर्व रेलवे का विद्युतीकरण	Electrification of South Eastern Railway	22
3003.	डीजल, बिजली और भाप से चलने वाले इंजनों का उत्पादन	Production of Diesel, Electric and Steam Locomotives	22–23
3004.	राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बों की निर्माण लागत	Cost of manufacture of Coaches of Rajdhani Express	23
3005.	जम्मू और कश्मीर के लद्दाख जिले में विद्युत परियोजनाएं	Power Projects in Ladakh District of Jummu and Kashmir ..	23
3006.	सोन नदी पर बांधों का निर्माण	Construction of Dams over Sone River	23
3007.	रेलवे टाइम टेबुल के हिन्दी संस्करण में दिये जाने वाले विज्ञापनों की दर	Rate of Advertisement given to Hindi version of Railway Time Table	24
3008.	आल इण्डिया रेलवे टाईमटेबुल के हिन्दी संस्करण का रेलों द्वारा विभिन्न स्थानों पर भेजा जाना	Transportation by Railways of Hindi version of All India Railway Time Table ..	24
3009.	एल्यूमीनियम संयत्रों को दी जाने वाली बिजली के लिये समान दर	Uniform Rate for Electricity supplied to Alluminium Plants ..	24
3010.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के खुदाई कार्यक्रम में लगातार हो रही कमी	Steady Decline in Oil, and Natural Gas Commission's Drilling Programme	25
3011.	खुर्जा स्टेशन पर हरिजन महलिा के साथ दुर्व्यवहार	Misbehaviour with Harijan Woman at Khurja Station	25
3012.	ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा की स्थापना	Setting up of Rural Engineering Service	26
3013.	विधान बनाने के लिये उनका हिन्दी प्रारूप	Hindi Drafts for Enactment of Legislation	26–27
3014.	रेलवे श्रमिक संगठनों का विलय	Merger of Railway Unions	27
3015.	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	Electrification of Harijan Colonies	27–28

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3016.	मंत्रालय में एक कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जाना	Termination of Services of an Employee in the Ministry ..	28
3017.	दिल्ली डिविजन के सहायक स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न करना	Non-payment of Overtime to Assistant Station Masters of Delhi Division	29
3018.	रसायन उद्योगों का विकास	Development) of Chemical Industries ..	29
3019.	दिल्ली-मुरादाबाद माइक्रो-वेव सम्पर्क	Delhi-Moradabad Micro-wave Link..	29–30
3020.	रेलवे को सप्लाई किये जाने वाले कोयले का अधिक मूल्य	Higher Price for Coal supplied to Railways	30
3021.	त्रिपुरा में पन-बिजली परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced persons as a result of Hydro-Electric Project in Tripura	30
3022.	मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं	Irrigation and Power Projects in Madhya Pradesh	30–31
3023.	अय्यर आयोग द्वारा दोषी पाया गया भारतीय उर्वरक निगम का एक अधिकारी	Officer of F.C.I. found guilty by Ayer Commission	31
3024.	विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना	Raising of minimum age of marriage	31
3026.	प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनी द्वारा बाहर भेजा गया धन, उसकी कुछ बिक्री तथा लाभ	Amount remitted by each Foreign Oil Company and their proceeds and profits	32
3027.	स्मिथ स्टेन स्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का. अधिग्रहण	Take-over of Smith Stainstreet and Company Limited, Calcutta ..	32
3028.	सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में पांच वर्षों तथा दस वर्षों से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े मामले	Cases pending in the Supreme Court and High Courts for more than five years and for more than ten years ..	32–33
3030.	मध्यप्रदेश में पूर्वी निमाड़ जिले में सिंचाई परियोजना को पांचवी योजना में शामिल करना	Inclusion of Irrigation Project in East Nimar District of Madhya Pardesh in Fifth Plan	33
3031.	सेन्ट्रल रेलवे ज़ोन में कार्यालयों द्वारा माल डिब्बों से माल उतारने की बजाय, विलम्ब-शुल्क देने को तरजीह देना	Preference by Traders to pay demurrage instead of unloading goods from wagons in Central Railway Zone	33
3032.	रेल मार्गों की औसत लम्बाई	Average Railway route mileage ..	34
3033.	एशिया-72 मेले में बिजली की कमी के कारण बिजली का बन्द होना	Power Shortage failure in Asia Fair 72 ..	34
3034.	दीर्घावधि ऋण के आधार पर ईराक द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई	Supply of Crude Oil by Iraq on long term credit	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3035.	उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के बीच यमुना नदी पर नये बांध बनाने सम्बन्धी करार	Agreement for construction of new barrages on Jamuna between UP and Haryana State	34-35
3036.	दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व मध्म रेलवे में हड़ताल के कारण रद्द की गई रेल सेवाएं	Train Services cancelled due to strike on Southern and South Central Railways	35
3037.	केरल म सिचाई के लिए बड़ी तथा मध्यम दर्जे की योजनाएं	Major and medium schemes for Irrigation in Kerala	35-36
3038.	केरल में बाढ़ की पूर्व सूचना देने हेतु की गई कार्यवाही	Steps taken for giving early flood warnings in Kerala	36
3039.	कोट्टाराकारा और पुनालूर रेलव स्टेशनों (दक्षिण रेलवे) का विकास	Development of Kottarakara and Punalur Railway Station (S.R.)..	37
3040.	केरल में रेलवे स्टेशनों का नवीकरण	Remodelling of Railway Stations in Kerala ..	37
3041.	अलाभकारी यात्री सेवा ों को सड़क यातायात को सौंपना	Transfer of uneconomic passenger services to Road Transport	37
3042.	बम्बई और नासिक के बीच रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुलों का निर्माण	Construction of over-bridges between Bombay and Nasik on the Railway Crossing Points	38
3043.	सिगनल और टेलीकम्यूनिकेशन विभाग दिल्ली के कर्मचारियों को क्वाटरों का आवंटन	Allotment of Quarters to signals and Telecommunication Department staff in Delhi	38-39
3045.	गाजियाबाद के लिए शटल गाड़ी का पुनः चलाना	Re-introducing of Shuttle Train for Gaziabad ..	39
3046.	पटना-गया रेलवे लाईन का विद्युतीकरण	Electrification of Patna-Gaya Railway track	39
3047.	बिहार में विद्युत उत्पादन की परियोजनाएं	Projects for Power Generation in Bihar	39-40
3048.	भावनगर डिवीजन में 25 रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of 35 trains in the Bhav Nagar Division	40
3049.	आसाम में हुए भाषायी दंगों का रेलवे पर प्रभाव	Impact of languages Riots in Assam on Railway	41
3050.	न्यायालयों के पास अनिर्णित मामलों की संख्या में असाधारण वृद्धि	Abnormal increase in the number of cases pending with Courts ..	41
3051.	पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतीकरण	Rural Electrification of West Bengal ..	41-42
3052.	कावेरी जल विवाद के सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाने वाली समिति का प्रतिवेदन	Fact Finding Committee report on Cauvery Water Dispute	42
3053.	तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने और बोगिया सप्लाई करने के लिए थाई रेलवे प्रतिनिध मंडल का दौरा	Visit of Thai Railway Delegation for Technical Know-How and Supply of Bogies	42-43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3054.	राजस्थान में खरीफ की फसल के लिए गंगा की बाढ़ के पानी का उपयोग	Utilisation of Flood Water of Ganga for Kharif crop in Rajasthan..	43
3055.	वैगन निर्माण उद्योग की क्षमता का बेकार पड़ा रहना	Capacity in Wagon Building Industry lying idle ..	43-44
3056.	प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण स्थल	Places where Plastic Goods are manufactured ..	44
3057.	रेल गाड़ियों में भिन्न भिन्न श्रेणियों को समाप्त करना	Abolition of different classes of Railways	44
3058.	अलाभकर यात्री गाड़ियां	Unremunerative Passenger Trains..	44
3059.	रेल मार्ग के विद्युतीकरण के लिए आवश्यकताएं	Requirements for Electrification of Railway Traction ..	44-45
3060.	खुर्दा रोड डिविजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के स्टाफ में अराजकता और अनुशासनहीनता	Lawlessness and Indiscipline in staff of Khurda Road Division (South-Eastern Railway)	45
3061.	'जल-निकास' शीर्ष के अन्तर्गत आवंटन करना	Allocations under the Head 'Water Drainage'	45-46
3062.	20 वर्ष की नौकरी वाले रेलवे कर्मचारियों का स्थायी किया जाना	Confirmation of Railway Employees with 20 years' Service ..	46
3063.	अलाभकारी रेलवे लाइनों से रेलवे को हुई हानि	Loss suffered by Railways due to Uneconomic Railway Lines ..	46-47
3064.	सियोल परियोजना (हिमाचल प्रदेश) पर किया गया व्यय	Expenditure Incurred on Siul Project (Himachal Pradesh).	47-48
3065.	सभी रेल कर्मचारियों के लिए पैंशन लाभ तथा अन्य सरकारी नियम लागू करना	Application of Pensionary Benefits and other Government rules to all Railways Employees ..	48
3066.	बिजली की कमी के बारे में समिति का गठन	Setting up of Committee on Power Shortage ..	48
3067.	भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकिंग प्रणाली तथा रेलवे के बीच प्रभावशाली तालमेल के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन	Committee set up by Indian Banks Association for Effective Co-ordination between Banking system and Railways ..	48-49
3068.	पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी के सम्बन्ध में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Chief Minister of of Bihar, West Bengal and Orissa on Power shortage in Eastern Region	49
3069.	राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल फाटकों पर ऊपरि पुलों का निर्माण	Construction of over-bridges on National High-ways on the Railway Crossing Points. ..	49
3070.	पश्चिम रेलवे की यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों में चलने वाले गार्डों के लिए काम के घंटे ..	Working hours for Guards of Passenger/Goods Trains on Western Railways	50

अतारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3071.	बिजली की कमी के बारे में राज्य सरकारों के सुझाव	State Governments' proposals on Power Shortage	50
3072.	पांचवी योजना में आन्ध्र प्रदेश के लिए बिजली उत्पादन परियोजनाओं का शामिल किया जाना	Inclusion of Power Generation Project in Andhra Pradesh in Fifth Plan	50
3073.	मथुरा तेल शोधक कारखाने में विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration at Mathura Refinery	51
3074.	ईंधन गैस का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य	Annual Production Target of Fuel Gas	51
3075.	बिहार के मुंगेर जिले में बिजली घर का खोला जाना	Setting up of a Power Station at Monghyr District, Bihar	51
3076.	कानपुर में गंगा नदी पर बहु-उद्देशीय बांध के लिए सर्वेक्षण	Survey for Multi-purpose barrage on River Ganga at Kanpur	52
3077.	आंध्र प्रदेश में नन्दियाल से येरागुडिपाडु तक रेलवे लाइन	Railway line from Nandyal to Yerragudipadu in Andhra Pradesh	52
3078.	विस्फोटक के कारण गोरखपुर उर्वरक कारखाने को हुई क्षति	Loss suffered by Gorakhpur Fertilizer Factory due to explosion	52
3079.	दुर्गापुर कैमिकल्स में अधिक उत्पादन	Increased Production at Durgapur Chemicals	52
3080.	पश्चिम बंगाल में तेल के खुदाई कार्य में विलम्ब	Delay in Oil Exploration in West Bengal	52–53
3081.	नैवेली संयंत्र में बिजली का उत्पादन	Power Production at Neyveli Plant ..	53
3082.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा लागू की गई लघु-विद्युत परियोजनाएं	Mini Power Project Plans by Rural Electrification Corporation	53
3083.	महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर में कुचगाओं बांध के लिए मूल योजना की स्वीकृति	Sanction of Original Plan for Kuchagao Dam in Kolhapur District of Maharashtra	53–54
3084.	विदेशी तेल कम्पनियों के साथ करार को रद्द करना	Scrapping the Agreement with Foreign Oil Companies	54
3085.	उत्तर बंगाल और दक्षिण 24 परगना में रेलवे संचार का विस्तार	Expansion of Railway Communications in North Bengal and South 24-Parganas ..	54
3086.	बंगलादेश को कच्चे तेल के परिवहन में अनियमितता	Irregularity in Transportation of Crude Oil to Bangladesh	54–55
3087.	पूर्वी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं	Rural Electrification Schemes in Eastern States	55
3088.	विमलागढ़ से तालचेर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) तक रेलवे लाईन का बिछाया जाना	Railway Line from Bimlagarh to Talcher (South East Railway)	55–56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3089.	कावेरी बेसिन में तेल के कुएं खोदने के कार्य की प्रगति	Progress made in drilling oil wells in the Cauvery Basin	56
3090.	पारेषण लाइनों में बिजली लीक होने के कारण हुई हानि	Loss due to leakage of Power in Transmission Lines	56
3091.	त्रिपुरा को जिन्दा रहने के लिए रेलवे की आवश्यकता (त्रिपुरा नीड्ज़ रेलवे फार सरवाईवल)	Tripura needs Railway for Survival. .	57
3092.	पांचवी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता	Additional Irrigation Potential during Fifth Plan	57
3093.	बिजली घरों के रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण देने हेतु संस्थाओं की स्थापना	Establishment of Institutions for imparting Training for maintenance of Power Station	57–58
3094.	पाटलीपुत्र एक्सप्रैस को बरास्ता गया चलाने की मांग	Demand for running Patliputra Express via Gaya	58
3095.	गया से पटना तक दोहरी रेल लाईन	Double Railway line from Gaya to Patna	58
3096.	दिल्ली में ईंट निर्माताओं की रेल वैगनों की माग	Wagon requirements of Brick makers in Delhi	58
3097.	लहेरिया सराय रेलवे स्टेशन पर पेय जल की कमी	Scarcity of Drinking water at Laharia Sarai Station	58–59
3098.	इलाहाबाद में गैस सिलेन्डरों का फटना	Gas Cylinders blow up in Allahabad. .	59
3099.	पर्वतीय स्थलों के लिए टिकट में रियायत उपलब्ध (हिल स्टेशन कन्सेशन) करने के लिए नए पर्वतीय स्थलों की सूची में शामिल करना	Inclusion of new Hill Station for issue of Hill Station Concession. .	59
3100.	रेल किराये में रियायत हेतु पर्वतीय स्थलों की सूची	Names of Hill Stations for Railway Fare Concession ..	60
3101.	बंगलौर स्टेशन पर आरक्षण और टिकट रद्द करने के लिए अलग कांउटर बनाना	Separate Counter for Reservation and Cancellation of Tickets at Bangalore Station.	60
3102.	कोचीन तेल शोधक कारखाने का अधिग्रहण	Take-over of Cochin Oil Refinery. .	61
3103.	इंडियन आयल कारपोरेशन में कार्य करने वाले सेवानिवृत कर्मचारी	Retired Persons serving in I.O.C. .	61
3104.	नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा बनाने का कारखाना लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण के विरुध अभ्यावेदन	Representation against the Acquisition of Land for Caustic Soda Factory in North Kanara District.	61
3105.	अन्तर्राज्यीय जल विवाद	Inter-state Water Disputes. ..	61–62
3106.	मैसर्स बल्लारपुर पेपर एंड स्ट्रा बोर्डस लिमिटेड को नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा संयंत्र लगाने के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licence for a Caustic Soda Plant in the District of North Kanara to M/s Ballarpur Paper and Straw Boards, Ltd. ..	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3107.	संयुक्त बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की योजना	Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission Plan for Joint Flood Control.	62
3108.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कार पुर्जों का अनधिकृत उत्पादन	Unauthorised Production of Car-parts by Foreign Oil Companies..	62–63
3109.	कोयला क्षेत्रों के निकट तापीय संयंत्रों की स्थापना	Setting Up of Thermal Plant near Coal Fields.	63
3110.	राजस्थान नहर का निर्माण	Construction of Rajasthan Canal..	63–64
3111.	मियांभाई न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अखिल भारतीय गार्ड परिषद् द्वारा आयोजित "विरोध दिवस"	"Protest Day" organised by All India Guards Council against Miabhoy Tribunal Decision. ..	64–65
3112.	संघ की भाषा में विभिन्न विधियों और नियमों का पाठ	Texts of Various Laws and Rules in the Language of the Union. ..	65
3113.	देश में तहसील हैडक्वार्टरों का विद्युतीकरण	Electrification of Tehsil Head-quarters in the Country.	65–66
3114.	राजस्थान में तहसील हैडक्वार्टरों का विद्युतीकरण	Electrification of Tehsil Head-quarter in Rajasthan.	66–67
3115.	उदयपुर सिटी और अहमदाबाद के बीच कोयले की चोरी और बिना टिकट यात्रियों से पैसे लिए जाने के बारे में जांच	Enquiry into Theft of Coal and taking of Money from ticket-less Passengers between Udaipur City and Ahmedabad. ..	67
3116.	राजस्थान के उदयपुर जिले के 24 स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था	Provision of Electricity at 24 Stations in Udaipur District, Rajasthan. ..	67
3117.	राजस्थान विद्युत मंडल के माल का वैगनों से न निकाला जाना	Goods belonging to Rajasthan Electricity Board not removed from Wagons.	67
3118.	बसरान पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन के विरुध दायर किया गया मुकदमा	Suit filed by Basran Petroleum Company Limited against Indian Oil Corporation.	67–68
3119.	अप्रयुक्त रेल टिकटों की वापसी के मामले में यात्रियों के दल को रियायतें देना	Concession to Group Travellers and refund on Unused Rail Tickets.	68
3120.	मीठापुर में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना हेतु टाटा को प्रोत्साहन	Incentive to Tata for setting up a Petro-Chemical Complex at Mithapur	68
3121.	गंगा-कावेरी परियोजना के संबंध में तमिलनाडु सरकार से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation from Tamil Nadu on Ganga-Cauvery Project. ..	68
3222.	लाभकारी रेल लाईनों को बन्द करने के लिए राज्य सरकारों की रजामंदी	State Governments' Agreement for Closure of Unremunerative Railway Lines. ..	69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3123.	चौथी योजना में मुख्य सिंचाई योजनाओं पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Major Irrigation Schemes in Fourth Plan.	69
3124.	बडौदा निर्वाचन क्षेत्र को अनारक्षित स्थान में बदलना	Conversion of Baroda Constituency into General Seat.	69
3125.	तूफान एक्सप्रैस में गन्दगी	Sanitary Condition in Toofan Express.	69–70
3126.	कीरतपुर स्टेशन पर आलू की बोरियों के लदान के लिए माल डिब्बों की कमी	Shortage of Wagons for Loading of Potato Bags at Kiratpur Station.	70
3127.	हिमाचल प्रदेश में जगाधरी से पोन्टा साहिब तक रेलवे लाइन	Railway Line from Jagadhri to Paonta Sahib in Himachal Pradesh.	70
3128.	मीटर गेज और नैरोगेज लाइनों का बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Metre and Narrow Gauge into Broad Gauge Lines...	70-71
3129.	नंगल उर्वरक कारखाने में विद्युत का उपयोग	Use of Power in Nangal Fertilizer Plant.	71
3130.	मथुरा तेल शोधक कारखाने में हाइड्रो-क्रैकिंग एकक बनाना	Building of Hydro-Cracking Unit at Mathura Refinery.	71
3131.	रेलवे द्वारा बिजली को सुरक्षित रखना	Conservation of Power by Railway..	71–72
3132.	पूर्व तथा मध्य पूर्व में राष्ट्रीय तेल कम्पनियों का एक संगठन बनाने का सुझाव	Suggestion to Form an Organisation of National Oil Companies in the East and Middle East...	72
3133.	जोधपुर डिवीजन में बिना परिचारकों (एटन्डेन्ट्स) के गाड़ियों का चलाना	Trains without Attendants in Jodhpur Division. ..	73
3134.	वैगनों की कमी औद्योगिक विकास में बाधक	Wagon shortage creating Hurdles for Industrial Development.	73
3135.	उच्च ग्रेडों में तीन वर्षों से स्थानापन्न अराजपत्रित कर्मचारियों की पदावनति के विरुद्ध संरक्षण	Protection, against Reversion of Non-Gazetted Staff who Officiate in Higher Grades for three years.	73
3136.	धनबाद पूर्वी रेलवे के उप-मंडलीय अधीक्षक के ध्यान में लाए गए भ्रष्टाचार के मामले	Cases of Corruption brought to the notice of Dy. D.S.E. Rly. Dhanbad	74
3137.	समयोपरि भत्ते के रूप में बहुत अधिक धनराशि की अदायगी	Payment of Huge Amount as Over Time Allowance.	74
3138.	तेल उद्योग द्वारा अभी भी आयात की जाने वाली मशीनें	Type of Machinery still imported by Oil Industry.	74–75
3139.	'सिगनैल' तथा 'टेलीकोम्युनिकेशन' के कर्मचारियों को वर्दियां तथा पहचान-पत्र देना	Providing Uniforms and Identity Cards to the Signal and Telecommunication Staff.	75

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
3140.	बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for Implementation of Flood Control Schemes.	75
3141.	जोनल रेलों का कार्य-निस्पादन	Performance of Zonal Railways. ..	75–76
3142.	रेलवे और राज्य परिवहन के बीच ताल-मेल	Coordination between Railways and State Transport. ..	77
3143.	दक्षिण पूर्व रेलवे के विद्युतीकृत अनुभागों को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Electrified Sections of S.E. Railways. ..	77
3144.	हल्दिया-बरौनी कानपुर पाइपलाइन के पुन: रेखांकन संबंधी विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन	Report of the Expert Group on Realignment of Haldia Barauni Kanpur Pipeline.	77–78
3145.	तृतीय श्रेणी के यात्रियों को और अधिक सुविधाएं	More facilities to III Class Passengers.	78
3146.	गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना	Setting up of Ganga Flood Control Board.	78-79
3147.	चकिया रेल स्टेशन पर शेड की व्यवस्था करना	Provision of shed on Chakia Station..	79
3148.	समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर तक बड़ी लाईन बनाना	Broad-gauge line from Samastipur to Mazaffarpur. ..	79
3149.	मैसूर में सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects in Mysore. ..	79–80
3150.	जल विद्युत योजनाओं द्वारा पैदा की गई बिजली को अन्य राज्यों में बांटना	Sharing of Electricity Generated from Hydro Electric Project with other States. ..	80
3151.	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मिलान (इटली) में की गई नियुक्तियां	Posting at Milan (Italy) by F.C.I...	80–81
3152.	बिहार में सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Irrigation Scheme in Bihar.	81
3153.	भारतीय उर्वरक निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों में असन्तोष	Discontentment among workers and Officers of F.C.I. ..	81
3154.	चिकित्सा विभाग (दक्षिण रेलवे) के सफाई वालों को वर्दियों की सप्लाई	Supply of Uniform to 'Safaiwalas' of Medical Department (Southern Railways)	82
3155.	रायपुरम स्थित पुस्तक एवं फार्म डिपो का (दक्षिण रेलवे) सुरक्षित स्थान पर ले जाना	Shifting of Books and Forms Depot, Rayapuram to Safer Place (Southern Railway). ..	82
3156.	कार वर्कशाप, ताम्बरम् (दक्षिण रेलवे) के मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल सैक्शनों में रिक्त स्थान	Vacancies in Mechanical and Electrical Sections of Car Workshop Tambaram (Southern Railway).	82
3157.	दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा खरीदे गये सामान का मूल्य	Value of Stores Purchases made by Southern Railway Administration.	82–83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3158.	गृह निर्माण के लिए एडवान्स तथा प्लाट की खरीद सम्बन्धी ऋणों के लिए आवेदन पत्रों के निपटान में विलम्ब (दक्षिण रेलवे)	Delay in Disposal of Applications for House Building Advance and Plot Purchasing Loans (Southern Railway). ..	83–84
3159.	तमिल नाडु में भारतीय उर्वरक निगम के व्यापारी	Dealers of F.C.I. in Tamil Nadu...	84
3160.	रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्कों की 'अत्यावश्यक स्टाफ' के रूप में घोषणा	Declaration of Commercial Clerks on Railways as 'Essential Staff'..	84–85
3161.	बड़े व्यापार गृहों द्वारा नियन्त्रित बिजली संयंत्र	Power Plants Controlled by Big Business Houses.	85–86
3162.	असिस्टेंट कमर्शियल इंस्पैक्टरों (दर तथा दावे) के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Grades of Assistant Commercial Inspectors (Rates and Claims).	86
3163.	रांची और दिल्ली के बीच एक्सप्रैस सेवा आरम्भ न करने के कारण	Reasons for not introducing the Express Service between Ranchi and Delhi. ..	86
3164.	कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) की चिकित्सा सम्बन्धी शिकायतों की जांच के लिए संगठन	Organisation to look into Medical Troubles of Employees (Northern Railway) ..	86
3165.	उत्तर रेलवे की चिकित्सा सेवाओं से लाभ प्राप्त करने वाले रोगी	Patients Benefited by Medical Services of Northern Railway ..	87
3166.	पंजाब के गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Punjab Villages ..	87
3167.	मई, 1972 में हुआ भारतीय रेलवे सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारी संघ का सम्मेलन	Conference of Indian Railway's Signal and Telecommunication Staff Association held in May, 1972 ..	87
3168.	दिल्ली मेन स्टेशन पर जावक तथा आवक पार्सल कार्यालयों का निरीक्षण	Inspection of Outward and Inward Parcel Offices at Delhi Main Station.	87–88
3169.	विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Departmental Examinations	88
3170.	बाढ़ के पानी के निकास के बारे में चिल्का विकास समिति	Chilka Development Committee Regarding Drainage of Flood Water.	88
3171.	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा एशिया 72 मेले में अपने मण्डप पर व्यय	Expenditure Incurred by F.C.I. on its Pavillion in Asia '72 Fair ..	88
3172.	एशिया-72 मेले के निकट फ्लैग स्टेशन	Flag Station near the Asia '72 Fair..	88–89
3173.	केन्द्रीय सरकार के भारतीय उर्वरक निगम में तीस प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees receiving House Rent Allowances at the rate of 30 per cent in the Central Office of F.C.I.	89

ग्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3174.	गंगा-कावेरी को जोड़ने सम्बन्धी योजना की ग्रार्थिक उपयोगिता के बारे में इंजीनियरो को शंका	Engineers doubt regarding Economic Viability of the Ganga Cauvery link up scheme	89-90
3175.	रेलवे कालोनी, पहाड़गंज, नई दिल्ली में दिवार के गिरने से लड़की की मृत्यु	Death of a Girl due to collapse of a Wall in Railway Colony, Paharganj, New Delhi. ..	90
3176.	रुपसा-तालबन्द लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Rupsa-Talaband line into Broad gauge ..	90
3177.	त्रिपुरा में सिंचाई परियोजनाएं संबंधी योजनाएं	Schemes for Irrigation Projects in Tripura ..	90-91
3178.	सिगनल तथा दूर-संचार मजदूरों (दक्षिण मध्य रेलवे) द्वारा हड़ताल	Strike by S & T workers (South Central Railway)	91
3179.	परियोजनाएं के पूरा करने में पुर्नविलोकन समिति के समक्ष कठिनाइयां	Difficulties faced by reviewing Committee in Execution of Projects.	91-92
3180.	परियोजना-प्राक्कलनों के पुनरीक्षण के बारे में बिशेषज्ञ समिति की सिफारशें	Recommendations of Committee of Experts Re: Revision of Project Estimates ..	92
3181.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हरिजन बस्तियों को ऋण	Loans to Harijan Bastis by Rural Electrifications Corporation	92-93
3182.	विद्युत केन्द्रों में ईंधन तेल की खपत	Fuel Oil Consumption in Power Station	93
3183.	संसद् सदस्यों की सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सुझाव	Suggestions made by the Consultative Committee of Members of Parliament	93
3184.	मैसर्स पोलियोलिफिन्स इंडस्ट्रोज लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत	Complaint Against M/s Polyolifins Industries Limited	93-94
3185.	मैसर्स ग्रलकली कैमिकल्स कारपोरेशन ग्राफ इंडिया के विरुद्ध शिकायतें	Complaints Against M/s Alkali Chemicals Corporation of India. ..	94
3186.	छोटे कारखानों को कम घनत्व वाली पोलिथिलीन वितरण के लिए समान नीति	Uniform Policy for Distribution of Low Density Polyethylene to Small Scale Units	94-95
3187.	वैगनों के निर्माण के लिए ग्रलग कारखाना	Separate Unit for Manufacture of Wagons	95
3188.	पश्चिम तट रेलवे	West Coast Railway	95-96
3189.	भारतीय उर्वरक निगम में पूर्णकालिक ग्रध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Full time Chairman in F.C.I.	96
3190.	तेल उत्पादन राज्यों को रायल्टी में वृद्धि	Increase in Royalty to the Oil Producing States	96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3191.	बड़ी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्माण-मशीनरी	Construction Machinery for Major Irrigation and Power Projects ..	96-97
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	97
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पंजाब और हरियाणा के अनेक कालेजों को अनुदान बंद कर दिये जाने का समाचार	Reported stoppage of UGC Grant to Several colleges in Punjab and Haryana	97
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	97
	प्रो० नुरुल हसन	Shri Nural Husan	97
	तामिलनाडु में उत्पन्न स्थिति के बारे में	Re Developments in Tamil Nadu ..	101
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	102
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)	Re Question of Privilege (Query)..	103
	कम्पनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill ..	103
	संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member to Joint Committee	103
	बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक	Payment of Bonus (Amendment) Bill	103
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	103
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	104
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	104
	श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R.K. Khadilkar ...	105
	आखिल भारदीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक-वाद विवाद स्थगित	All India Services Regulations (Indemnity) Bill-Debate Adjourned ..	105
	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	105
	श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin ..	106
	श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	106
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee ..	107
	श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan	109
	श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	110
	श्री आर० बी० बड़े	Shri R.V. Bade	110
	श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve ..	110
	डा० कैलास	Dr. Kailas ...	111
	श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	111
	श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	111
	श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	111
	श्री चपलेंदु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia..	112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ Pages
कोयला खान श्रम कल्याण निधि	Coal Mines Labour Welfare Fund	
(संशोधन) विधेयक	(Amendment) Bill ..	115
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	115
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	115
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder ..	116
श्री दामोदर पाण्डे	Shri Damodar Pandey ..	116
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	117
श्री चपलेंदु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	117
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E.R. Krishnan	118
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	118
श्री फूलचन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	119
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi ..	120
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	120
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	120
खंड 2 से 5 और 1	Clause 2 to 5 and 1 ..	122
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ..	122
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	123
20वां प्रतिवेदन	Twentieth Report ..	123

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 5 दिसम्बर, 1972/14 अग्रहायण, 1894 (शक)

Tuesday, December 5, 1972/Agrahayana 14, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कलकत्ता बिजली बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सहायता से गैस टर्बाइन का लगाया जाना

***301. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता क्षेत्र में बिजली की कमी पूरी करने के उद्देश्य से राज्य बिजली बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से गैस टर्बाइन लगाए जाने का स्वीकृत प्रस्ताव था ?

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना इस समय किस अवस्था में है; और

(ग) उसे कब चालू किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां, । पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से कलकत्ता क्षेत्र में व्यस्ततम क्षमता में विद्युत की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए 20—20 मैगावाट के दो गैस टर्बाइन सैटों की 700 लाख रुपए कुल लागत पर जिसमें 427 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा का योग भी सम्मिलित है, स्थापना के निमित्त एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) स्कीम की रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा की गई थी और उसकी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गयी हैं । गैस टर्बाइनों के प्रचालक हेतु आवश्यक ईंधन तेल की उपलब्धता की जांच की जा रही है ।

(ग) यह स्कीम स्वीकृति के पश्चात लगभग 18 महीनों में कार्यान्वित की जा सकती है ।

1/Lok Sabha/73—3

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विवरण के अनुसार आप देखेंगे कि सरकार को गैस टर्बाइन सैटों को लगाने की योजना अथवा प्रस्ताव पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुआ था और केन्द्रीय राज्य तथा विद्युत आयोग ने इसकी जांच की थी और उनकी टिप्पणियां राज्य सरकार को पहुंचा दी गई थी। परन्तु समग्र रूप में मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि यहां यह नहीं बताया जा सकता कि उनकी टिप्पणियां क्या हैं, कि केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव के पक्ष में है अथवा नहीं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इसके विरोध में इस आशय का प्रस्ताव भेजा गया है कि स्थापित किये जाने वाले इन गैस टरबाईन सेटों को राज्य बिजली बोर्ड के अंतर्गत न रख कर कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम के अंतर्गत रखा जाये और इस विवाद के कारण ही योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इस पर सरकार के क्या विचार हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील : स्थिति ऐसी नहीं है, इसमें होने वाला विलम्ब इस कारण से है क्योंकि दो गैस टरबाईनों को चलाने के लिए लगभग 29,000 टन हल्के डीजल तेल की आवश्यकता है, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने राज्य बिजली बोर्ड की उक्त मात्रा में हल्के डीजल तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। परन्तु उन्हें इसके बारे में भारतीय तेल निगम से पुष्टि प्राप्त नहीं हो सकी है। इस पुष्टि के न मिलने से योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हो रहा है, जैसे ही राज्य बिजली बोर्ड से पुष्टि मिल जायेगी कि उन्हें हल्के डीजल तेल की इतनी मात्रा मिल सकती है, हम इस योजना को स्वीकृति दे देंगे, इस बारे में कोई भी बात छुपाने की नहीं है, इस प्रस्ताव के विरोध में भेजे गये दूसरे प्रस्ताव का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मानते हुए कि भारतीय तेल निगम ऐसे गैस टरबाईन के लिए अपेक्षित पर्याप्त मात्रा में हलका डीजल तेल सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है–मेरे विचार में यह आवश्यकता लगभग प्रति महीने 5000 किलो-लिटर है–मैं जान सकता हूं, कि यदि इस हल्के डीजल तेल को आयात करना पड़े तो क्या केन्द्रीय सरकार विदेशी मुद्रा के रूप में अपेक्षित सहायता देगी ? समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार, जिसकी ओर मैं उनका ध्यान दिला रहा हूं–मैं नहीं जानता कि उन्होंने इसको देखा है–कि कनाडा का एक प्रस्ताव है जिसमें दो वर्ष तक की अवधि के लिए हल्के डीजल तेल की सप्लाई करने की बात कही गई है। कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम, जो एक ब्रिटिश कम्पनी है, किसी ब्रिटिश योजना को प्राथमिकता दे रही है जोकि अधिक खर्चीली है और जिसमें इस तेल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्या मंत्री महोदय इस योजना के लिए विदेशी मुद्रा की स्वीकृति देंगे जिससे पश्चिम बंगाल में पैदा हो रहे गंभीर विद्युत संकट को देखते हुए वह गैस टर्बाइन चलाने के लिए अपेक्षित हल्के डीजल तेल का आयात कर सकें ?

श्री बैजनाथ कुरील : इसमें संदेह नहीं है कि पश्चिम बंगाल में तथा विशेषकर उत्तर बंगाल में विद्युत का बड़ा भारी संकट है उसमें बड़ा अन्तर है, उत्तर बंगाल में प्रति व्यक्ति खपत 7 यूनिट है जबकि दक्षिण बंगाल में यह 140 यूनिट है, इसमें संदेह नहीं है, मैं इसे स्वीकार भी करता हूं। परन्तु केवल अशोधित तेल के लिए आयात करना आवश्यक है न कि हल्के डीजल तेल के लिए। अतएव निगम को अपनी आवश्यकताएं बतानी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने बताया है कि हल्के डीजल तेल का आयात नहीं किया जायेगा। यह केन्द्रीय सरकार का विचार है। क्या मैं इसका तात्पर्य यह समझूं कि केन्द्रीय सरकार ने उनको बताया है कि हल्के डीज़ल तेल का आयात नहीं किया जायेगा और यदि इसे प्राप्त करना है तो इसको देश में ही प्राप्त किया जाना चाहिए ?

श्री बैजनाथ कुरील : अशोधित तेल का आयात किया जाना है,

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गैस टर्बाइन अशोधित तेल से नहीं चलते हैं।

डा० रानेन सेन : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है, मैं इसको दूसरे ढंग से पूछूंगा, कुछ समय में कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम और राज्य सरकार के बीच विवाद था, कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम कलकत्ता क्षेत्र में जोकि देश के बिजली संकट ग्रस्त क्षेत्रों में से एक है, बिजली पैदा करने के लिए गैस टर्बाइन लगाना चाहता था, और राज्य सरकार गैस टर्बाइन के लिए अनुमति देना नहीं चाहती थी। यह बाद में मालूम हुआ कि दोनों में समझौता हो गया है और गैस टरबाईन बाहर से मंगाये गए है। कनाडा ने इसका जो मूल्य बताया है वह ब्रिटेन द्वारा बताए गए मूल्य से बहुत कम है, क्या यह सच है कि इसके बावजूद भी ब्रिटिश टर्बाइन का आयात किया जा रहा है और भारत सरकार ने कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम को लाइसेंस दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने किन कारणों से मंजूरी दी है ?

श्री बैजनाथ कुरील : हम इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि यदि इन टर्बाइन को लगाना ही है तो ये राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लगाए जायेंगे। परन्तु इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि पुष्टि न होने से इस योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बिलकुल स्पष्ट था कि क्या कनाडा अथवा ब्रिटेन के प्रस्ताव पर विचार किया गया था।

श्री बैजनाथ कुरील : मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है,

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण के अनुसार, राज्य बिजली बोर्ड ने एक प्रस्ताव भेजा है जिस पर विचार कर लिया गया है, क्या उस प्रस्ताव में ब्रिटेन अथवा कनाडा से गैस टर्बाइन आयात करने की बात कही गई है?

श्री बैजनाथ कुरील : इस पर बाद में विचार किया जायेगा, इस समय हम नहीं कह सकते हैं कि इसे कहां से खरीदेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कब बतायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर अधिक विस्तार से जाये बिना उन्होंने विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या यह कनाडा का प्रस्ताव है अथवा ब्रिटेन का आप इसका हां या नहीं में उत्तर दे सकते हैं, आप इसके विस्तार में क्यों जाते हैं?

श्री बैजनाथ कुरील : इस पहलू पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। हम इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री माधुर्य हालदार : विवरण में बताया गया है कि योजना प्रतिवेदन पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने विचार किया है और उनकी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई थी, क्या मैं मंत्री महोदय से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की टिप्पणियों के बारे में जान सकता हूं?

श्री बैजनाथ कुरील : बात केवल यह थी कि वे डीजल तेल आदि की उपलब्धता की पुष्टि के बारे में जानना चाहते थे वे केवल इस बात की पुष्टि चाहते थे कि क्या उनको इतना तेल प्राप्त हो सकेगा अथवा नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने इस बात की पुष्टि मांगी है कि क्या उन्हें यह तेल प्राप्त होगा। उन्होंने उत्तर दिया है कि यह देश में प्राप्त नहीं हो सकता है और इसको आयात करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है हम उन्हें इसका आयात नहीं करने देंगे। इसका तात्पर्य यह है कि मामले को अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, आप प्रत्येक महीने इतना तेल कहां से देंगे? भारतीय तेल निगम यह तेल नहीं दे सकता है।

श्री बैजनाथ कुरील : मैंने इसके बारे में बता दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें नहीं कहने के लिए विवश मत करिए।

श्री माधुर्य हालदार : उन्होंने यह नहीं बताया है कि टिप्पणियां क्या हैं, वे ठीक से नहीं बता रहे हैं।

Construction of Quarters for Railway Employees in Delhi

*302. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme to construct residential quarters for Railway employees in Delhi; and

(b) if so, the number of quarters proposed to be constructed and when the construction work is likely to be undertaken?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) रेल कर्मचारियों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर क्वार्टर बनाए जाते हैं और जितना धन उपलब्ध रहता है उसके अनुसार निर्माण-कार्यों को प्रत्येक वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है।

तदनुसार 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के तीन वित्तीय वर्षों के लिए दिल्ली क्षेत्र में 1245 नये अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया गया है। इनमें से 458 नये अतिरिक्त क्वार्टर बन कर तैयार हो गए हैं और शेष 787 क्वार्टर बन रहे हैं।

डा० रानेन सेन : उनके उत्तर देने की गति कलकत्ता मेल की तरह तेज है, वे कृपया कुछ धीमा पढ़े।

Shri Hukam Chand Kachwai : In the original answer to the Question, the Hon. Minister has stated that quarters for the Railway employees are Constructed on the basis of scheduled programme. I want to know what is the scheduled programme on the basis of which the quarters are constructed? Taking into consideration the requirements of quarters for Railway employees in Delhi; how much time will you take to construct them?

श्री टी० ए० पाई : हमारे यहां रेलवे कर्मचारियों की संख्या 13.78 लाख है और केवल 8.55 लाख कर्मचारियों के पास मकान हैं तथा 8.55 कर्मचारियों को अभी मकान दिये जाने हैं। इसमें 2565 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। निर्माण कार्य में व्यय किया गया धन औसतन प्रति वर्ष लगभग 6 से 7 करोड़ रु० आता है। उत्तर रेलवे में एक वर्ष में 1.14 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं जिसमें दिल्ली को 33 प्रतिशत मिला है। दिल्ली में लगभग 6,000 क्वार्टरों का निर्माण कार्य अभी पूरा किया जाना है और 1,000 क्वार्टरों का दर्जा बढ़ाया गया है। इसमें कुछ समय लगगा। उपलब्ध धन में से 50 प्रतिशत धन संचालन कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। गैर आवश्यक कर्मचारियों को कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has not replied my question.

Mr. Speaker: What he has replied, that is sufficient.

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it sufficient in the eyes of Mr. Speaker?

Mr. Speaker : I think it is sufficient.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know what policy has been decided by the hon. Minister for the allotment of quarters to Railway employees? On what basis they are provided with quarters? The number of such employees who are in service for the last twenty years and who have no quarters is very big and the Railway Ministry has provided them any accommodation so far.

Mr. Speaker : The hon. Member has asked about the construction of quarters for Railway employees in Delhi. The construction work is not yet completed and he is talking about allotment.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What is the basis of allotment of constructed quarters?

Mr. Speaker: I have no objection if the hon. Minister wants to state the basis on which the quarters are allotted.

Shri Hukam Chand Kachwai : What is the policy under which the Railway Ministry allot constructed quarters to its employees? May I know whether it is a fact that the number of such employees is large who are in service for the last twenty years and have not been provided with quarters till now? There is a large number of applications from the employees for the allotment of quarters are pending. The hon. Minister has just stated that 787 quarters are to be constructed. I want to know when their construction work will be completed? May I know whether it is a fact that this construction work of quarters is going on in a slow pace so what steps are being taken by the hon. Railway Minister to expedite the same?

श्री टी० ए० पाई : क्वार्टरों का आबंटन आवश्यक कर्मचारियों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिनको कि अपने कार्य स्थल के निकट रहना पड़ता है तथा जिन्हें रात और दिन किसी भी समय कार्य के लिए बुलाना पड़ सकता है। इस वर्गीकरण के अन्तर्गत दिल्ली में 10,354 आवश्यक कर्मचारी हैं जिनमें से केवल 3,328 कर्मचारियों को क्वार्टर दिए गए हैं और 7,026 कर्मचारियों को अभी क्वार्टर दिए जाने हैं। क्वार्टरों का निर्माण कार्य मार्च तक पूरा हो जाए गा और इस निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा।

Shrimati Mukul Banerjee : I want to know from the hon. Minister whether under the scheme for construction of quarters for Railway employees, any quarters for class IV employees like porters will be constructed?

श्री टी० ए० पाई : इसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी क्वार्टरों के निर्माण की योजना है। वास्तव में प्रथम पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में हमारे पास 3.18 लाख क्वार्टर थे जिनकी संख्या में इन तीन योजनाओं के दौरान 2.5 लाख की और वृद्धि हुई है ?

श्रीमती मुकुल बनर्जी : मैंने पोर्टर्स के बारे में पूछा था ?

Shri Mohammad Ismail : Besides the question of quarters that are being constructed or will be constructed for Railway employees, I want to ask whether there is any scheme under the consideration of the government to give requisite increased house rent allowance to those Railway employees who have not been allotted quarters till now since they have to pay rent three times more than what they get as house rent allowance?

Mr. Speaker : The question under discussion is regarding construction of quarters whereas the hon. Member is asking a different question and it is not relevant here.

Shri Mohammad Ismail : Taking into consideration the increase of rent day by day, will the Railway Ministry enhance the house rent allowance or not?

Mr. Speaker: The hon. Member may please sit down. As I said, his question is not relevant.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या आवास निर्माण के सम्बन्ध में सरकार पुरानी नीति ही अपनाएगी, अर्थात् क्या पुराने डिजाइनों के क्वार्टर बनाए जाएंगे जोकि अत्यंत अस्वस्थयकर हैं, अथवा उन डिजाइनों में परिवर्तन किया जाएगा ।

श्री टी० ए० पाई : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के टाइप 1 के एक कमरे वाले क्वार्टर का क्षेत्रफल 1-4-1973 से 300 वर्ग फुट से बढ़ाकर दो कमरे के लिए 387 वर्ग फुट कर दिए जाने का निश्चय किया गया है।

श्री टी० ए० पाई : मैंने बोर्ड को निदेश दिया है कि वह कम से कम खर्चे में मकान बनाने का प्रयत्न करें ताकि हम अपने सीमित संसाधानों से अधिक से अधिक लोगों के आवास की व्यवस्था कर सकें।

बिना टिकट यात्रा और इसकी रोकथाम के लिए उपाए

***304. श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1972 से सितम्बर 1972 तक कितने लोग बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए; और

(ख) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई): (क) 9,24,822

(ख) ऐसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध कारगर प्रचार के अलावा बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(*i*) 10-6-1969 से बिना टिकट यात्रा सम्बन्धी दण्ड बढ़ा दिया गया है।

(*ii*) नियमित और आकस्मिक जांच के अतिरिक्त, मेध खण्डों में भारी संख्या में टिकट जांच कर्मचारियों और रेलवे मजिस्ट्रेट के साथ सरकारी रेलवे पुलिस को लगाकर बड़े पैमाने पर जांच की जाती है। राज्य सरकारों के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाए जाते हैं।

(*iii*) अभियानों में गांव के मुखियों, ब्वाय स्काउटों, विद्यार्थियों और सामाजिक सेवा संगठनों के स्वयं सेवकों का सहयोग लिया जा रहा है।

(*iv*) कर्मचारियों की कारगर भूमिका के लिए गलती करने वाले कर्मचारियों को दण्ड देने और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार देने की प्रणाली का पालन किया जाता है।

Shri Shiv Kumar Shastri : Does the figure of 9,24,822 of ticketless travellers who were apprehended during April to September show any increase or decrease in the number of ticketless travellers as compared to the figures of the corresponding period of the last year. Have the Railways been able to estimate the number of ticketless travellers who have escaped detention what is the total amount of fine realised by those ticketless travellers.

श्री टी० ए० पाई : बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 9,14,000 रुपए की राशि न्यायालों द्वारा जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। इस अवधि के दौरान 1,30,481 व्यक्तियों पर मुकद्दमे चलाए गए जबकि पिछले वर्ष ऐसे व्यक्तियों की संख्या 1,14,202 थी। किरायों के रूप में उनसे 35,78,688 रुपए की राशि वसूल की गई पिछले वर्ष यह राशि 32,47,013 थी। अतिरिक्त जुर्माना पिछले वर्ष के 67,51,477 रुपए की तुलना में 74,92,238 रुपए वसूल किया गया। मैं यह ही नहीं बता सकता कि बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्री पकड़ में नहीं आते हैं।

Shri Shiv Kumar Shastri : How far the cooperation of different organisation has helped the Railway to apprehend the ticketless travellers. It may also be stated if the help of students in this regard is utilised against the students or the public as well. When the students are themselves to blame what influence they can have on others.

श्री टी० ए० पाई : यह सुझाव दिया गया था कि कई स्वैच्छिक संगठनों का इस कार्य में सहयोग लिया जाए और हमने भी ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को निरुत्साहित नहीं किया है। वस्तुत: रेलवे जैसी संस्था में यदि उसके कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का अच्छी तरह पालन नहीं करते तो कोई भी अर्थ संगठन उसकी सहायता नहीं कर सकता। अत: मैं तो इसी बात पर जोर दूंगा कि बिना टिकट यात्रा को रोकने की जिम्मेवारी मुख्यत: रेलवे विभाग पर है और यदि कोई गैर सरकारी संगठन इस कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।

जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है इसके लिए तो मैं यह कहूंगा कि पहले शिक्षकों को शिक्षित किया जाए। विद्यार्थी क्यों नहीं टिकट लेकर यात्रा करते। बिना टिकट यात्रा करने वाले विद्यार्थियों की आनुपातिक संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। हरियाणा में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 21.2 प्रतिशत है जबकि गुजरात में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या केवल 2.5 प्रतिशत और पंजाब में 9 प्रतिशत पाई गई है। अत: भिन्न भिन्न राज्य में यह संख्या भिन्न भिन्न है।

Shri Nawal Kishore Sharma: In this drive to apprehend the ticketless travellers the hon. Minister deputed ticket collectors of one division to the other, may I know has this produced any satisfactory results. Did he do so because he had no faith in the ticket collector's in this division. Is the expenditure incurred by the Government on account of T.A. and D.A. in connection with such transfers is more or less that same amount realised from ticketless travellers.

श्री टी० ए० पाई : बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने हेतु अब तक जितना धन व्यय किया गया है इस बारे में मैं कोई निश्चित राशि नहीं बता सकता किन्तु यदि हम ऐसे यात्रियों को पकड़ने की व्यवस्था न करें तो निश्चय ही इनकी संख्या बढ़ जाएगी । , वर्ष 1968-69 में 84,66,870 लोग बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। 1971-72 में ऐसे व्यक्तियों की संख्या घटकर 16,92,440 हो गई। किरायों तथा अतिरिक्त जुर्माने के रूप में ऐसे व्यक्तियों से 1968-69 में 3,40,25,903 रुपए तथा 1971-72 में 2,15,60,000 रुपए की राशि वसूल की गई। इस अवधि के दौरान अर्थात् 1968-69 में यात्रियों से 265,10,00,000 रुपए की आय हुई। 1971-72 में यह राशि बढ़कर 318.52 करोड़ हो गई है। अतः हर तरफ से कुछ कुछ सुधार हुआ है। जो उपाय हमने अपनाए हैं वह निश्चय ही लाभकारी सिद्ध हुए हैं ।

जहां तक टिकट क्लकटरों का सम्बन्ध है हम हर किसी से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह बिना किसी निरीक्षण के अपने कर्तव्य का पालन उचित रूप से करें। यदि कुछ शिकायत की गई है कि वह अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन नहीं कर रहे और यदि इस लिए उनका तबादला किया गया तो इसमें क्या हर्ज है आशा है सरकार ऐसे उपायों का अवश्य समर्थन करेगी ।

Shri Nawal Kishore Sharma: Mr. speaker, Sir my question has not been answered. My question was entirely different. I wanted to know whether on this drive for checking ticketless travellers the hon. Minister posted ticket collectors of one division in other division. Was such a step taken because he had no confidence in the ticket collectors of this division.

Mr. Speaker: There must be some administrative reason.

श्री टी० ए० पाई : मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि क्यों एक डिविजन के टिकट क्लकटरों को दूसरे डिवीजन में भेजा गया। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ प्रशासनिक कारण हो ।

Shri T.D. Kamble: Ticketless travelling has been checked through T.T.E's. However in a number of small stations this is not effective because of various exists at these places. I would like to know what steps Railway Ministry has taken on these stations.

श्री टी० ए० पाई : मुझे यह भी बताया गया है कि कुछ राज्यों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री गाड़ी को स्टेशन से थोड़ी दूर पर जंजीर खींचकर रोक लेते हैं और उतर जाते हैं। हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि काश्न के अतिरिक्त अन्य किन उपायों से इस प्रकार जंजीर खींचने को रोका जा सकता है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि बिना टिकट यात्रा में रेलवे कर्मचारियों का भी हाथ होता है। मंत्री महोदय तो यह भी जानते होंगे कि बिना टिकट यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों को अत्यंत महत्व पूर्ण लोगों (V.I.P.) में से समझा जाता है। क्या इस प्रकार बिना टिकट यात्रा के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाई की गई और क्या उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है ।

श्री टी० ए० पाई : मैं रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में निश्चित सूचना नहीं दे सकता ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रश्न के भाग (ख) में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का उल्लेख किया गया है। मेरा प्रश्न संगत है। यदि मंत्री महोदय अभी इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो उन्हें बाद में इसका उत्तर देने के लिए कहा जाए क्योंकि यह प्रश्न असंगत नहीं है ।

श्री भान सिंह भौरा : क्या सरकार का विचार प्रथम श्रेणी की भांति तृतीय श्रेणी में भी कंडक्टर गार्ड रखने का है ।

श्री टी० ए० पाई : चूंकि हम सभी गाड़ियों को वेस्टी बुल (Vestibule) गाड़ियों में परिवर्तित करने पर विचार कर रहे हैं इसलिए गाड़ियों में जिनमें यात्रियों के लिए पहले ही कम स्थान है, अधिक रेलवे अधिकारी नियुक्त करने कोई लाभ नहीं समझते हैं। मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों से रेलवे के व्यय में वृद्धि होगी ।

केरल में इद्दिकी जल परियोजना का निर्माण

*307. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इदिद्की जल परियोजना के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या निर्माण-कार्य निर्धारित समयावधि के अनुरूप चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और कार्य पूरा किए जाने के संबंध में पुनरीक्षित समयावधि क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग): विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) मुख्य सिविल कार्यों के निर्माण में वास्तविक प्रगति इस प्रकार है :—

क्रम सं०	मद	निहित कुल मात्रा	सितम्बर, 1972 के अन्त तक हुई प्रगति
1.	इदि्दकी बांध (कन्क्रीट)	4.68 लाख एम^3	1.32 लाख एम^3
2.	चेरूथोनो बांध (कन्क्रीट)	17.05 लाख एम^3	6.84 लाख एम^3
3.	कुलामावू (चिनाई)	4.1 लाख एम^3	1.76 लाख एम^3
4.	विद्युत सुरंग	1998 एम	970 एम
5.	सर्ज विस्तार कक्ष	75.6 एम	68 एम
6.	भूगत विद्युत घर कन्क्रीट कार्य	9170 एम^3	2375 एम^3
7.	टेलरेस सुरंग	उत्खनन पूर्ण हो गया	

(ख) दबाव शाफ्ट कार्यों और कुलामावू बांध कार्यों, जोकि अनुसूची से थोड़े से पिछड़े हुए हैं, के अतिरिक्त कार्यों में न्यूनाधिक, संशोधित अनुसूची के अनुसार प्रगति हो रही है। निर्माण के वर्तमान कार्यसूची के अनुसार प्रथम विद्युत-जनन यूनिट दिसम्बर, 1974 तक चालू होनी है इसके उपरान्त 3-3 माह के पश्चात द्वितीय और तृतीय यूनिटें चालू होनी हैं।

(ग) अभी हाल में श्रमिक-कठिनाइयों के परिणामस्वरूप दबाव शाफ्ट के कार्यों में $1\frac{1}{2}$ महीने का और कुछ खानों के कार्य के संबंध में स्थगन आदेश के कारण कुलामावु के कार्यों में एक महीने का विलम्ब हो गया। दबाव शाफ्ट और कुलामावु बांध पर विलम्ब होने के बावजूद भी दिसम्बर 1974 तक प्रथम यूनिट के चालू करने का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव है क्योंकि ये कमियां आने वाले कार्य-काल में पूरी हो सकती हैं।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या राज्य सरकार ने इद्दीकी परियोजना के निर्माण कार्य को चालू रखने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री बैजनाथ कुरील : इद्दीकी परियोजना एक राज्य परियोजना है। केन्द्र से खण्ड ऋण और खण्ड सहायता के रूप में सहायता दी जाती है। केन्द्र द्वारा किसी विशेष योजना को सहायता देने की व्यवस्था नहीं है। किन्तु यदि परियोजना में किसी किस्म की कठिनाई हो रही हो तो केन्द्र द्वारा कुछ सहायता दी जा सकती है। इद्दीकी परियोजना का कार्य पुनरीक्षित निर्धारित अवधि के अनुसार चल रहा है। इसमें सन्देह नहीं है कि इस कार्य में कुछ विलम्ब अवश्य हो रहा है। इसे 1970 में चालू होना था पर अब आशा की जाती है कि 1974 में चालू हो जाएगी। विलम्ब का कारण भूमि के अधिग्रहण तथा नाजायज कब्जा करने वालों की बेदखली था। फिर कुछ श्रमिक समस्या भी रही। काम की

गति को बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए गए हैं केरल के मुख्य मन्त्री के सभापतित्व में एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड बनाया गया है श्रमिकों को कार्य के लिए प्रोत्साहन देने हेतु उनकी मजदूरी 3 रु० 50 पैसे प्रतिदिन से बढ़ाकर 5 रुपए 20 पैसे कर दी गई है। काम की गति बढ़ाने के लिए यही कुछ उपाय अपनाए गए हैं।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या यह सच है कि वहां श्रमिक समस्या का कारण 'हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी' द्वारा श्रमिकों की उचित मांगों तथा अधिकारों को अस्वीकार करना है, यदि हां तो क्या उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई समझौता किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप का प्रश्न संगत नहीं है। यदि मन्त्री महोदय इसका उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बैजनाथ कुरील : मैं बता चुका हूं कि इन समस्याओं का समाधान एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति करेगी।

श्री रामचन्द्र कडनापल्ली : क्या सरकार को मालूम है कि धन की कमी के कारण बड़े उपकरणों के आयात के लिए सीमाशुल्क की तथा ठेकों की अदायगियां करने में विलम्ब हो रहा है जिसके फलस्वरूप परियोजना के निर्माण को पूरा करने में देरी हो रही है?

श्री बैजनाथ कुरील : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : राज्य सरकार तथा राज्य बिजली बोर्ड ने वर्ष 1972-73 के लिए 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने को कहा था परन्तु केन्द्र सरकार ने केवल 11 करोड़ रुपए ही दिए हैं। क्या सरकार इस वर्ष तीन करोड़ रुपए और देगी ताकि ठेकेदारों तथा अन्य को अदायगी की जा सके जिससे कि कार्य निर्धारित समयानुसार पूरा हो सके?

श्री बैजनाथ कुरील : जी हां, केरल सरकार ने 3 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मांगी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

पर्वतीय स्थलों के लिए बिना किसी प्रतिबन्ध के रियायती टिकटें जारी करना

***308. श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय स्थलों के लिए मौसम सम्बन्धी किसी प्रतिबन्ध के बिना रियायती टिकटें जारी करने का एक सुझाव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उक्त सुझाव के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह क्या है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): पर्यटन विकास परिषद ने अक्तूबर, 1972 को गोवा में हुई अपनी बैठक में सुझाव दिया था कि पहाड़ी स्टेशनों के रियायती टिकट मौसम के प्रतिबन्ध के बिना जारी किये जाने चाहिए। इस रियायत का वाणिज्यिकी औचित्य नहीं है। यह सुझाव स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपनी वर्तमान वीत्तीय कठिनाइयों के संदर्भ में रेलें रियायतों का क्षेत्र-विस्तार भी नहीं कर रही हैं।

Shri E.V. Vikhe Patil : What is the difficulty for the Railways in agreeing to this concession and how much loss would they incur as a result thereof? If the Railways issue the concessional tickets throughout the year, the rush in the trains during the summer would decrease and the passengers would get comforts and facilities. How does it harm the Railways?

श्री टी० ए० पाई : रेलवे विभाग अपनी आय बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है ताकि देश के सामान्य राजस्व में वृद्धि हो। रियायतों की मांग बढ़ती जा रही है। मांगों को हमेशा तो स्वीकार नहीं कर सकता। जहां तक पर्वतीय स्थलों का सम्बन्ध है, हम समझते हैं कि व्यस्त ऋतु के दौरान कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उधर जाने वाली

गाड़ियों में भारी भीड़ होती है। फिर सब लोग होटलों के भारी बिल अदा करने को तैयार हैं तो वे पूरे टिकट की अदायगी भी कर सकते हैं। यदि ग्राफ-सीजन में रियायती टिकट जारी किये गए तो भी इसकी कोई गांरटी नहीं है कि लोग अवश्य ही यात्रा करेंगे। दूसरी ओर, यात्रा करने की आदत वाले लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। फिर भी कुछ विशिष्ट रेल मार्गों पर वाणिज्य के आधार पर हम इस प्रश्न पर विचार करने को तैयार हैं यदि उससे रेलवे के राजस्व में वृद्धि होती हो।

Shri E.V. Vikhe Patil : Issuance of concessional tickets throughout the year would guarantee more revenues to the Railways. What is the harm if the people pay money duiing the whole year ?

Mr. Speaker : Let the hon. Minister note the suggestions, being given by the hon. Member.

श्री टी० ए० पाई : यदि हम शरद् ऋतु में भी रियायती टिकट जारी करें तो भी इस ऋतु में कोई भी पर्वतीय स्थलों की यात्रा नहीं करना चाहेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या ग्रीष्म ऋतु में भी रियायत देना बन्द करने का रेलवे मन्त्रालय ने निर्णय कर लिया है ?

श्री टी० ए० पाई : जी नहीं। वर्तमान रियायतें जारी रहगी।

Representative of Staff of Signal and Telecommunication Department on the Housing Committee of Railways.

***309. Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether any employee of the Signal and Telecommunication Department has been included in the Housing Committee of Railways to represent the Department; and

(b) if not, the reasons therefor ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): कुछ मामलों में आवास समितियों में मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधि शामिल किये गए हैं ताकि वे सिगनल और दूर-संचार विभाग सहित सभी विभागों के हितों की देख-रेख कर सकें

Shri Mahadeepak Singh Shakya : The hon. Minister has stated that in some cases, the representatives of recognised Unions have been included in the Housing Committees. I want to know the names of those Unions and the respective Railways to which they belong.

श्री टी० ए० पाई : विभिन्न रेलवेज में प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली एक समान नहीं है। यह एक ऐतिहासिक विडम्बना ही है कि प्रत्येक रेलवे की अपनी निजी प्रणाली है। यदि यह बताया जाये कि किसी विशिष्ट विभाग के प्रतिनिधि को कहीं शामिल नहीं किया गया है तो यह बहुत संभव है कि दूरसंचार तथा सिगनल विभाग को भी प्रतिनिधित्व दिया गया होगा। हम उन्हें विशिष्ट प्रकार का कार्य करने के नाते विशिष्ट प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। किसी भी क्षेत्र में बहुमत वाले लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तथा कुछ लोगों को मनोनीत भी किया जाता है। कुछ रेलवेज में निर्मित किये गए आवास विभिन्न श्रेणियों को आबंटित किये जाते हैं और उनके प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है जिन्हें विभिन्न अनुभागों उक्त आवासों का आबंटन करने की अनुमति होती है। यदि मुझे यह बताया जाए कि इसके फलस्वरूप किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय हुआ है तो मैं उसकी जांच करूंगा।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : Is it true that the Unions whose representatives have been included are not fully qualified according to the rules whereas many others who duly ful-fill all the rules of the Railways are not included? Is it due to some political consideration that they have not been given place? Would an hon. Minister look into it and ensure that they are given justice?

श्री टी० ए० पाई : मैं तो प्रश्न ही नहीं समझ सका। मैंने कहा है यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है **और यदि** माननीय सदस्य मुझे बतायें तो मैं उसकी जांच करूंगा।

सिंदरी उर्वरक कारखाने का आधुनिकीकरण

***310. श्री भान सिंह भौरा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंदरी उर्वरक कारखाने का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) आधुनिकीकरण कार्यक्रम में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) से (ग): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बढ़े हुए उत्पादन से इस संयन्त्र के कार्यकरण की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए (अल्पकालीन एवं दीर्घ-कालीन दोनों) कई उपाय अपनाए गए या अपनाए जा रहे हैं। इस पुराने संयन्त्र के विभिन्न खण्डों की मरम्मत एवं नवीकरण के अतिरिक्त, सिंदरी में ट्रिपल सुपरफास्फेट के उत्पादन के लिए एक योजना कार्यान्वियन की जा रही है। यह योजना प्राकृतिक जिप्सम जिसके गुणवगुण और प्रदाय कठिनाई पेश कर रहे हैं, की निर्भरता को समाप्त करेगी और अमोनिया सल्फेट के उत्पादन के लिए उपोत्पाद जिप्सम की नियमित सप्लाई को भी सुनिश्चित करेगी। इस योजना तथा संदर्भित नवीकरण पर भी किया गया व्यय लगभग 15 करोड़ रुपए है।

2. क्योंकि ये उपाय कुछ सीमा के बाद इस संयन्त्र के कार्यकरण की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए स्वयं भी समर्थ नहीं होंगे, एक बड़े पैमाने पर विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने का विचार है। यह योजना जो नाइट्रोजन के उत्पादन की क्षमता को प्रतिवर्ष लगभग 90,000 मीटरी टन से लगभग 2,55,000 मीटरी टन तक बढ़ाएगी, सिन्दरी में इस समय कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे कोक/कोकभट्टी गैस के स्थान पर भारी पेट्रोलियम अवयवों के रूप में कच्चेमाल पर आधारित होगी। इस योजना पर लगभग 96 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

श्री भान सिंह भौरा : विवरण में बताया गया है कि: "इस पुराने संयन्त्र के विभिन्न खण्डों की मरम्मत एवं नवीकरण के अतिरिक्त, सिंदरी में ट्रिपल सूपर फास्फेट के उत्पादन के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।" क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त समूची योजना कब तक पूरी हो जायेगी।

श्री एच० आर० गोखले : जैसा कि माननीय सदस्य ने देखा होगा सिंदरी की समस्या को दो तरीके से हल किया जा रहा है। एक तरीका तो तात्कालिक उपाय करने का है अर्थात् जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, वर्तमान उपकरण को ही और अधिक अच्छी तरह उपयोग में लाना है। यह योजना जिसमें ट्रिपल सुपर फास्फेट का उत्पादन शामिल है, वर्ष 1974 के मध्य तक पूरी हो जायेगी।

श्री भान सिंह भौरा : क्या मशीनरी खरीदने के लिए बलगारिया को क्रयादेश दिये गए थे, और यदि हां, तो उक्त मशीनरी कब तक भेज दी जायेगी ?

श्री एच०आर० गोखले : वर्तमान मशीनरी को ही उचित रूप से उपयोग में लाने की योजना आरम्भ की जा चुकी है और हमें आशा है कि यह वर्ष 1974 के मध्य तक पूरी हो जायेगी।

श्री ए०पी० शर्मा : यह समझा जाता है कि अनेक प्रकार के उर्वरकों का विदेशों को निर्यात किया जा रहा है। क्या उक्त निर्यात से पूर्व हमारी अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या केवल मशीनरी तथा उत्पादन प्रक्रियाओं का ही नवीकरण किया जायेगा या कि प्रबन्ध प्रक्रिया का भी किया जायेगा

श्री एच०आर० गोखले : इस समय तो नवीकरण से अभिप्राय नए उपकरण तथा नई मशीनरी प्राप्त करना तथा उत्पादन की प्रक्रिया का नवीकरण करना है जो कि संभवतः तीन या चार वर्ष में हो जायेगा।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that most of the goods imported for Sindri plant are lying waste and unused; and also that now in the name of modernisation, the Government propose to import more items and that the present goods would go waste? May I know whether the hon. Minister propose to augment the production by modernising the human beings itself?

श्री एच०आर० गोखले : जैसा कि मैंने कहा है कि सिंदरी की समस्या को दो स्तरों पर हल करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो तात्कालिक उपाय द्वारा जिसके अन्तर्गत काफी पुराने हो गए साज व सामान को ठीक-ठाक कराके उसे उपयोगी बनाना है। इसके लिए हमें तात्कालिक उपाय करने हैं ताकि उत्पादन में शीघ्र ही वृद्धि हो।

दूसरी कार्यवाही नवीकरण करने की है जिसका अर्थ है उपकरण को पूरी तरह नया रूप देना। इसमें काफी समय लगेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किसी आयातित मशीनरी को अस्वीकार किया जा रहा है।

Shri Bibhuti Mishra : My question has not been replied to. There are disputes among officers and also strikes. The Government is unable to rectify the situation and are wasting a lot of imported equipment. It is the question of modernising human beings.

Sir, My question has also not been answered as to what efforts have been made to set right that machinery of those human beings who are creating quarrels and disputes and destroying the factory? Virtually it is need of modernising the human beings.

Mr. Speaker : Mishraji, human beings are getting spoiled everywhere. To what extent can you correct them?

श्री ए०पी० शर्मा : क्या मन्त्री महोदय ने यह ध्यान रखा है कि उपकरणों तथा मशीनरी का आधुनिकीकरण करते समय मजदूरों के हितों की भी रक्षा की जाए? इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री एच०आर० गोखले : मजदूरों के हितों का तो निश्चय ही ध्यान रखा जाता है। एक दृष्टिकोण तो यह था कि क्योंकि दो तीन वर्षों से भारी हानि हो रही है, अतः वाणिज्यिक दृष्टि से तो इस एकक को बन्द कर दिया जाना चाहिए। परन्तु इसको बन्द न करने का एक प्रमुख कारण यही है कि यहां रोजगार की भारी क्षमता है तथा इसे बन्द करने से कहीं 4,75,000 कर्मचारी बेरोजगार न हो जाएं। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कारण हैं। हम मजदूरों के हितों का ध्यान रखेंगे।

Loss caused to Railway Stations in Punjab as a sequel to Police firing on Students in Moga

***311. Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of Railway Stations in Punjab set on fire as a sequal to Police firing on students in Moga; and

(b) the extent of loss suffered by Railways as a result thereof?

रेल मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) छात्रों के उपद्रव के कारण अक्तूबर, 1972 में पंजाब के गजरांव, टांडा उर्मर, डगरू अजीतवाल, जैतो, अहमदगढ़, नकोदर, मलोट, थाबलके, खोजेवाला, मंदाली, कुप, काला बकरा, सदासिंहवाला, मैसर खाना और फूस मण्डी रेलवे स्टेशनों को आग लगायी गयी थी।

(ख) रेलों को लगभग 2,41,500 रुपए की प्रत्यक्ष हानि होने का अनुमान है।

Shri Ishwar Chaudhry : In view of the statement pertaining to firing on the students and to the loss amounting to Rs. 2,41,500 caused to the various railway stations I would like to know the nature of enquiry. Secondly, I would like to know the reason for which such agitation cause loss to the Railway department.

Mr. Speaker : You don't know the reasons so far.

Shri Ishwar Chaudhry : I have come to know that Government did not carry out their assurances given to the students as a result of which there is growing unrest among the students and they are manifesting it in this way. I want to know as to how could you estimate that Railway Department suffered a loss of Rs. 2,41,500. May I also know the reasons of this sobatage.

श्री टी० ए० पाई : मैं समझ ही नहीं पाया कि वास्तव में माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं। यदि वह यह जानना चाहते हैं कि इस हानि को किस प्रकार पूरा किया जाए तो सदन मेरी इस बात का समर्थन करेगा कि इस राशि को उन्हीं स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों से अधिभार के रूप में वसूल किया जाए जिससे हम उन स्टेशनों को पुनः बना सकें। कल ही एक अन्य घटना हुई है। मैसूर में विद्यार्थियों ने बीजापुर स्टेशन को नष्ट कर दिया है। यदि सम्पत्ति को नष्ट करना ही अहिंसा माना जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति का सम्बन्ध नहीं है तो रेलवे की सम्पत्ति नष्ट की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि रेलवे स्टेशनों के बाहर ऐसे बड़े-बड़े पोस्टर लगाये जाएं जिसपर यह लिखा हो कि रेलवे आप की सम्पत्ति है तथा राष्ट्र की सम्पत्ति है, तो अधिक उपयुक्त होगा।

Shri Inderjit Gupta : If you say Railway is your property, people will take away all the things there.

श्री वसन्त साठे : यदि आप कहते हैं कि यह आप की सम्पत्ति है तो लोग कहेंगे कि फिर हमें इसको नष्ट करने का पूरा अधिकार है।

Mr. Speaker : They cannot put trains in their pockets.

Shri Ishwar Chaudhry: In view of the fact that in these days Railway property is destroyed may I know whether the officers of Railway Department would try to evolve certain remedial measures in consultation with the officers of the Ministry of Home Affairs to see that in future Railway property is not destroyed?

श्री टी० ए० पाई: मैं सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि रेलवे अधिनियम में संशोधन किया जाए जिससे रेलवे की सम्पत्ति को नष्ट करने वालों को कठोर दण्ड दिया जा सके। किन्तु जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है इस का भी तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक जनता को यह न समझाया जाए कि यह सम्पत्ति देश के गरीब से गरीब व्यक्ति की है तथा इसे नष्ट करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।

श्री राम सहाय पांडे खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय: आप घंटे भर से खड़े हुए हैं अतः आप को बोलने की अनुमति देनी ही पड़ेगी।

श्री राम सहाय पांडे: धन्यवाद, महोदय। क्या रेल मन्त्री कोई ऐसी योजना बना रहे हैं कि वह अपने फोटोग्राफ सहित ऐसे पोस्टर लगवाएं जिनमें यह लिखा हो कि "सम्पत्ति को नष्ट न करें अन्यथा हमें संसद में इसका उत्तर देना पड़ेगा ?"

श्री टी० ए० पाई : यदि इससे कोई लाभ हुआ तो मैं अवश्य इस सुझाव को स्वीकार करूंगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संसद-सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपने नैतिक बल का प्रयोग करना चाहिए।

Shri Shankar Dayal Singh : It is written in the Railways that 'Indian Railway is the property of the people' but of no use. May I know whether in the incidents of subversion and arson taken place in Punjab recently reportedly done by the students certain political parties were also involved?

Mr. Speaker: How can he be aware of these things? You should ask this question from the Home Minister.

Shri Shankar Dayal Singh: I wanted to know whether certain political parties were involved in those incidents?

Mr. Speaker: Let him not go in these things.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी: आंध्र प्रदेश में जब रेलवे स्टेशनों को लूटा गया और जलाया गया तो भीड़ पर गोली चलाई गई। क्या पंजाब में भी इसी प्रकार गोली चलाई गई ?

अध्यक्ष महोदय: क्या आप यही चाहते हैं...... मुझे खेद है।

हल्दिया में सोडा ऐश के उत्पादन के लिए कंटाई लवण का कच्चे माल के रूप में उपयोग

***313. श्री समर गुह:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हल्दिया में सोडा ऐश के उत्पादन के लिए कंटाई लवण का कच्चे माल के रूप में उपयोग करने का विचार है क्योंकि वह आसानी से उपलब्ध हो सकता है और सस्ता भी है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) और (ख): भारतीय उर्वरक निगम के हल्दिया स्थित सोडा ऐश संयन्त्र के लिये लवण की आवश्यकताओं का अनुमान प्रतिवर्ष 100,000 मीटरी टन है। पश्चिमी बंगाल के कंटाई क्षेत्र में लवण का उत्पादन इस आवश्यकता से बहुत ही कम है और स्थानीय खपत के लिए देश के अन्य क्षेत्रों से पश्चिमी बंगाल में बड़ी मात्राओं में लवण आयात किया जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने कंटाई क्षेत्र में लवण का उत्पादन बढ़ाने की एक योजना बनाई थी, किन्तु इससे पर्याप्त मात्राओं में उत्पादन होने की संभावना नहीं है। तथापि, भारतीय उर्वरक निगम सोडा ऐश संयन्त्र के लिए बहुत तुलनात्मक आधार पर लवण प्राप्त करेगा बशर्ते कि किसी भी स्थान से सप्लाई की स्थिति निश्चित हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब। बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछिये। प्रश्न काल समाप्त हो चुका है तथा बहुत बड़े प्रश्न न करिए जैसाकि आप प्रायः करते हैं।

श्री समर गुह: क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में 2.60 लाख टन नमक की खपत है तथा हल्दिया सोडा ऐश संयंत्र के चालू होने के बाद इसकी खपत को बढ़ाकर 3.6 लाख टन किया जा सकता है? डा. बी. सी. राय ने एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की थी। फ्रांस के विशेषज्ञों की इस समिति ने कहा था कि कंटाई के नमक के उत्पादन में 2 लाख टन की वृद्धि की जा सकती है। यदि यह सच है, तो नमक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री एच० आर० गोखले : पश्चिम बंगाल में 2.60 लाख टन नमक नहीं वरन् 4 लाख टन नमक की आवश्यकता है। मैं यह नहीं जानता कि उस मामले की जांच फ्रांस के विशेषज्ञों ने की थी अथवा किसी और ने। इस कार्य के विस्तार की सम्भावनाओं के बारे में राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उसने सोचा था कि इसमें बहुत बाधाएं उपस्थित होंगी।

श्री समर गुह: क्या यह सच है कि भूतपूर्व मंत्री डा० सेन ने एफ० सी० आई को यह आदेश दिए थे कि कंटाई क्षेत्र में नमक उत्पादन के कार्य का विस्तार किए जाने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाए, यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री एच० आर० गोखले : भूतपूर्व मंत्री ने सारे मामले की जांच करने का निदेश दिया था तथा मेरे विचार से माननीय सदस्य को भी उस सम्बन्ध में बता दिया गया था।

श्री समर गुह: उसके पश्चात कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

River Valley Project Schemes from Madhya Pradesh

*303. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted some new river valley projects under the category of Centrally sponsored schemes to the Central Government for their approval;

(b) If so, the salient features of the said projects: and

(c) the stage at which they stand at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel): (a) to (c): Irrigation is a State subject and there is no centrally sponsored scheme of irrigation.

The Government of Madhya Pradesh have proposed Narmada-sagar, Bargi, Sukta and Bichhia tank schemes in Narmada basin for inclusion in the developmental plans of the State. It is expected that the water disputes of this basin will be resolved shortly, when these projects will be considered for clearance.

The State Government have also proposed the Upper Wainganga, Nahlesara and Waghya Nalla schemes in Godavari basin. Consideration of these would have to await the award of the Godavari Water Disputes Tribunal.

The Bansagar project in the Sone Basin proposed by the State has been objected to by the Governments of Uttar Pradesh and Bihar and the project is under discussion amongst the States in order to evolve proposals likely to be acceptable to all the States.

An agreement about the distribution of waters of Rangawan Dam in the Ken basin has been reached and the project as modified in the light of the agreement is awaited.

The technical examination of the Pairi irrigation scheme in Mahanadi basin has been completed and it is likely to be considered by the Advisory Committee of Planning Commission in the near future.

The Hasdeo (Bango) project proposed in the Mahanadi basin is under technical examination.

दक्षिण पूर्व रेलवे में सबसे लम्बी गाड़ी चलाना

*305. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे का विचार दक्षिण पूर्व रेलवे में सबसे लम्बी गाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी कब से चलाई जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई०) : (क) और (ख): लम्बी गाड़ियों द्वारा लौह अयस्क की दुलाई के लिए एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है और सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही मुख्य मुख्य बातों का पता चलेगा और विनिश्चय किया जाएगा ।

बम्बई और दिल्ली के पैट्रोलियम प्रोडक्टस डीलर्स एसोसियेशन की मांगें

***306. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम प्रोडक्टस डीलर्ज एसोसियेशन आफ बम्बई एण्ड दिल्ली का एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में उनसे मिला था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और उनपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) जी हां।

(ख) उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) कि भारतीय तेल निगम लुब्रीकेटिंग तेलों का विपणन उन सभी व्यापारियों को करे जो पहले इन्हें भारतीय तेल निगम से खरीदते थे और यदि संभव हो तो इनकी सप्लाई प्रत्येक व्यापारी जो इन्हें चाहता हो, को की जाए ताकि छोटे से छोटे व्यापारी को सम्मलित करते हुए बड़ी संख्या में व्यापारी लाभान्वित हो सकें।

(2) कि ट्रांसफार्मर आयल, पैट्रोलियम जैली, कटिंग आयल्ज, स्विच आयल्ज, हाईड्रोलिक फलुइडज आदि विभिन्न उत्पादों के प्रक्रिया करने वालों एंव निर्माताओं को इस प्रयोजन के लिए वेस आयल्ज की सप्लाई होनी चाहिए।

भारतीय तेल निगम तथा भारतीय पैट्रोलियम संस्थान के परामर्श से उपरोक्त मांगों की जांच की जा रही है।

कानून म त्रुटियों क कारण केन्द्र-राज्य विवाद

***312. श्री वरके जार्ज :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्ज" में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, श्री हिदायतुल्ला द्वारा दिए गये "फ्लाज इन स्टेच्यूट काज सेन्टर-स्टेट रिफ्ट" (कानून में त्रुटियों के कारण केन्द्र राज्य विवाद) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) और (ख): सरकार ने सम्बन्धित प्रैस रिपोर्ट देखी है। सरकार, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति के वक्तव्य पर अपने विचार प्रकट करने से पूर्व, उनके द्वारा दिए गए भाषण के पूर्ण पाठ का, उसके उपलब्ध होने पर, अध्ययन करना चाहेगी।

न्यायाधीशों के लिए ओरियन्टेशन कोर्स तथा विधायकों क लिए प्रशिक्षण

***314. श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग के एक सदस्य न्यायाधिपति वी० आर० कृष्ण अय्यर ने न्यायाधीशों के लिए ओरियन्टेशन कोर्स का सुझाव दिया है जिससे वे सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों से स्वयं को परिचित रख सकें ;

(ख) क्या उन्होंने विधायकों के लिए भी कुछ तकनीकी प्रशिक्षण का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) और (ख): जी हां।

(ग) न्यायाधिपति वी० आर० कृष्ण अय्यर की राय प्राइवेट मीटिंग में व्यक्त की गई उनकी निजी राय थी। सरकार ने उपर्युक्त सुझावों में से किसी पर अभी विचार नहीं किया है।

राजस्थान नहर के लिए विश्व बैंक की सहायता

***315. श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर और चम्बल परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता के संबंध में विश्व बैंक के एक दल ने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख): 30 अक्तूबर, 1972 को विश्व बैंक कमान क्षेत्र विकास तथा सिंचाई सर्वेक्षण का एक दल ऐसी परियोजनाओं का पता लगाने भारत आया था जिनको अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि से धन की व्यवस्था के लिए लिया जा सके। नई दिल्ली में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ अपनी प्रारंभिक बैठक के पश्चात उन्होंने चम्बल और राजस्थान नहर कमान क्षेत्रों का दौरा किया। अपने क्षेत्रीय दौरों से वापस आने पर दल ने विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए आवश्यक आंकड़ों को एकत्र करने के निमित्त एक प्रश्नावली दी थी। विश्व बैंक ने अभी तक राजस्थान नहर अथवा चम्बल के कमान क्षेत्र के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं की है। विश्व बैंक दल की प्रश्नावली के अनुसार राज्य सरकार जब परियोजना रिपोर्टें तैयार कर लेगी तब भारत सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात विश्व बैंक को उनके विचारार्थ भेजी जाएगी।

कांडला तेल शोधक कारखाने में रुस्तम क्रूड तेल का उपयोग

***316. श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में तेलशोधक कारखानों के लिए जिस दर पर अशोधित तेल का आयात किया जाता है उससे भी कम दर पर रुस्तम क्रूड अब भी बेचा जाता है :

(ख) क्या रुस्तम क्रूड का उपयोग करके नेपथा ईंधन, मिटटी का तेल तथा अन्य तेल उत्पादन के उत्पादन के लिए, जिनकी देश में कमी है, कांडला में 10 लाख टन की क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना लगाने का विचार है; और

(ग) बढ़ती हुई आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए रुस्तम क्रूड का पूरा उपयोग करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ग): रुस्तम क्रूड की मूल क्षमता के अभिलक्षणों की व्यवस्था करने के पश्चात विदेशी बाजारों में बेचे जा रहे रुस्तम क्रूड आयल क मूल्यों, भारत में शोधनशालाओं के लिए आयात किये जा रहे क्रूड आयल के मूल्यों के तुल्य है। क्योंकि भारत को उपलब्ध इस क्रूड आयल का अंश पहले ही प्रयोग किया जा रहा है और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही हैं जो विदेशी मुद्रा अन्य बातों के साथ साथ भारतीय शोधनशालाओं के लिए अशोधित तेल के आयात के लिए प्रयोग की जा रही विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की कुल उपलब्धि में वृद्धि करती है; यह नहीं कहा जा सकता कि तेल उत्पादों की बढ़ती हुई आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए इस अशोधित तेल के आयात न करने से कोई कठिनाई अनुभव की जा रही है।

(ख) कांडला में एक मिलियन मीटरी टन की शोधनशाला की स्थापना के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूमि की प्रस्तावित अधिकतम सीमा की दृष्टि से उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन

***317. श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में प्रस्तावित कानूनों की दृष्टि से, उत्तराधिकार अधिनियम में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में वांसपानी-जखापुरा रेलवे लाईन

***318. श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषतया दैतारी खानों से पारादीप तक लौह अयस्क की ढुलाई के व्यय को कम करने के लिय उड़ीसा में वासपानी जखा पुरा रेलवे लाइन के निर्माण हेतु कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री टी०ए०पाई) : (क) और (ख): योजना आयोग के सलाहकार की अध्यक्षता में योजना आयोग, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम, इस्पात और खान (खान विभाग) मंत्रालय, रेलवे, परिवहन और जहाजरानी और उड़ीसा खनन निगम के प्रतिनिधियों का एक अध्ययन दल स्थापित किया गया है जो **अवस्थापना** विकास के संबंध में, खासतौर से हल्दिया और पारादीप बन्दरगाह की सुविधाओं के विकल्पों और वासपानी से हल्दिया तक रेलवे लाइन के उपयोग की सापेक्ष अर्थवता तथा पारादीप होकर वासपानी से जखापुरा तक नई लाइन बिछाने के सन्दर्भ में जांच करेगा। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । जब इस अध्ययन दल की सिफारिशें उपलब्ध हो जायेंगी और सरकार द्वारा मंजूर कर ली जायेंगी उसके बाद ही रेलवे द्वारा इस रेल सम्पर्क के निर्माण के संबंध में आगे विचार किया जायेगा ।

रेलवे इंजीनियरों तथा तकनीशनों के लिए अनुरोध करने वाले देश

***319. श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कुछ अन्य देशों से रेलवे इंजीनियरों तथा तकनीशनों के भेजने का अनुरोध प्राप्त हुआ है जो उन देशों में विभिन्न रेल परियोजनाओं का कार्य आरम्भ करने में उनकी सहायता कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सब देशों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी०ए०पाई) : (क) और (ख) : जी हां । रेलों ने ईरान, नाइजीरिया, जाम्बिया और घाना जैसे विभिन्न देशों को वहां की संबंधित सरकार के अनुरोध पर या संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से विशेषज्ञ भेजे हैं । आजकल दो अनुरोध आये हुए हैं, एक तो इराक की सरकार से वहां की एक रेलवे परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए और दूसरा गियाना की सरकार से उस देश के लिए सवारी डिब्बों, मालडिब्बों और इंजनों की आवश्यकताओं का आकलन करने के उद्देश्य से एक भारतीय रेलवे दल भेजने के लिए ।

ईराक द्वारा कच्चे तेल तथा गंधक की बढ़ी हुई मात्रा में सप्लाई किया जाना

***320. श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री श्रीकृष्ण मोदी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक बढ़ी हुई मात्रा में कच्चा तेल और गंधक सप्लाई करेगा;

(ख) क्या किसी नए आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) कच्चे तेल तथा सल्फर की अधिक मात्राओं के आयात की संभावनाओं के बारे में ईराकी शिष्ट मडल, जिसने अक्तूबर, 1972 में भारत का दौरा किया था, के साथ बातचीत की गई है । इस विषय पर और बातचीत किये जाने की संभावना है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में भर्ती

2992. श्री रौबिन ककोटी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं में ऐसे कुल कितने व्यक्ति भर्ती या नियुक्त किये गये जिनका वेतन 500 रुपये प्रति मास से कम है; और

(ख) उनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनकी मातृभाषा हिन्दी, बंगला और असमिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): पिछले तीन वर्षों में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में श्रेणी III और श्रेणी IV के संवर्ग में विभिन्न कोटियों की सेवाओं में नियुक्त अथवा भर्ती किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या और उनमें से जिन व्यक्तियों की मातृभाषा हिन्दी, बंगला और असमिया है, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	श्रेणी III और IV में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	उनमें से जिन व्यक्तियों की मातृभाषा हिन्दी, बंगाली और असमिया है, उनकी संख्या
1969	406	379
1970	1248	1166
1971	2240	2141

कलपक्कम अणु शक्ति केन्द्र से पड़ोसी राज्यों को बिजली का वितरण

2993. श्री वयालार रवि : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार के परामर्श से कलपक्कम अणु शक्ति केन्द्र के पूरा हो जाने पर वहां से पड़ोसी राज्यों को बिजली का वितरण करने की विधि के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है और उसके अन्तर्गत केरल को कितनी बिजली प्राप्त होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख): जी, हां। कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र की प्रथम यूनिट का समस्त उत्पादन तमिल नाडु द्वारा उपयोग किया जाना था। यह हिसाब लगाया गया कि द्वितीय यूनिट के उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग तमिल नाडु ने उपयोग करना था और शेष 50 प्रतिशत को क्षेत्र के अन्य राज्यों द्वारा उपयोग हेतु दक्षिणी ग्रिड को दिया जाना था। तमिल नाडु के मुख्य मन्त्री ने अब अभ्यावेदन दिया कि उनके राज्य को कल्पक्कम विद्युत केन्द्र की समस्त विद्युत की आवश्यकता है। अतएव उनके लिए क्षेत्र में अन्य राज्यों के उपयोग के लिए विद्युत वितरण हेतु सहमत होना संभव नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कम्पनी को बिजली की सप्लाई

2994. श्री विश्व नाथ झुनझुनवाला : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने हिन्दुस्तान एल्युमोनियम कम्पनी को उसकी अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के लिए प्रति यूनिट चार पैसे की दर से अतिरिक्त बिजली सप्लाई करने का वचन दिया था जो बोर्ड ने अभी तक पूरा नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार उक्त संयन्त्र को उपरोक्त दर पर बिजली की सप्लाई कराने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचना दी है कि उन्होंने हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कम्पनी को 4 पैसे यूनिट पर अतिरिक्त विद्युत सप्लाई करने के लिए कोई वचन नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केदार बाग, रोहतक रोड, दिल्ली-35, में बिजली लगाने की योजना

2995. श्री हरी सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री केदार बाग, रोहतक रोड, दिल्ली-35, में बिजली लगाने की योजना के बारे में 8 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1201 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केदार बाग (मदान पार्क और चून्नामल पार्क) में बिजली सप्लाई सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस कारण अत्यधिक असुविधा पहुंचाने पर सम्बन्धित एजेंसियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस कार्य को अब कब तक कर लिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) से (ग): केदार बाग (मदन पार्क और चूनामल पार्क) के ग्राम विद्युतीकरण के कार्य में, जिसके अक्तूबर, 1972 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा थी, खम्बों की सप्लाई के न होने के कारण रुकावट आ गई।

(घ) खम्बों को प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं और अब, कार्य के लगभग दो माह के अन्दर पूर्ण हो जाने की आशा है।

माल शेडों में स्थान किराय पर लेने की सुविधाएं

2996. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल पर लगने वाले विलम्ब-शुल्क (डेमरेज) में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने मालगोदामों में माल रखने के लिये स्थान किराये पर लेने की सुविधायें बढ़ाई हैं ताकि माल मंगाने वाले रेल के डिब्बे शीघ्र खाली कर सकें।

(ख) क्या इस समय उपलब्ध सुविधाओं से व्यापारिक आवश्यकताएं पूर्णतः पूरी होती हैं; और

(ग) माल गोदामों और मालशैडों में स्थान किराये पर देने की कोई योजना तैयार की गई है, यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और यदि ऐसी किसी योजना का प्रस्ताव नहीं है तो क्या ऐसी कोई योजना बनाई जायेगी और उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) : विलम्ब-शुल्क की दरें इसलिए बढ़ायी गयी हैं ताकि परेषक/परेषिती द्वारा माल शीघ्र लादा/उतारा जाये और डिब्बे शीघ्र मुक्त हो सकें। व्यापारियों से आशा की जाती है कि वे अपने माल को अपने ही गोदामों में रखें। रेलें मालगोदाम या गोदाम किराये पर नहीं उठातीं। ऐसा करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी, जिन स्टेशनों पर खुली जमीन उपलब्ध है, वहां व्यापारियों से प्राप्त होने वाले माल यातायात की मात्रा का विचार करके उन्हें वह जमीन पट्टे पर दे दी जाती है।

रेलें भेजे जाने के लिए बुक किये गये माल और सुपुर्दगी की प्रतीक्षा में उतारे गये माल को रखने के लिए मालगोदामों की व्यवस्था करती हैं। ऐसे मालगोदामों में स्थान का निर्धारण आमतौर से सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा और किस्म के आधार पर किया जाता है न कि स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क की दरों के आधार पर।

राजस्थान के लिए बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं

2997. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने चालू वर्ष के लिए कोई बड़ी/मध्यम सिंचाई योजनायें प्रस्तुत की थीं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई और कितनी प्रदान की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : इस वर्ष के दौरान, राजस्थान सरकार से कोई नई वृहत्/मध्यम सिंचाई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है ।

राजस्थान में सिंचाई

2998. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने एकड़ भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और कितने प्रतिशत भूमि ऐसी है जिस पर खेती के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उस राज्य में कितनी असिंचित भूमि के लिये सिंचाई सुविधायें उपलब्ध किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में राजस्थान में 14.26 मिलियन हैक्टेयर कुल फसली क्षेत्र में से, बृहत्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई शक्यता 2.44 मिलियन हैक्टेयर थी । चौथी योजना के अंत तक, इसके 2.7 मिलियन तक बढ़ जाने की संभावना है ।

डिवीजन कार्यालयों की कार्मिक शाखा (पर्सोनल ब्रांच) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

2999. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे कार्यालयों को अनुदेश दिये थे कि डिवीजन कार्यालयों में कार्मिक शाखा के कर्मचारियों को दो या तीन वर्षों में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में इस निरोधक उपाय के रूप में स्थानान्तरित किया जाये कि वे कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिए भ्रष्टाचार और कदाचार का सहारा न लेने लगें; और

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन में अधिकारीगण इन अनुदेशों का पालन करते हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : इस आशय के अनुदेश हैं कि जहां तक सम्भव हो हर दो या तीन वर्ष पर कर्मचारियों को एक खण्ड से दूसरे खण्ड पर स्थानान्तरित कर दिया जाए । प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन अनुदेशों का पालन किया जाता है ।

बम्बई गैस में वैध लूट

3000. श्री वयालार रवि : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 1972 के "बिलट्ज" में "बम्बई गैस में वैध लूट" (लिगेलाइज्ड राब्बरी इन बोम्बे गैस) शीर्षक में छपे समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) जी हां ।

(ख) यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है और भारत सरकार कोई कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है ।

केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता

3001. श्री वयालार रवि : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केरल को गत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) चौथी योजना की शेष अवधि में कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : जुलाई, 1969 में ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अपनी स्थापना से अब तक केरल की 10 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं, जिनमें 451.666 लाख रुपये की ऋण सहायता से 290 ग्रामों का विद्युतीकरण, 5920 पंप सैटों का ऊर्जन और 923 लघु तथा कृषि उद्योगों की विद्युत आपूर्ति परिकल्पित है । इसके प्रति 1970-71 और 1971-72 के वर्षों में 180.533 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान हो गया था और 112.987 लाख रुपये का भुगतान किया जाना 1972-73 में निश्चित है ।

निगम ने केरल की दो अन्य स्कीमें भी स्वीकृत की हैं, जिनमें 1.727 लाख रुपये की ऋण सहायता पहले से ही विद्युतीकृत गांवों की 22 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए परिकल्पित है ।

विभिन्न राज्य विद्युत परिषदों द्वारा प्रायोजित ग्राम्य-विद्युतीकरण स्कीमें वित्तीय सहायता के निमित निगम द्वारा स्वीकृत की जाती हैं, बशर्ते कि वे स्कीमें इस हेतु निर्धारित कसौटी पर तकनीकी रूप में संभाव्य और वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हो । तदनुरूप केरल के लिए चतुर्थ योजना की शेष अवधि में वित्तीय सहायता की स्वीकृत की मात्रा धन की उपलब्धि के साथ-साथ केरल राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रायोजित स्कीमों की तकनीकी संभाव्यता और वित्तीय व्यवहार्यता पर भी निर्भर करती है ।

Electrification of South Eastern Railway

*3002. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the time by which the South Eastern Railway is likely to be electrified;

(b) Whether Indian Railways propose to introduce a train between Kottavalasa and Kirnail, after completing the electrification of South Eastern Railway; and

(c) the estimated length of this Railway line and the estimated expenditure to be incurred thereon?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai): (a) Railway Electrification will be a continuous process on all the Railways including the South Eastern Railway and projects will be taken up from time to time depending upon the operational and economic considerations.

(b) A survey for optimising the capacity of the Kottavalasa and Kirandul line has been undertaken. A decision regarding introduction of passenger trains on the section can be taken only after the Survey Report is received and examined.

(c) The length of the Waltair-Kirandul section, of which Kottavalasa Kirnail forms a part, is approximately 471 Rkms. and the estimated cost of electrification is Rs. 19.05 crores.

Production of Diesel Electric and Steam Locomotives

3003. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Diesel, Electric and Steam engines manufactured every year in the country at present; and

(b) the plan of Government to replace Steam engines by diesel engines?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) The production of steam, diesel and electric locomotives in the country for the three years of the 4th Plan period has been as under:—

	No. of Locomotives		
Years	*Steam*	*Diesel*	*Electric*
1969-70	74	113	31
1970-71	38	108	50
1971-72	19	145	46

Steam locomotive manufacture has been discontinued by M/s. Telco from 1971-72 and by Chittaranjan Locomotive Works from January '72.

In the year 1972-73, it has been programmed to manufacture 63 electric and 191 diesel locomotives.

(b) The normal condemnation age for steam locomotives is 40 years and it has been planned to replace the steam locomotives gradually on age-cum-condition basis by diesel and electric locomotives.

Cost of Manufacture of Coaches of Rajdhani Express

3004. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the name of the Factory where coaches of Rajdhani Express running between Bombay and Delhi were manufactured; and

(b) the manufacturing cost of each coach?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) Integral Coach Factory, Madras.

(b) The manufacturing cost of the different types of coaches on this train are approximately as under:

Power Car	Rs. 10.00 lakhs
A.C. Pantry Car	Rs. 8.06 lakhs
A.C. First Class	Rs. 6.88 lakhs
A.C. Chair Car	Rs. 7.90 lakhs

Power Projects in Ladakh District of Jammu and Kashmir

3005. Shri Kushok Bakula: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the names of the places in Ladakh District in Jammu and Kashmir where power from generation projects and expansion are in progress and the time by which the projects are expected to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel): A Hydro-Electric Project comprising installation of six generating units of 540 MW each is under execution at Stakna about 30 KM from Leh. The project is expected to be completed by 1977-78.

Construction of Dam over Sone River

3006. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the schemes for constructing dams over Kanhar, Uttari Koyal, Orang, Amanat and Tamble, the tributaries of Sone river have been under the consideration of the Central Government for about 10 years; and

(b) if so, the time by which approval would be accorded to the said schemes by the Centre?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel): (a) and (b): The revised project report on North Koel Reservoir Project was submitted by the Government of Bihar in October, 1970. Feasibility reports on Kanhar, Auranga and Amanat Irrigation projects were received in the Central Water and Power Commission in June, 1972. Project report for irrigation from Tahle river has not been received so far.

These schemes are in Sone basin which have inter State aspects and can be considered for implementation after these are resolved.

रेलवे टाइम टेबुल के हिन्दी संस्करण में दिए जाने वालें विज्ञापनों की दर

3007. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी के आल इंडिया डाइम टेबुल के प्रकाशकों को रेलवे द्वारा दी जा रही विज्ञापन दरें गैर-सरकारी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले हिन्दी संस्करण की दरों से प्रत्येक मामले में भिन्न भिन्न हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में विज्ञापन की प्रति पृष्ठ दर क्या है ;

(ग) क्या हिन्दी संस्करण के गैर-सरकारी प्रकाशकों ने हिन्दी संस्करणों के मामले में विज्ञापनों की दरों में वृद्धि करने के अनुरोध किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (घ): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आल इण्डिया रेलवे टाइम टेबुल के हिन्दी संस्करण का रेलों द्वारा विभिन्न स्थानों पर भेजा जाना

3008. श्री एस०सी०समान्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया टाइम टेबुल का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशन वाले स्थान से विभिन्न स्थानों को बिक्री के लिए और निःशुल्क मानार्थ वितरण आदि के लिए भारतीय रेलों द्वारा भेजा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो यही सुविधा आल इंडिया रेलवे टाइम टेबुल के हिन्दी संस्करण के प्रकाशक को न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : रेलव बोर्ड द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित अखिल भारतीय समय सारणी की प्रतियां विभिन्न स्थानों को रेल द्वारा निःशुल्क प्रेषण सेवा प्रणाली के अन्तर्गत भेजी जाती हैं जिसके अधीन केवल रेलों की सरकारी डाक/प्रकाशनों का ही वहन किया जा रहा है । हिन्दी की अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी एक गैर-सरकारी प्रकाशन है और इसलिए वह निःशुल्क प्रेषण सेवा के क्षेत्र से बाहर है ।

एल्यूमीनियम संयंत्रों को दी जाने वाली बिजली के लिए समान दर

3009. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरबा स्थित भारत एल्यूमीनियम कम्पनी को दो पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गैरसरकारी क्षेत्र अन्य एल्यूमीनियम संयंत्रों को, दर में समानता लाने हेतु उसी दर-पर बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि दोनों ही क्षेत्रों में कार्य कुशलतापूर्वक चल सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) जी, नहीं । आपूर्ति दर पर अभी तक बात-चीत हो रही है और प्रस्तावित दर 2 पैसे प्रति यूनिट से बहुत अधिक है ।

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत गठित राज्य विद्युत परिषदों को विद्युत गहन उद्योगों यथा अलुमिनियम सहित विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त शुल्क दर निश्चित करने के निमित्त पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं । दर में भिन्नता सामान्यता उत्पादन-लागत में भिन्नता, विद्युत के स्रोत यथा जलविद्युत तापीय इत्यादि, ग्रिड प्रणाली के विकास की सीमा भारत को मात्रा, भार अभयांक इत्यादि के कारण होता है । केन्द्र के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं जिसके अंतर्गत अलुमिनियम उद्योग को एक समान दर पर विद्युत आपूर्ति का प्रबंध हो ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के खुदाई कार्यक्रम में लगातार हो रही कमी

3010. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के खुदाई कार्यक्रम में लगातार कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : व्यधन के लक्ष्य का व्यधन के द्वारा परीक्षण के योग्य अनुकूल संरचनाओं की संख्या पर निश्चित रूप से आधारित होना होगा जिसकी खोज भूवैज्ञानिक/भूभौमिकी सर्वेक्षणों के और संरचनाओं में जिन्हें कि इन संरचनाओं के परीक्षण हेतु खोदे गये अन्वेषी कूपों के आधार पर तेल/गैस युक्त पाया गया। शैल समूहों की संख्या और क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर विस्तार के फलस्वरूप हुई है। यह सत्य है कि पिछले तीन वर्षों में ओ० एन० जी० सी० का व्यधन कार्यक्रम लक्ष्य तथा प्राप्ति के बारे में कम हो गया है। इसका कारण है, आशाओं के प्रतिकूल पिछले कुछ वर्षों में सर्वेक्षणों से काफी संख्या की बड़ी तथा अनुकूल संरचनाएं खोजी न जा सकी थी। इसी प्रकार व्यधन द्वारा कई नई संरचनाओं में से कुछ ही ऐसी पायी गई जिनका आगे भी निर्धारण कूपों के व्यधन द्वारा अन्वेषण आवश्यकता अथवा बड़ी संख्या में उत्पादन कूपों के व्यधन के द्वारा विकास की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में व्यधन कार्य पर निम्नकारधों से भी बुरा असर पड़ा था :—

1. कई कूपों में अप्रत्याशित तकनीकी पेचीदगियों के परिणामस्वरूप दीर्घ अवधि के लिये कार्य संचालन में निलम्बन।

2. दोनों पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकोपों जैसे असमय और अधिक वर्षा और बाढ़।

3. कुछ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा इत्यादि मोर्चाबंदी लगा देने के परिणामस्वरूप अड़चनों के फलस्वरूप विलम्ब। यह ओ० एन० जी० सी० का प्रयत्न रहा है कि इस प्रकार उत्पन्न समस्याओं का समाधान सबसे अच्छे संभाव्य ढंग से करे।

वर्तमान वर्ष 1972-73 के लिए लक्ष्य पिछले वर्ष से अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर रखा गया है और यह आशा की जाती है कि अप्रत्याशित कठिनाइयां उत्पन्न न होंगी तथा ओ० एन० जी० सी० अपने 1971-72 के काम को उन्नत कर सकेंगे। भविष्य के बारे में ओ०एन०जी०सी० ने अपने कार्यों को तीव्र करने के लिए एक 5 वर्षीय कार्यक्रम 1973-74 से 1977-78 बनाया है तथा सरकार की सहमति के लिए प्रस्तुत किया है। यह ओ० एन०जी०सी० तथा सोवियत विशेषज्ञों द्वारा की गई संयुक्त तकनीकी आर्थिक संभाव्यता पर आधारित है।

Misbehaviour with Harijan woman at Khurja Station

3011. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether any case of misbehaviour with a Harijan woman and depriving her of luggage and ornaments at Khurja Junction was reported to the Police in 1970;

(b) whether some Railway employees were also reported to be involved in the said case; and

(c) if so, the present position of the case?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) Yes. A case of misbehaviour was reported to the police on 5-4-70. The woman however did not complain about the loss of luggage, ornaments etc.

(b) Yes. Out of seven persons involved, five were Railway employees.

(c) Six accused persons were arrested and one surrendered in the Court. Chargesheet, was submitted in Court against six persons, and investigation against the remaining one person is continuing.

ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा की स्थापना

3012. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा की स्थापना की कोई योजना बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) :(क) और (ख): माननीय सदस्य शायद ग्राम इंजीनियरिंग सर्वेक्षण स्कीम के बारे में पूछ रहे हैं ।

2. ग्रामों में विकास-कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए इंजीनियरी और कृषि संबंधित प्राथमिक आंकड़े, जो विकास की वैज्ञानिक और उपयुक्त स्कीमों को तैयार करने में सहायक होंगे, एकत्र करना आवश्यक है । इस बात को ध्यान में रखते हुए 1971-72 में 17 राज्यों में 26 सूखा प्रवण अथवा बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित अथवा पिछड़े पहाड़ी जिलों में सर्वेक्षण कार्य को हाथ में लेने के लिए ग्राम इंजीनियरिंग सर्वेक्षण की एक केन्द्र प्रयोजित स्कीम को स्वीकार किया गया था । चतुर्थ योजना के अंत तक लगभग 24,250 ग्रामों का सर्वेक्षण हो जाएगा ।

3. इन सर्वेक्षणों में कृषि सांख्यिकीय, जनसंख्या तथा उनकी आय के आंकड़ो का एकत्रण, सिंचाई, पेय जल, सड़क परिवहन और विद्युत सप्लाई की वर्तमान सुविधाओं की सूचना का संकलन और एक फुट अन्तर पर समोच्च नक्शों को तैयार करना भी परिकल्पित है । इस प्राथमिक इंजीनियरिंग आंकड़े का एकत्रण स्कीमों को तैयार करने के लिए तथा निम्नांकित सुविधाओं की व्यवस्था करने में सहायक होगा :—

(1) भूमि की सिंचाई जिसमें घेरा बांधों का काम भी सम्मिलित है;

(2) ग्राम विद्युतीकरण;

(3) ग्राम-सड़कें;

(4) पेय जल सप्लाई; और

(5) भू-संरक्षण एवं भूमि उपयोग ।

इन सवक्षणों में ग्रामों के हरिजनों एवं गरीबो के निमित्त विशेष कार्यों जैसे सड़कों के लिए रोशनी, स्कूल तथा मकान स्थलों आदि के पहिचान चिन्ह के प्रावधान भी परिकल्पित हैं ।

4. ग्राम-इंजीनियरिंग सर्वेक्षण स्कीम एक रोजगार अभिमुख स्कीम है और लगभग 5850 व्यक्तियों को जिसमें 1150 इजीनियरिंग स्नातक, 575 कृषि स्नातक तथा अन्य तकनीकी, सचिवालीय, कुशल तथा अकुशल व्यक्ति सम्मिलित हैं, रोजगार की व्यवस्था है ।

5. चतुर्थ योजना अवधि के लिए कुल परिव्यय 610.49 लाख रुपये है । स्कीम पर होने वाले व्यय का वहन, सहायता अनुदान के रूप में, जिसमें उन राज्यों का 100% परिव्यय सम्मिलित है जो स्कीम को कार्यान्वित कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा ।

Hindi Drafts for Enactment of Legislation

3013. Shri Hari Singh :
Shri S.C. Samanta :

Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether the practice followed at the Centre and in the States at the time of enacting the legislation is that the original drafts thereof are prepared in English and thereafter translated in Hindi;

(b) whether any scheme is under consideration for imparting Hindi training to the Draftsmen to prepare original drafts in Hindi; and

(c) if so, the main points thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) In accordance with the provisions of article 348(1)(b) (*i*) and (*ii*) of the Constitution, the authoritative texts of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in Parliament and of all Acts passed by Parliament and of Ordinances promulgated by the President, shall be in the English language until Parliament by law otherwise provides. In so far as Centre is concerned, drafts of legislative measures undertaken are first prepared in English. Hindi translations of all official Bills introduced in Parliament as well as official amendments to such Bills are furnished by the Official Language (Legislative) Commission. Authentic information is not available regarding the practice followed by the State Governments.

(b) & (c) : A Scheme for the training of legal officers of State Governments/Union Territory Administrations in legislative drafting in Hindi has been started from the year 1972. The main points pertaining to the Scheme are as follows:—

(i) Officers selected for the training should generally be not lower in rank than that of an Assistant Secretary/Under Secretary in the concerned State Government/Union Territory;

(ii) The training will be for a period of one year and not more than two officers will be taken for training during a year;

(iii) Officers selected will receive training in the Official Language (Legislative) Commission where they will be posted as Attaches;

(iV) Officers should, in the course of their training, get to know the technique of drafting legislation and Subordinate legislation, including the follow-up action on Bills like Select Committee/Joint Committee meetings on Bills and get themselves equipped for undertaking legal drafting in Hindi as also for translation of laws into Hindi.

(V) Officers will be selected by the Official Language (Legislative) Commission for training on a rotation basis, so that the officers of all Hindi-speaking States/Union Territories get opportunity for the training.

Merger of Railway Unions

3014. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have made efforts to merge several railway Labour Unions into one;

(b) if so, the efforts made; and

(c) the results achieved or likely to be achieved?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) to (c) : Government has no jurisdiction in the matter of formation of or mergers of unions.

The National Commission on Labour has recommended the recognition of one union in each industry. This recommendation is receiving the Government's attention.

Electrification of Harijans Colonies

3015. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 1164 dated 21st November, 1972 regarding

electrification of Harijan villages during Silver Jubilee Year of India's Independence and state:

(a) the number of Harijan colonies in the country where electricity has still to be provided; and

(b) the time by which the work would be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel) : (a) and (b): It is estimated that in villages already electrified there may be about 36,000 adjacent Harijan Bastis which are not electrified. A scheme has been introduced last year to provide electricity to Harijan Bastis adjacent to villages already electrified and it is proposed to cover 20,000 such Bastis during the Fourth Plan and the balance in the early years of the Fifth Plan. Electrification of all the bastis in the country is linked with the progress of rural electrification which is dependant upon the Outlays provided in the Fifth and Subsequent Plans.

मंत्रालय में एक कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जाना

3016. श्री के० मालन्ना : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती लीला मैनन, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और हाईड्रो कार्बन्स लिमिटेड में किन किन सरकारी पदों पर आसीन रही और वह इनमें से प्रत्येक पद पर कितनी अवधि तक आसीन रही ; और

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा तथा आचरण नियमों के कौन से उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत श्रीमती लीला मैनन को उनकी सेवा की समाप्ति का नोटिस दिया गया और सरकार द्वारा स्वीकार किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) श्रीमती लीला मैनन पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में किसी पद पर नियुक्त नहीं रही । वह ओ० एन० जी० सी० तथा एच० आई० पी० एल० में निम्नलिखित पदों पर नियुक्त रही :--

(1) ओ० एन० जी० सी० के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 1-2-1966 से लेकर 4-5-66 तक उप सचिव के रूप में ;

(2) परियोजना विश्लेषण, पैट्रोलियम प्रभाग, ओ०एन०जी०सी० नई दिल्ली में 5-5-66 से लेकर 9-8-66 तक विशेष अधिकारी के रूप में;

(3) ओ०एन०जी०सी० के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 10-8-66 से लेकर 16-12-69 तक उप सचिव के रूप में;

(4) हाइड्रोकार्बन्ज इंडिया (प्राइवेट) लि० तहरान में ओ०एन०जी०सी० से विदेश सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर, 17-12-69 से लेकर 21-6-71 तक रेजिडेंट प्रतिनिधि के रूप में; और

(5) ओ०एन०जी०सी० के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 22-6-70 से लेकर 31-1-71 तक उप सचिव के रूप में ।

(ख) आयोग में अस्थाई पदों पर कर्मचारी सेवा की विशिष्ट शर्तों पर नियुक्त किये जाते हैं, जिन में यह व्यवस्था शामिल है कि किसी भी पक्ष, अर्थात् नियुक्त व्यक्ति अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताये, एक महीने का नोटिस दिये जाने पर नियुक्ति समाप्त हो सकती है । श्रीमती लीला मैनन को ओ०एन० जी०सी०में कतिपय शर्तों, जिनमें सेवा की समाप्ति के लिये इस प्रकार की व्यवस्था शामिल थी, अस्थाई पद पर नियुक्त किया गया था । तत्पश्चात् श्रीमती लीला मैनन ने 7 दिसम्बर, 1970 को ओ०एन०जी०सी० के चेयरमेन को एक पत्र भेजा था जिसमें सेवा की समाप्ति का एक कैलेंडर मास का स्पष्ट नोटिस (1 जनवरी, 1971 से लागू) दिया गया था, क्योंकि उसने कहा था कि वह 1-2-1971 से आयोग में सेवा नहीं करना चाहती । इस प्रकार उसने अपने अनुबन्ध की शर्तों की उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत, आयोग में अपनी सेवा को स्वयं समाप्त किया और वह 1-2-1971 से आयोग की कर्मचारी नहीं रही । ओ०एन०जी०सी० के पास इस मामले में और कोई विकल्प नहीं था ।

दिल्ली डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न करना

3017. मौलाना इसहाक सम्भली : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम विभाग को दिल्ली डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर श्रम विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली मण्डल के सहायक स्टेशन मास्टरों को, जिन्होंने रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित ड्यूटी रोस्टर के अनुसार काम किया था, कार्य घंटा विनियमों के अधीन देय समयोपरि का भुगतान किया गया था । इस मण्डल के अन्य सहायक स्टेशन मास्टरों को, जिन्होंने प्रशासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छानुसार काम किया था कार्य घंटा विनियम के अंतर्गत किसी समयोपरि का भुगतान देय नहीं था; इसलिए उन्हें कोई समयोपरि नहीं दिया गया है । श्रम विभाग द्वारा अभी हाल में प्राप्त एक अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है । लेकिन इससे पहले अप्रैल, 1972 में समयोपरि के भुगतान के लिए सम्बन्धित सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 सी (2) के अंतर्गत दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के श्रम अदालत को दिया गया एक आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया था ।

Development of Chemical Industries

3018. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether due attention is not being paid to the development of Chemical industries in our country and the quantum of chemicals imported is several times higher than the quantum exported;

(b) if so, the quantum of demand of chemicals in the country and the quantum produced in the country and the quantum imported;

(c) whether Government have fixed any target for achieving self-sufficiency in regard to chemicals; and

(d) if so, the time by which it is likely to be achieved?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh): (a) to (d): Development of chemical industries is being given due attention with a view to achiev ing self-sufficiency and reducing dependence on imports. A statement showing progress made in respect of major chemicals during the last few years and expected to be made in the next few years is placed on the table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T. 3909/72].**

दिल्ली-मुरादाबाद माइक्रो-वेव सम्पर्क

3019. श्री के० लकप्पा :
श्री पी० गंगादेव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की दिल्ली-मुगलसराय माइक्रोवेव दूर-संचार योजना के अन्तर्गत दिल्ली और मुरादाबाद के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण और मध्य रेलवे में भी माइक्रोवेव पद्धतियों की व्यवस्था है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूप-रेखा क्या है; और

(घ) सभी रेलवे जोनों की समस्त माइक्रोवेव व्यवस्थाओं की कुल लागत क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां । दिल्ली मुरादाबाद के बीच का संपर्क 28-8-1972 को प्रारम्भ किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) 1969 में दक्षिण रेलवे पर 1,500 किलोमीटर की मार्ग लम्बाई में माइक्रोवैव प्रणाली चालू की गयी थी और इसके क्षेत्रीय मुख्यालय को मंडल मुख्यालयों और मद्रास, विजयवाड़ा, बैंगलोर, मैसूर, त्रिच्चिरापल्ली, मदुरै, ओल्लवा-रोड, गुंतकल्लु, हुबली आदि जैसे रेल परचालन के अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों के साथ जोड़ा गया था । मध्य रेलवे पर 1969 में यह योजना 330 किलोमीटर की मार्ग लम्बाई में चालू की गयी थी और इसके द्वारा बम्बई को कल्याण, इगतपुरी कर्जत, लोनावला और पुणे से जोड़ा गया था ।

इस योजना द्वारा गाड़ी परिचालन के महत्वपूर्ण केन्द्रों के बीच कयी सरणियों से बातचीत और टेलीप्रिंटर संचार सम्पर्क की व्यवस्था हो जाती है ।

(घ) अब तक सभी रेलों पर चालू की गयी माइक्रोवैव योजनाओं का कुल खर्च लगभग 4.5 करोड़ रुपये है ।

रेलवे को सप्लाई किये जाने वाले कोयले का अधिक मूल्य

3020. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग, रेलवे को सप्लाई किये जाने वाले कोयले के अधिक मूल्य की मांग कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के कारण क्या हैं और इस पर क्या फैसला किया गया ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) टैण्डरों में कोई कारण नहीं बताया गया है । मूल्यों में वृद्धि के बारे में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

त्रिपुरा में पन-बिजली परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

3021. श्री दशरथ देव : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में गुमर्ती पन-बिजली परियोजना के पूरा हो जाने पर विस्थापित हो जाने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस परियोजनार्थ किन्हीं स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उनके पुनर्वास का प्रस्ताव किया गया है और ऐसे प्रत्येक स्थान में कितने परिवारों को बसाये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) विकल्पित भूमि और सम्पत्ति के लिए मुआवजे की व्यवस्था के अतिरिक्त सरकार त्रिपुरा में गुमटी परियोजना के पूर्ण होने पर हटाए गए अथवा हटाए जाने वाले परिवारों के जीवनयापन के लिए विकल्पित प्रबंधों की भी कोशिश कर रही है ।

(ख) और (ग) : प्रभावित जनजातियों को बसाने के लिए करबुक में एक पायलट परियोजना स्थापित की गई है । विभिन्न स्थलों पर लगभग 2000 परिवारों के पुनर्वास के लिए एक स्कीम तैयार की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं

3022. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश में आरम्भ की गई सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं और उनकी पूरा किए जाने की कोई सम्भावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और मध्य प्रदेश में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी नई परियोजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश द्वारा हाथ में ली गई कुछ परियोजनाएं जैसे चम्बल, तवा और वर्ना तथा बहुत सी मध्यम स्कीमें एक लम्बे समय से निर्माणाधीन हैं। ऐसी परियोजनाओं को चतुर्थ योजना में प्राथमिकता दी गई है और इनका काफी हद तक चौथी योजना के अंत तक अथवा पांचवीं योजना के आरंभ तक पूर्ण होना संभावित है।

चौथी योजना में राज्य में स्वीकृत नई परियोजनाएं महानदी जलाशय चरण-एक, जामनी दक्षिण तट नहर, कुंवरपुर, गयाना, पुतका, नाला, वारगौर नाला और सिंध परियोजनाएं हैं। इनका पांचवीं योजना की अवधि में पूर्ण होना संभावित है।

पांचवीं योजना के दौरान राज्य में सिंचाई के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम राज्य सरकार से अभी सभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

जहां तक विद्युत परियोजनाओं का संबंध है मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्कीमें नहीं हैं जो पांचवीं योजना में ले जानी पड़े। पांचवीं योजना के दौरान चालू करने हेतु निम्नलिखित नई परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं :—

(1) कोर्वा, सतपुड़ा और अमरकण्टक में ताप विस्तार	1260	मैगावाट
(2) मध्य प्रदेश में नए ताप केन्द्र	200	मैगावाट

उपर्युक्त में से कोर्वा ताप विद्युत केन्द्र में 240 मैगावाट और आमरकण्टक ताप विद्युत केंद्र में 120 मैगावाट के विस्तार को सरकार ने पहले से ही स्वीकृति दे दी है।

अय्यर आयोग द्वारा दोषी पाया गया भारतीय उर्वरक निगम का एक अधिकारी

3023. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा नियुक्त अय्यर आयोग ने भारतीय उर्वरक निगम के एक अधिकारी को दोषी पाया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम क्या है और आयोग के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक ने सरकार को इस मामले की सूचना दी है और कतिपय कार्यवाही का सुझाव दिया है; और

(घ) सरकार का उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना

3024. श्री एम० एस० शिवस्वामी :
श्री पी० गंगा रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) : प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।

प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनी द्वारा बाहर भेजा गया धन उसकी कुल बिक्री तथा लाभ

3026. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री दिनेन भट्टाचार्य :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनी द्वारा लाभ, मुख्यालय प्रभार और तकनीकी सलाहकारों की फीस के रूप में, अलग अलग कितना धन बाहर भेजा गया; और

(ख) इस अवधि में कुल बिक्री कितनी हुई, तथा शुद्ध लाभ, उसके प्रतिशत सहित, कितना हुआ ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : मुख्य विदेशी तेल कम्पनियों के बारे में सूचना संलग्न विवरण पत्र I तथा II में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3910/72**]

स्मिथ स्टेन स्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता का अधिग्रहण

3027. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 7 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2241 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स द्वारा स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के अधिग्रहण किये जाने सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या इण्डियन एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा इस फर्म को अपने अधिकार में लेने के सम्बन्ध में कोई कानूनी कठिनाई है और यदि हां, तो वह क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने इण्डस्ट्रीज (डिवैलपमैण्ट एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट 1951 के खण्ड 18 (ए) के अन्तर्गत दिनांक 4-5-1972 की अधिसूचना द्वारा, मैसर्स स्मिथ स्टेन स्ट्रीट एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता का प्रबन्ध ले लिया था तथा सरकार ने इण्डियन ड्रग्ज़ एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को अपने प्राधिकृत नियन्त्रक के रूप में नियुक्त किया था । प्राधिकृत नियन्त्रक ने 8 मई, 1972 को उसका प्रबन्ध सम्भाला था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Cases Pending in the Supreme Court and High Court for more than five years and for more than ten years

3028. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Narain Chand Prashar :

Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state the number of cases which have been pending in the Supreme Court and High Courts for more than five years and for more than ten years?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H.R. Gokhale) : A statement giving the information as on 30-6-72 is attached.

Statement showing the number of cases pending in the Supreme Court and the High Courts for more than five years and for more than ten years as on 30-6-72.

Name of the Court	More than 5 years	More than 10 years
Supreme Court	192	Nil
High Courts.		
1. Allahabad	8,362	756
2. Andhra Pradesh	16	Nil.
3. Bombay	6,579	150
4. Calcutta	17,501	3,964
5. Delhi	1,713	27
6. Gauhati	163	Nil.
7. Gujarat	579	13
8. Himachal Pradesh	132	Nil.
9. Jammu & Kashmir	27	Nil.
10. Kerala	88	16
11. Madhya Pradesh	992	14
12. Madras	1,110	22
13. Mysore	35	3
14. Orissa	Nil.	Nil.
15. Patna	1,266	82
16. Punjab & Haryana	4,493	171
17. Rajasthan	Nil.	Nil.

Inclusion of Irrigation Project in East Nimar District of Madhya Pradesh in Fifth Plan

3030. Shri G.V. Dixit. Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) Whether there is any proposal to include in the Fifth Five Year Plan an irrigation project in East Nimar District of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the salient features thereof and the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel): (a) and (b): Proposals for the irrigation programme in the Fifth Plan have not as yet been received from the Government of Madhya Pradesh.

Preference by Traders to pay demurrage instead of unloading goods from Wagons in Central Railway Zone

3031. Shri G.C. Dixit: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are some Companies or big traders in the Central Railway Zone who do not unload their goods from the Railway wagons and instead pay demurrage and use the wagons as godowns;

(b) whether Government propose to take action against such persons and Companies; and

(c) if so, the nature of action proposed to be taken against them?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) to (c) : There are not many cases of heavy detention to loaded wagons on the Central Railway Zone. There are cases of wagons not being unloaded by consignees within the free time allowed and becoming subject to demurrage charges. Demurrage charges as per rules are recovered in individual cases. Demurrage rates have been enhanced with effect from 1-12-1972 to make them stringent enough to ensure quick release of wagons.

रेल मार्गों की औसत लम्बाई

3032. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेल-मार्ग की औसत लम्बाई कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : 31 मार्च, 1972 को 18.86 किलोमीटर थी ?

एशिया-72 मेले में बिजली की कमी के कारण बिजली का बन्द होना

3033. श्री के० लकप्पा :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवम्बर, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'बिजली की कमी के कारण बिजली बन्द होने से एशिया-72 मेले में भाग लेने वाले चिन्तित' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख): एशिया मेला-1972 में विद्युत की कोई कमी नहीं है । 7.5 मैगावाट की अधिकतम मांग की अपेक्षा 10 मैगावाट विद्युत मेला स्थल पर उपलब्ध है ।

दीर्घावधि ऋण के आधार पर ईराक द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई

3034. श्री के० लकप्पा :
श्री वरके चार्ज :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक दीर्घावधि ऋण पर भारत को कच्चा तेल देने के लिये सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ईराक के साथ मार्च, 1975 तक 20 लाख टन कच्चे तेल की सप्लाई के लिये पहले से किये हुये करारों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख): मथुरा शोधनशाला की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ईराक ने भारत को दीर्घावधि ऋण देने में रुचि व्यक्त की है । इस विषय पर अभी तक केवल प्रारंभिक विचार-विमर्श हुआ है ।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के बीच यमुना नदी पर नय बांध बनाने सम्बन्धी करार

3035. श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी पर ओखला तथा ताजेवाला में नये बांध बनाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के बीच कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : 11 सितम्बर, 1972 को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के साथ केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा की गई एक अन्तर्राज्यीय बैठक में ओखला और ताजेवाला बराजों के संबंध में अधोलिखित निर्णय लिए गए :—

ओखला बराज

1. ओखला बराज का निर्माण समस्त संभावित द्रुति के साथ होना चाहिए ।

2. बराज की लागत, जोकि 659.33 के वर्तमान ताप-स्तर रखने के हेतु अपेक्षित है को सभी लाभभोगी राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मध्य प्रत्येक राज्य द्वारा लिए जाने वाले निस्सरण के अनुपात में विभाजित होगी ।

3. नए बराज से पोहक नहर और अन्य सांझे कार्यों की लागत जिसकी अपेक्षा होगी, को भी उसी अनुपात में विभाजित किया जाएगा ।

4. हरियाणा सरकार ताल-स्तर के प्रश्न की सावधानी से जांच और नई संरचना पर अपेक्षित न्यूनतम ताल—स्तर को बताएगी । अगर यह पाया गया कि 659.33 स्तर से उच्चतर ताल-स्तर अनिवार्य है तो कार्य पर आने वाली अतिरिक्त लागत के अंश पर पुन: विचार किया जाएगा ।

5. ओखला बराज का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होगा । ताजेवाला बराज परियोजना और ओखला बराज दोनों को एक साथ स्वीकृति प्रदान की जाएगी और इन दोनों बराजों पर एक ही समय कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

ताजेवाला बराज

1. ताजेवाला परियोजना शीघ्र निर्मित होनी चाहिए । इसका निर्माण हरियाणा द्वारा किया जाएगा ।

2. स्थल का चयन पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों को समुचित आपूर्ति के उद्देश्य मात्र पर होना चाहिए ।

3. केंद्रीय जल और विद्युत आयोग में सदस्य (अभिकल्प व अनुसंधान) की अध्यक्षता एवं दोनों राज्यों के अभियंताओं की सदस्यता में एक तकनीकी समिति को चाहिए कि वह ताजेवाला में पश्चिमी यमुना नहर के वर्तमान पोषण कार्य के क्रम में एक संरचना तथा इसके निकट में वैकल्पिक स्थल पर एक पूर्णतया नई संरचना की तुलनात्मक अर्थव्यवस्था की जांच करे । यदि वर्तमान स्थल पर अतिरिक्त कार्य इससे अधिक मितव्ययी साबित होते हैं तो उन्हें अपना लिया जाए अन्यथा एक नये बराज का निर्माण किया जाए ।

4. कार्यों पर आने वाली लागत हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्रमश: 2:1 के अनुपात में विभाजित होगी । इन दो नए बराजों के निर्माण में 3 से 4 वर्ष तक लगेंगे ।

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे में हड़ताल के कारण रद्द की गई रेल सेवाएं

3036. श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोको संगचल कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के कारण दक्षिण तथा दक्षिण-मध्य रेलवे पर कुल कितनी गाड़ियां रद्द की गईं ।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा हाल में की गयी हड़ताल के परिणामस्वरूप दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलों पर 7496 सवारी गाड़ियां और 1915 माल गाड़ियां रद्द की गयी थीं ।

करल में सिंचाई क लिए बड़ी तथा मध्यम दर्जे की योजनाएं

3037. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने सिंचाई के लिए कितनी बड़ी तथा मध्यम दर्जे की योजनाएं केन्द्र की अनुमति के लिए भेजी हैं;

(ख) ऐसी कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है और स्वीकृत योजनायें कौन-कौन सी हैं; और

(ग) कितनी और कौन-कौन सी योजनायें कब से विचार करने हेतु अनिर्णीत पड़ी हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : केरल सरकार ने राज्य की विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने हेतु 4 नई वृहद् और 5 नई मध्यम सिंचाई स्कीमें प्रस्तावित की हैं। इन स्कीमों की या तो केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच हो रही है या आयोग द्वारा राज्य सरकार के साथ उनके तकनीकी और अन्य पहलुओं के संबंध में पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। इन स्कीमों के नाम और इनके प्राप्त होने की तिथि नीचे दी गई है।

	स्कीम का नाम	केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में प्राप्ति की तिथि
वृहद		13-11-72
1.	एडामालायर	16-11-72
2.	बाणासुर सागर	29-4-71
3.	तिरुनेल्ली	9-7-71
4.	केरल भवानी (टेल रेस उपभोक्ता)	12-7-72
मध्यम		
1.	करपुझा सिंचाई	8-1-71
2.	अट्टापाथादी सिंचाई परियोजना	30-8-71
3.	नूलापुझा	19-6-71
4.	मंजट	16-10-71
5.	थेन्डर	1-11-71

केरल में बाढ़ की पूर्व सूचना देने हेतु की गई कार्यवाही

3038. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से अपने राज्य में बाढ़ की पूर्व सूचना देने हेतु कुछ कदम उठाए हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन से राज्य को बाढ़ से होने वाली हानि को कम करने में कहां तक सहायता मिली है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राज्य में बाढ़-पूर्वसूचना प्रबंधों की स्थापना करने में सहायता देने के लिए, केरल सरकार ने अभी तक केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग से कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

कोट्टाराकारा और पुनालूर रेलव स्टशनों (दक्षिण रेलवे) का विकास

3039. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे के कोट्टाराकारा और पुनालूर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित काम इस प्रकार है :

कोट्टाराकारा

(i) पटरी स्तर वाले प्लेटफार्म का विस्तार तथा प्लेटफार्म के शौचालयों में जल प्रवाहन की व्यवस्था।

(ii) यात्री पहुंच मार्ग और परिचालन क्षेत्र में शैलकीट बिछाना।

(iii) मालगोदाम में पहुंच मार्ग पर शैलकीट बिछाना।

पुनालूर

(i) स्टेशन के पहुंच मार्ग पर शैलकीट बिछाना।

(ii) प्लेटफार्म के छत का विस्तार करना।

(iii) स्टेशन की इमारत में सुधार करना।

केरल में रेलवे स्टेशनों का नवीकरण

3040. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केरल में कितने रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया गया; और

(ख) इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) दो।

(ख) लगभग 499547 रुपये।

अलाभकारी यात्री सेवाओं को सड़क यातायात को सौंपना

3041. श्री ई० वी० विखे पाटिल :

श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ अलाभकारी यात्री सेवाओं को सड़क यातायात को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विशेष मार्गों को सड़क यातायात को सौंपा जायेगा; और

(ग) इन मार्गों पर सड़क यातायात चालू होने से सेवाओं में कहां तक सुधार होगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सरकार ने ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई और नासिक के बीच रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुलों का निर्माण

3042. श्री ई० बी० विरवे पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्थित रेलवे फाटकों पर बम्बई और नासिक के बीच ऊपरी पुल बनाने की कोई योजना सरकार ने तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ होगा तथा कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) राज्य सरकार/जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय द्वारा इन प्रस्तावों के अनुमानों की छानबीन अभी की जा रही है, इसलिए अभी यह बताना कठिन है कि ये काम कब शुरू किये जायेंगे और पूरे किये जायेंगे ।

विवरण

क्रम सं०	काम का ब्यौरा	प्रत्याशित लागत	रेलवे का हिस्सा	सड़क प्राधिकरण का हिस्सा	1973-74 में रेलवे के हिस्से में आने वाले काम पर प्रस्तावित परिव्यय
					(हजार रुपयों में)
1.	आसन गांव में समपार सं० 66 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2704	1352	1352	100
2.	पडेली में समपार सं० 82 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1962	981	981	100
3.	अम्बरमाली में समपार सं० के बदले ऊपरी सड़क पुल	1921	1157	764	100

इनके अलावा, दो अन्य ऊपरी सड़क पुलों—एक खाड़ी में और दूसरा इगतपुरी में, का निर्माण पूर्णतः राज्य सरकार/जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय की लागत पर करने के प्रस्ताव हैं । रेलवे द्वारा निर्माण किये जाने वाले पुल की संरचना की लागत क्रमशः लगभग 7.46 लाख रुपये और 9.10 लाख रुपये होगी ।

Allotment of Quarters to Signal and Telecommunication Department Staff in Delhi

3043. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway quarters constructed for Class III and IV Railway employees in Delhi area in 1970, 1971 and till date in 1972; and

(b) the number of quarters out of them allotted to the employees of the Signal and Telecommunications Department of Railway indicating the criteria for the allotment thereof?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) The information is as under:

	Class III	Class IV
1970-71	12	39
1971-72	124	69+60 on replacement account
1972-73 (upto date)	39+32 on replacement account.	175+32 on replacement account
Total	582 Nos.	

(b) 13 class III staff quarters and 5 class IV staff quarters have been allotted on priority as per date of registration.

Re-introducing of shuttle train for Ghaziabad.

3045. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is no train for Ghaziabad after 11.15-P.M.

(b) whether the shuttle train, which used to leave at 12.10 A.M., has been discontinued;

(c) whether Government propose to reintroduce the said shuttle train in view of the difficulties faced by the passengers; and

(d) if so, when?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai): (a) No. Train No. 2 RDG leaves Delhi Junction at 0.10 hours.

(b) to (d): 2 RDG shuttle which leaves Delhi Junction at 0.10 hours was temporarily cancelled from 24-8-72 but has since been restored from 12-10-72.

Electrification of Patna-Gaya Railway track.

3046. Shri Ishwar Chaudhry: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to electrify Patna-Gaya Railway line on the Eastern Railway; and

(b) if so, the outlines of the scheme and the time by which the work of electrification will be taken up and completed?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai): (a) No.

(b) Does not arise.

Projects for Power Generation in Bihar

3047. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the places in Bihar State where projects for power generation are in progress at present; and

(b) the time by which the said projects are likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel): (a) and (b): The places in Bihar State where power generation projects are under execution together

with the capacity of the generating units and their scheduled dates for commissioning are given below:—

Place	Generating Capacity (MW)	Scheduled date for commissioning
1. Kosi	1 × 5 MW (3rd Unit)	1972-73
	1 × 5 MW (4th Unit)	1973-74
2. Subernarekha	1 × 65 MW	June 1974
	1 × 65 MW	June 1975
3. Patratu	1 × 110 MW	March 1975
	1 × 110 MW	March 1976
4. Barauni	1 × 110 MW	March 1975

भावनगर डिवीजन में 25 रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

3048. श्री वरके जार्ज :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण पश्चिम रेलवे ने 10 नवम्बर, 1972 से भावनगर डिवीजन में 25 रेलगाड़ियों को रद्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कौन कौन सी और सरकार ने रेलगाड़ियों को शीघ्रातिशीघ्र चलाने की दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां। मीटर लाइन शेडों में इंजन का कोयला समय पर न पहुंचने के कारण पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में 10 और 11 नवम्बर, 1972 (केवल दो दिनों के लिये) को 23 सवारी गाड़ियां रद्द की गई थीं। 12-11-72 से गाड़ियों का चलना फिर से शुरू हो गया।

(ख) जिन गाड़ियों को दो दिन के लिये रद्द किया गया था उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

283 अप और 284 डाउन	भावनगर—पालिताना सवारी गाड़ी;
305 ,, ,, 306 ,,	धासा—महुवा सवारी गाड़ी;
335 ,, ,, 336 ,,	पोरबन्दर—जैतलसर सवारी गाड़ियां;
331 ,, ,, 332 ,,	जैतलसर—धोला जं० ,, ,,
363 ,, ,, 364 ,,	वेरावल—देलवडा ,, ,,
324 ,, सिहोर जं०	भावनगर सवारी गाड़ी
345 अप और 345 डाउन	वेरावल—जैतलसर सवारी गाड़ियां;
339 ,, ,, 340 ,,	जूनागढ़—राजकोट ,, ,,
349 ,, ,, 350 ,,	,, ,, ,, ,,
273 ,, ,, 274 ,,	बोटाड—सुरेन्द्र नगर ,,
303 ,, ,, 304 ,,	बोटाड—अहमदाबाद ,, ,, और
315 ,, ,, 444 ,,	राजुला जं०—राजुला सिटी सवारी गाड़ियां।

आसाम में हुए भाषायी दंगों का रेलवे पर प्रभाव

3049. श्री समर गुह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आसाम में हुए भाषायी दंगों के उन लाइनों पर काम कर रहे कर्मचारियों पर प्रभाव की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ;

(ग) आसाम में हुए इन दंगों से जिन कर्मचारियों को चोटें आईं या जिन्हें सम्पत्ति की हानि उठानी पड़ी, क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा ; और

(घ) रेल कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ख) : रेल कर्मचारियों की जीवन रक्षा से रेल प्रशासन का भी समान रूप से सम्बन्ध है और इसे सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार के समन्वय से आवश्यक उपाय किये गये हैं ।

(ग) और (घ) : ऐसे मामलों में चोट आने अथवा सम्पत्ति की हानि के लिए सामान्यतः कोई क्षतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है । प्रभावित क्षेत्रों में गश्त लगाने, घर से ड्यूटी के स्थान तक और वापस घर तक रेल कर्मचारियों के लिए मार्ग रक्षिकों की व्यवस्था करने, गाड़ियों में मार्ग रक्षियों की व्यवस्था और भेद स्थलों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक तैनात किये जाते हैं ।

न्यायालयों के पास अनिर्णीत मामलों की संख्या में असाधारण वृद्धि

3050. श्री समर गुह : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय से लेकर राज्यों के उपखण्ड न्यायालयों तक विभिन्न न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की संख्या में असाधारण वृद्धि हो जाने से ऐसे मामलों के निपटारे में असाधारण विलम्ब तथा असाधारण व्यय होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोगों के लिए न्याय व्यवस्था को सुगम करने, शीघ्र निर्णय देने तथा न्याय की व्यवस्था को सस्ता बनाने सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक नया आयोग बनाने का है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : भारत सरकार उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में बकाया मुकदमों की समस्या से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है । भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति जे० सी० शाह की अध्यक्षता में न्यायाधीशों की एक समिति ने उच्च न्यायालयों में बकाया मुकदमों की समस्या पर एक रिपोर्ट पेश की है । समिति ने अनिर्णीत मुकदमों की संख्या कम करने और न्याय में विलम्ब कम करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं । इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के परामर्श से इनकी जांच की जा रही है । विधि आयोग ने दाण्डिक मामलों में प्रक्रिया सम्बन्धी विधि के संशोधन के लिए भी अनेक सिफारिशें की हैं । उनमें से बहुत सी सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और प्रक्रिया संहिता के पुनरीक्षण के लिए विधेयक अब संसद् की प्रवर समिति के समक्ष है । विलम्ब कम करने और खर्च घटाने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तृत पुनर्विलोकन भी विधि आयोग द्वारा किया जा रहा है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि न्यायालयों में विलम्ब की समस्या का अध्ययन करने के लिए कोई नया आयोग बनाया जाए ।

पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतीकरण

3051. श्री समर गुह : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए योजनायें तैयार की गयी हैं;

2/Lok Sabha/73—7.

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत योजनायें किन-किन क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव है, और इनके कार्यान्वयन के लिए कौन-कौन से उपाय किये जा चुके है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद, कन्टाई सब-डिवीजन का बहुत बड़ा भाग, जैसे खेजुरी और रामनगर विद्युत केन्द्र के क्षेत्र शामिल नहीं किये गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : ग्राम विद्युतीकरण निगम, भारत सरकार की एक सरकारी क्षेत्र-उपक्रम ने अब तक मिदनापुर जिले में 3 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें तथा बंकुरा, मिदनापुर और हुगली जिलों में विशेष पारेषण लाइनों की एक स्कीम स्वीकृत की है। इन स्कीमों में 367.667 लाख रुपयों की ऋण सहायता से 1061 ग्रामों का विद्युतीकरण 3,209 पम्पसेटों का ऊर्जन और मिदनापुर जिले में 3654 लघु उद्योगों और कृषि उद्योगों को बिजली देना परिकल्पित है। इन स्कीमों के अंतर्गत देवरा, दांतेन, पिंगला पताशपुर, सेबंग खड़गपुर, केशपुर, चन्द्रकोना, नारायणगढ़, पंसकुरा, नयानफ्रम, केसियरी, मोयना, कोंटाई, तामलक और भगवानपुर थानों का क्षेत्र आता है। जैसा कि चरण-बद्ध किया गया है, ये स्कीमें 2 से 5 वर्ष की अवधि में पूरी हो जायेंगी।

(ग) कोंटाई प्रखण्ड में 6 थाने आते हैं। वे हैं कोंटाई, देवजरी, भगवानपुर, पताशपुर, रामनगर और एगरा। इनमें से तीन थानों नामशः कोंटाई, भगवानपुर और पताशपुर में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों के अंतर्गत 212 ग्राम आते हैं। जैसा कि पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड ने सूचित किया है, रामनगर थाने में 4 ग्रामों का तथा एगरा थाने में 18 ग्रामों का विद्युतीकरण राज्य-योजना में स्वीकृत किया जा चुका है। बहरहाल, खजूरी थाने के क्षेत्र का विद्युतीकरण अभी करना शेष है। राज्य बिजली बोर्ड ने बताया है कि कोंटाई प्रखण्ड का अधिकतर क्षेत्र समुद्र के निकट है और वहां अनुमानतः भू-जल में क्षारता अधिक है। जिससे भू-जल द्वारा सिंचाई सीमित हो जाती है। इस दृष्टि-कोण से, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत होने के लिए कोई स्कीम प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है क्योंकि वे कृषि संबंधी मानदण्डों पर खरी नहीं उतरती। बहरहाल, राज्य बिजली बोर्ड, धन उपलब्ध होने की स्थिति में, शेष ग्रामों को राज्य योजना स्कीमों के अंतर्गत बिजली देने की सम्भावना की जांच कर रहा है।

कावेरी जल विवाद के संबंध में तथ्यों का पता लगाने वाली समिति का प्रतिवेदन

3052. श्री सी० के०जाफर शरीफ : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कावेरी जल विवाद के संबंध में तथ्यों का पता लगाने वाली 4 सदस्यीय समिति, जिसे सितम्बर, 1972 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था, का कार्यकाल सितम्बर, 1972 से 3 मास और बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) चूंकि कावेरी पर तथ्य अन्वेषणी समिति द्वारा मांगी गई सूचना तथा आंकड़े राज्य सरकारों से प्राप्त होने में विलम्ब हो गया था, समिति के कार्यकाल को बढ़ाना पड़ा।

तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने और बोगियां सप्लाई करने के लिए थाई रैलवे प्रतिनिधि मंडल का दौरा

3053. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैंड के एक रेलवे प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिनिधि मंडल थाईलैंड की रेल व्यवस्था के विकास हेतु भारत से तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने तथा अपने देश के लिये रेल डिब्बों की सप्लाई के लिये भारत सरकार के पास आया था;

(ग) क्या थाईलैंड की रेल व्यवस्था में सुधार करने संबंधी अध्ययन करने के लिये भारत के एक दल ने भी उस देश का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो थाईलैंड में रेल व्यवस्था के विकास के लिये भारत सरकार ने क्या आश्वासन दिये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): थाईलैंड की राजकीय रेलों का एक प्रतिनिधि मण्डल 10-11-72 से 21-11-72 तक की अवधि में भारत आया था । लेकिन इस प्रतिनिधि मण्डल ने थाई रेलों के विकास के लिए भारतीय तकनीकी ज्ञान के लिए या उस देश को बोगियों की सप्लाई के लिए भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं रखा था ।

(ग) थाईलैंड की राजकीय रेलों के अनुरोध पर 1970 में इंजीनियरों और तकनीशियों के एक दल को गाड़ियों की बढ़ती हुई रफतार पर संरक्षा की समस्या का अध्ययन कर के रिपोर्ट तैयार करने के लिए थाईलैंड भेजा गया था ।

(घ) ऐसा कोई वादा नहीं किया गया ।

राजस्थान में खरीफ की फसल के लिए गंगा की बाढ़ के पानी का उपयोग

3054. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री एस० एम० जोसफ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को राजस्थान में खरीफ की फसल के लिए गंगा की बाढ़ के फालतू पानी का उपयोग करने के लिये एक योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्र (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राजस्थान सरकार से ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वैगन निर्माण उद्योग की क्षमता का बेकार पड़ा रहना

3055. श्री डी० डी० देसाई : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में वैगन निर्माण उद्योग में काफी अधिक निर्माण क्षमता बेकार पड़ी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि वैगन उपलब्ध न होने से माल लाने और ले जाने में आने वाली अड़चनों के कारण, उद्योग और अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है जिससे कुछ स्थानों पर मूल्य बढ़ रहे हैं, जिस कारण जनता पर बोझ बढ़ रहा है; और

(ग) इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार क्या उपाय कर चुकी है तथा करेगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) पिछले कुछ समय में माल डिब्बा निर्माण उद्योग की क्षमता का कम उपयोग होता रहा है ।

(ख) और (ग): परिवहन में गत्यावरोध मात्र माल डिब्बों की संख्या में कमी के कारण ही नहीं बल्कि बंदों, राजनीतिक आंदोलनों, हड़तालों और भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा के कारण भी होता है, जिस के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में माल डिब्बे रुके रह जाते हैं । रेलें अनाज, खाद, सीमेंट और कोयले जैसी उद्योग और कृषि के काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई संतोषजनक ढंग से करती आ रही हैं । उपर्युक्त कठिनाइयों के रहते हुए भी रेलें माल डिब्बों की सभी मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं ।

तथापि गैर-सरकारी क्षेत्र के माल डिब्बा निर्माण उद्योग को तथा रेलवे कारखानों को भी माल डिब्बों की काफी संख्या के अतिरिक्त आर्डर दिये गये हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के माल डिब्बा निर्माण उद्योग को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में इस्पात की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के उद्देश्य से माल डिब्बा निर्माण उद्योग को सप्लाई करने के लिए रेलें भारी मात्रा में इस्पात का आयात कर रही हैं ताकि ये उद्योग अपना उत्पादन बढ़ा सकें।

प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण स्थल

3056. श्री जी०वाई० कृष्णन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के किन-किन राज्यों के किन किन जिलों में कहां कहां पर प्लास्टिक वस्तुयें बनायी जाती हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : उद्योग के संगठित क्षेत्र के बारे में इस सूचना का एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3911/72]**

रेल गाड़ियों में भिन्न-भिन्न श्रेणियों को समाप्त करना

3057. श्री जी०वाई० कृष्णन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है जिसके द्वारा रेल गाड़ियों में भिन्न-भिन्न श्रेणियों का समाप्त कर दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी-मोटी बातें क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) जी नहीं। लेकिन द्वितीय श्रेणी को समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अलाभकर यात्री गाड़ियां

3058. श्री अर्जुन सेठी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी यात्री गाड़ियां अलाभकर हैं और वातानुकूलित तथा प्रथम श्रेणी जैसे कौन कौन से दर्जे अपना खर्च स्वयं चलाने योग्य नहीं हैं; और

(ख) रेलवे प्रशासन उन्हें लाभकारी बनाने के लिए क्या उपाय कर रहा है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) अलग-अलग सवारी गाड़ियों या अलग-अलग दर्जों से लाभ हुआ या हानि, इसका पता लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि कोचिंग यातायात के खर्च का हिसाब गाड़ीवार नहीं रखा जाता।

(ख) वातानुकूल और पहले दर्जे के रेल किराये समय-समय पर बढ़ाये गये थे अर्थात् 15-6-1967, 1-4-1970, 1-7-1971 और 15-4-1972 से।

गाड़ियों में कितने स्थान का उपयोग होता है, इस पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और सवारी गाड़ियों का समायोजन, जहां कहीं आवश्यक होता है, किया जाता है।

रेल मार्ग के विद्युतीकरण के लिए आवश्यकताएं

3059. श्री अर्जुन सेठी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मार्ग के विद्युतीकरण के लिये कितने मूल पूंजी निवेश तथा यातायात की आवश्यकता है;

(ख) क्या यातायात तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में न रखते हुये किसी मामले में कोई छूट दी गई है; और

(ग) वर्तमान समय में दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्द रोड डिवीजन में कितना यातायात है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) विद्युतीकरण के लिए अपेक्षित प्रारम्भिक निवेश कई स्थानीय बातों पर निर्भर करता है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि यह, चल-स्टाक को छोड़कर प्रति रेल पथ कि० मी० लगभग 3 लाख रु० है। यातायात के जिस घनत्व पर विद्युतीकरण वित्तीय दृष्टि से सक्षम होता है वह भी कई बातों पर निर्भर करता है जिसमें बिजली की लागत और स्थानीय भूभाग शामिल हैं। सामान्य रूप मे विद्युतीकरण को वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए यातायात का अपेक्षित घनत्व सपाट खण्डों पर माल यातायात के प्रतिदिन प्रतिमार्ग किलोमीटर के हिसाब से लगभग 25,000 शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर है।

(ख) यद्यपि कोई अपवाद नहीं रखा जाता, फिर भी यातायात के जिस घनत्व पर विद्युतीकरण का औचित्य हो जाता है, उसका मूल्य, खण्ड के बहुत असमतल होने पर और/या बिजली की लागत बहुत कम होने पर घट जाता है।

(ग) मालभाड़ा यातायात के प्रतिदिन प्रतिमार्ग किलोमीटर पर लगभग 11,100 शुद्ध मीटरिक टन किलो मीटर।

खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के स्टाफ में अराजकता और अनुशासनहीनता

3060. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में विशेषकर 1969 से, अराजकता और अनुशासन हीनता बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन सी बातें उत्तरदायी हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : जी हां। बढ़ती हुई अराजकता के लिये राजनीतिक अशान्ति, अस्थिर आर्थिक परिस्थितियां और गैर-मान्यता प्राप्त रेलवे यूनियनों का आपसी वैमनस्य ही मुख्य कारण है।

Allocations under the Head "Water Drainage"

3061. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state:

(a) the State-wise allocations made by the Central Government under the head "water drainage" from 1970 uptodate;

(b) whether the Central Government earmarked any amount for medium irrigations schemes also in addition to major irrigation schemes; and

(c) if so, the State-wise, details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel): (a) Storm water Drainage forms part of the flood control sector. Under the procedure evolved for the Fourth Plan Central assistance to the State Governments for their plan schemes is provided in the form of block loans and grants without tying them to any particular scheme or head of development. As such there is no separate Central allocation for the flood control and drainage schemes.

However for implementation of some urgent flood control and drainage schemes, the following loan assistance was provided by the Centre outside the Plan:

1.	Andhra Pradesh	Rs. 3.0 crores in 1969-70
2.	Assam	Rs. 3.0 crores in 1970-71
3.	West Bengal	Rs. 1.10 crores in 1969-70

A special loan assistance of Rs. 3.0 crores outside the State Plan has been agreed to be provided to the State Government of Assam for Brahmaputra Flood Control during 1971-72 and 1972-73 of which Rs. 50 lakhs has been released.

It has been agreed to provide special assistance outside the State Plan for the speedy implementation of priority flood control works in the States of Bihar, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal in the last two years of Fourth Plan as follows:—

Bihar	Rs. 9 crores
Uttar Pradesh	Rs. 10 crores
Orissa	Rs. 10 crores
West Bengal	Rs. 11 crores

The assistance is to be released to the State Governments on the basis of the progress made in the implementation of the schemes. A sum of Rs. 50 lakhs for Bihar and Rs. 1 crore for West Bengal has been released so far.

(b) & (c) : There is no earmarked Central assistance for Irrigation projects. The Central assistance is allocated to the State plans as a whole and not to any individual sector or project. However outlays for only some selected major irrigation projects are earmarked. The outlays for medium irrigation schemes are not earmarked.

Confirmation of Railway Employees with 20 years' service.

3062. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are railway employees who have not yet been confirmed despite 20 years' continuous service and if so, the number thereof; and

(b) Government's policy in this regard and the time by which they are expected to be confirmed?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai): (a) There are a few cases of staff recruited for various Construction/Projects, whithout claims for absorption on Railways who have been continuing against one Project or the other. The number of such staff eligible for confirmation on the Open Line is 14.

(b) The policy of the Government is to confirm as many staff as possible especially those with 7 years of service or more. Confirmation of staff however depends upon availability of permanent posts and fulfilment of certain prescribed criteria by the staff. A special drive has been instituted by Railways for conversion of temporary posts, where justified, into permanent ones and for confirmation of eligible staff against permanent vacancies.

Loss suffered by Railways due to Uneconomic Railway lines.

3063. **Shri M.S. Purty**; Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether some uneconomic Railway lines are working in the country;

(b) if so, the number thereof Statewise, and the amount of loss being suffered by Government thereby every year; and

(c) the manner in which Government are trying to make up this loss?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai): (a) Yes.

(b) (i) A statement showing Statewise distribution is attached.

(ii) The loss suffered on all these lines (excluding dividend) during the last two years was as under:

1970-71 = Rs. 6.14 crores.
1971-72 = Rs. 6.64 crores.

(c) Survey for conversion/extension of 12 uneconomic branch lines have been ordered. Action, interalia, is also being taken to (i) improve the rolling stock and maintenance of track (ii) introduce Diesel Car services to cater for passenger traffic (iii) introduce diesel traction on certain sections in a phased manner.

STATEMENT

(*i*) Lines falling wholly within one State:

Name of State	*Number of lines.*
Assam	2
Bihar	2
Gujarat	28
Haryana	1
Kerala	1
Madhya Pradesh	5
Maharashtra	3
Mysore	4
Orissa	1
Punjab	2
Rajasthan	2
Tamil Nadu	9
Uttar Pradesh	4
West Bengal	5
TOTAL	69

(*ii*) Lines falling in more than one State:

Name of State	*Number of lines*
Andhra Pradesh & Orissa	1
Haryana & Himachal Pradesh	1
Madhya Pradesh and Maharashtra	1
Maharashtra & Andhra Pradesh	1
Rajasthan & Gujarat	1
Rajasthan & Uttar Pradesh	1
TOTAL:	6

सियोल परियोजना (हिमाचल प्रदेश पर किया गया व्यय

3064. श्री विक्रम महाजन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1972 तक सियोल परियोजना (हिमाचल प्रदेश) पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) परियोजना निर्माण पर व्यय की गई राशि में से कार्यालय बिल्डिंग, आवासीय क्वार्टरों तथा भाण्डागार बिल्डिंगों पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इस परियोजना की लागत का मूल अनुमान क्या था तथा वर्तमान संशोधित अनुमान क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : बैरा सियुल जल विद्युत परियोजना पर अक्तूबर, 1972 तक लगभग 8.37 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। इनमें से कार्यालय की इमारत, आवासीय क्वार्टरों और स्टोर बिल्डिंग के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि निम्न प्रकार है :--

1. कार्यालय की इमारत	रु० 76,243
2. आवासीय क्वार्टर	रु० 42,59,113
3. स्टोर बिल्डिंग	रु० 3,85,212

(ग) प्राथमिक प्राक्कलनों के अनुसार परियोजना पर 20.49 करोड़ रुपये लागत आनी थी, करारों के पंचाट के आधार पर अब यह अनुमान है कि इसकी लागत 40.59 करोड़ रुपये होगी।

सभी रेल कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ तथा अन्य सरकारी नियम लागू करना

3065. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के बहुत से कर्मचारियों ने पेंशन लाभ का विकल्प स्वीकार नहीं किया है और वे अंशदायी भविष्य निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे में मूल नियम सहित सभी प्रकार के सरकारी नियम तथा विनियम लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1957 में रेलों पर जब पेंशन योजना चालू की गयी, तो सरकार ने उस समय सेवारत रेल कर्मचारियों को, जो अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित होते थे पेंशन योजना के लिए विकल्प देने का विनिश्चय किया था। जिन रेल कर्मचारियों ने पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया, वे अंशदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होते रहने के हकदार हैं।

बिजली की कमी के बारे में समिति का गठन

3066. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री पी० वेंकटा सुब्बया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बिजली की कमी की जांच के लिए श्री बी० एन० कुरील की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके क्या कार्य हैं तथा यह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकिंग प्रणाली तथा रेलवे के बीच प्रभावशाली तालमेल के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन

3067. श्री पी० एम० मेहता :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंक संघ ने बैंकिंग प्रणाली तथा रेलवे के बीच प्रभावशाली तालमेल लाने के लिए अध्ययन करने तथा सिफारिश करने हेतु एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी;

(ग) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या रेल मंत्री ने समिति की बैठक बुलायी थी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 21 अक्तूबर, 1972 को बैंकरों के साथ रेलमंत्री की बैठक में भारतीय बैंक संघ और रेलों की एक संयुक्त समिति के गठन का विनिश्चय किया गया था। समिति के गठन के संबंध में संघ आवश्यक कार्रवाई कर रहा है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी के संबंध में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

3068. श्री डी० के० पंडा :
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में हो रही बिजली की कमी के संबंध में हाल में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विशेष प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा चर्चा की गयी और इनमें से प्रत्येक के क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां । बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों का पूर्वी क्षेत्र में चालू विद्युत-संकट पर विचार करने के लिये पटना में 9 नवम्बर, 1972 को एक सम्मेलन हुआ था ।

(ख) और (ग) : विद्युत की कमी का मुख्य कारण इस क्षेत्र में संयंत्र की उपलब्धता की कमी है । इस पर विचार-विमर्श करके यह निश्चय किया गया कि क्षेत्र में विद्युत-केन्द्रों के लिए बढ़िया कोटि के कोयले का प्रबन्ध किया जाए, तत्काल आवश्यक पुर्जों का आसादन तथा स्टाक किया जाए तथा विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के कार्यों में तेजी लाई जाए । यह भी निश्चय किया गया कि पांचवीं योजना के दौरान चालू की जाने वाली नई परियोजनाओं को स्वीकृत करने तथा आरम्भ करने के लिये शीघ्र प्रयत्न किए जाएं ।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल फाटकों पर ऊपरि पुलों का निर्माण

3069. श्री बी० मयावन :
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने संचार सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों के उन स्थानों पर ऊपरि पुल बनाने की कोई योजना बनाई है जहां रेल लाइन राजमार्ग से होकर गुजरती है; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

रेलमंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हा ।

(ख) वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के 62 प्रस्ताव हैं जिनकी लागत का वहन वर्तमान. नियमों के अनुसार रेलों और सड़क प्राधिकरणों को करना होगा इसके अलावा, 26 नये प्रस्ताव हैं जो समपारों के बदलाव के रूप में नहीं हैं । इनकी समूची लागत का पूर्ण वहन सड़क प्राधिकरण करेंगे । इसके अतिरिक्त रेलों की लागत पर दो ऊपरी/निचले सड़क पुलों की व्यवस्था 'सुविधा,' कार्य के रूप में की जा रही है ।

Working hours for Guards of Passenger/Goods trains on Western Railway

3070. Dr. Laxminarayan Pandey: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether working hours are not fixed for the Guards accompanying the Passenger Trains and Goods Trains on Western Railway and they have to remain out of station for 3 or 4 days continuously; and

(b) if so, the steps being taken by Government to remove the difficulty?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) & (b) : Under the Hours of Employment Regulations, hours of employment of the Running staff including the Guards on Western Railway are limited to 54 hours per week on an average in any month. When they work beyond 108 hours in a fortnight overtime is payable. Such staff do not work to rosters but are employed either according to duty links or on the basis of 'first in, first out' principle. According to the regulations, it is in order to keep the running staff out of headquarters for 3 or 4 days continuously.

बिजली की कमी के बारे में राज्य सरकारों के सुझाव

3071 श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी को दूर करने के लिये राज्य सरकारों ने कोई विशेष अथवा एकमुश्त कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख): उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्यों ने तेल से चलने वाले डीजल जनित्रों/गैस टर्बाइनों के प्रतिष्ठापन का प्रस्ताव किया है जिन्हें 12-18 मास की अवधि में प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। इससे कृषि क्षेत्र में और विद्युत प्रणालियों में पीक विद्युत आवश्यकताओं में विद्युत की कमी में कुछ अति आवश्यक राहत मिलेगी।

(ग) सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

पांचवीं योजना में आन्ध्र प्रदेश के लिए बिजली उत्पादन परियोजनाओं का शामिल किया जाना

3072. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश के लिये किन-किन बिजली उत्पादन परियोजनाओं को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या उनके निष्पादन हेतु अग्रिम कार्यवाही शुरू करने के लिये राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) निर्माणाधीन श्री सैलम् जल-विद्युत स्कीम (4× 110 मैगावाट) तथा लोअर सिलेरू जल-विद्युत स्कीम (4× 100 मैगावाट) से पांचवीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त होने की आशा है। आंध्र प्रदेश की निम्नलिखित स्कीमें पांचवीं योजना में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित है :—

(एक)	नागर्जुनासागर पंपित भण्डार स्कीम	4× 50
(दो)	विजयवाड़ा ताप-विद्युत केन्द्र	2× 200
(तीन)	कोठागुडम विस्तार चरण-चार	2× 110
(चार)	अपर सिलेरू विस्तार	2× 68

(ख) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, परियोजना के विभिन्न चरणों में, जब भी आवश्यकता होती है, राज्य प्राधिकारियों को आवश्यक तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन देता है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में विदेशी सहयोग

3073. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा प्रस्तावित वृहत् तेल शोधशाला के निर्माण के लिये कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय म उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ईंधन गैस का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य

3074. श्री गिरिधर गोमांगो :

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) चौथी पंजवर्षीय योजना की अवधि में ईंधन गैस का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य कितना रखा गया है; और

(ख) अब तक वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह अनुमान है कि "ईंधन गैस" का तात्पर्य खाना पकाने वाली गैस से है जिसे तरल पैट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) कहते है । चौथी पंच वर्षीय योजना के लिये एल० पी०जी० के लिये कोई वार्षिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) चौथी योजना के दौरान एल०पी०जी०. का वास्तविक उत्पादन (एस्सो शोधनशाला) द्वारा लूब इंडिया लिमिटेड को सप्लाई की गई मात्राओं को शामिल न करते हुये इस प्रकार है :—

1969	127,000 मीटरी टन
1970	166,000 मीटरी टन
1971	195,000 मीटरी टन
1972 (अस्थाई)	210,000 मीटरी टन

बिहार के मुंगेर जिले में बिजली-घर का खोला जाना

3075. श्री गिरिधर गोमांगो :

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फर्मबन्द मुंगेर जिले, बिहार में बिजली घर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे खोलने की कब तक संभावना है; और

(ग) कुल कितना व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग): जी, नहीं । परन्तु बिहार राज्य बिजली बोर्ड को इस जिले में बरौनी में पूर्व-स्थित 145 मैगावाट ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार के रूप में एक 110 मैगावाट ताप-उत्पादन यूनिट की स्थापना करने की स्कीम है । यह विस्तार पहले ही स्वीकृत हो चुका है तथा 1975-76 में पूर्ण होना सम्भावित है । बरौनी-विस्तार की अनुमानित लागत लगभग 20 करोड़ रुपये है ।

कानपुर में गंगा नदी पर बहु-उद्देशीय बांध के लिए सर्वेक्षण

3076. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में गंगा नदी पर एक बहु-उद्देशीय बांध बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) गंगा पर कानपुर में एक बराज के लिए सर्वेक्षण-कार्य प्रगति पर है ।

आंध्रप्रदेश में नन्दियाल से येरांगुडिपाडु तक रेलवे लाइन

3077. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में नन्दियाल से येरांगुडिपाडु तक रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव को संशोधित करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कब और उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किये गये । सन् 1900 में छोटी लाइन के लिए और 1908 तथा 1909 के बीच मीटर लाइन के लिए किये गये सर्वेक्षणों से पता चला था कि यह परियोजना अत्यन्त अलाभप्रद रहेगी । इस परियोजना (लगभग 114 कि० मी० लम्बी) की आज की लागत बहुत अधिक होगी, जिससे यह परियोजना और अधिक अलाभप्रद हो जायेगी । यातायात संबंधी पर्याप्त औचित्य के अभाव में, निकट भविष्य में इस परियोजना को शुरू करने की बहुत कम सम्भावना है ।

विस्फोटक के कारण गोरखपुर उर्वरक कारखाने को हुई क्षति

3078. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 23 सितम्बर, 1972 को विस्फोट की दुर्घटना के परिणामस्वरूप गोरखपुर उर्वरक कारखाने को कितनी क्षति पहुंची ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

दुर्गापुर कैमिकल्स में अधिक उत्पादन

3079. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर कैमिकल्स अपने कारखाने में पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन कर रहा है; और

(ख) वर्ष 1972-73 का उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : राज्य सरकार के एक उपक्रम, मैसर्स दुर्गापुर कैमिकल्स लि० से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में तेल के खुदाई कार्य में विलम्ब

3080. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के चैतन्यपुर और बारसाट जिलों में खुदाई कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : पश्चिमी बंगाल के चैतन्यपुर तथा बारासत क्षेत्रों में तेल के लिये भूकम्पीय सर्वेक्षण किये जा चुके हैं। अन्वेषी व्यधन अभी तक शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि किसी ऐसी संरचना, जो व्यधन द्वारा परीक्षण किये जाने के योग्य हो, को ढूंढ पाना संभव नहीं हो सका है।

नैवेली संयंत्र में बिजली का उत्पादन

3081. श्री एम० कतामुतु : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैवेली संयंत्र में बिजली के उत्पादन को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संयंत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : जी हां, पर्याप्त मात्रा लिग्नाईट न मिलने के कारण नैवेली में विद्युत-उत्पादन कम रहा।

2. बंगलौर में 31 अक्तूबर, 1972 को हुए दक्षिणी क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की सिफारिशें की थीं :

(एक) बरिक्यूट के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले लिग्नाईट का विद्युत जनन के लिए उपयोग करना;

(दो) लिग्नाईट के अनुपूरक के रूप में अधिक मात्रा में तेल का प्रयोग करना।

3. मध्य-अवधि उपायों के रूप में 2×50 मैगावाट के बायलरों को तेल-ईंधन में बदलना भी प्रस्तावित किया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा लागू की गई लघु-विद्युत परियोजनाएं

3082. श्री राम प्रकाश : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने गांवों के लिये लघु विद्युत परियोजनाएं लागू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : जी, हां। हाल ही में ऐसे ग्रामों में बिजली पहुंचाने के लिए, जहां ग्राम्य उत्पादन केन्द्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, लघु परियोजनाओं के लिए एक स्कीम शुरू की गई है। ऐसी स्कीम 5-10 ग्रामों से अनाधिक ग्रामों के एक समूह के लिए होनी चाहिए। साधारणतः ऋण-राशि 5 लाख रुपये तक सीमित होगी परन्तु किसी भी स्थिति में यह राशि 10 लाख से अधिक नहीं होगी। लघु परियोजना के दो भाग होंगे : एक का संबंध वास्तविक क्षेत्र से होगा तथा दूसरे का पारेषण लाइनों से।

यह स्कीम, बिना विद्युतीकरण के स्तर पर विचार किए, सभी राज्यों पर लागू होगी परन्तु केवल उन्हीं विकासात्मक ब्लाकों के लिए होगी जिनको विकसित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रति ब्लाक एक स्कीम से अधिक स्कीम स्वीकृत नहीं की जाएगी।

महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर में कुचगांओं बांध के लिए मूल योजना की स्वीकृति

3083. श्री निंबालकर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला में कुचगाओं बांध योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति कब दी गयी थी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : खुजगांव बांध, जो वर्ना सिंचाई परियोजना के नाम से भी प्रसिद्ध है, 31.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जनवरी, 1966 में अनु-

मोदित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है कि परियोजना की लागत में वृद्धि जिसका मूल्यांकन अब 70 करोड़ रुपये किया गया है तथा इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों द्वारा इस परियोजना का विरोध किए जाने के कारण, वे इस परियोजना के प्रतिप्रवाह पर किसी वैकल्प पर विचार कर रहे हैं, ताकि उपजाऊ भूमि का जल प्लावन बचाया जा सके जबकि जल समुपयोजन पर कोई प्रभाव न हो। महाराष्ट्र सरकार ने आगे सूचित किया है कि वैकल्पिक स्कीम के अध्ययन प्रगति पर हैं।

विदेशी तेल कम्पनियों के साथ करार को रद्द करना

3084. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री एस० सी० बेसरा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीन विदेशी तेल कम्पनियों अर्थात् बर्माशैल, एस्सो तथा कालटैक्स के साथ शोधनशाला करारों को रद्द करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार को उपलब्ध अन्य विकल्पों की तुलना में, वर्तमान शोधनशाला करारों के स्थान पर, उनके शोधनशाला एवं विपणन परिचालनों में सरकार द्वारा अधिकांश ईक्विटी साझेदारी के लिये एस्सो तथा बर्मा-शैल से प्राप्त हुई पेशकश पर विस्तृत रूप से जांच और विचार किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर बंगाल और दक्षिण 24 परगना में रेलवे संचार का विस्तार

3085. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल और दक्षिण 24 परगना में रेलवे संचार के विस्तार संबंधी कोई योजनाएं पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव अभी तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए अभी से यह बताना सम्भव नहीं है कि उत्तरी बंगाल और दक्षिणी 24-परगना में रेल संचार व्यवस्था के विस्तार के लिए कौन-कौन सी रेल लाइनों को पांचवीं योजना में शामिल किया जायेगा।

बंगलादेश को कच्चे तेल के परिवहन में अनियमितता

3086. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चटगांव स्थित बंगला देश की तेल शोधशाला में शोधन हेतु भारतीय तेल निगम को 500,000 टन कच्चे तेल का आयात करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था ;

(ख) यदि हां, तो ढुलाई करने के लिये भाड़े के मामले में गम्भीर अनियमितता तथा धोखाधड़ी की गई है ;

(ग) क्या उस आरोप के संबंध में सरकार ने कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ): एक विवरण जिसमें स्थिति की व्यवस्था, व्याख्या है, में संलग्न है।

विवरण

1. बंगलादेश सरकार की ओर से गल्फ बन्दरगाहों से चिटगांव तक 5 लाख टन कच्चे तेल के लाये जाने व उतारने के लिए 25-2-1972 और 14-3-72 के भारतीय तेल निगम से जांच पत्र जारी किये थे।

2. टेंडर मंगवाने के लिए अन्तिम जांच 14 मार्च 1972 को 4 बजे सायं को जारी की गई थी। 24 घंटों की समय सीमा में टेंडर मंगवाने में कोई असाधारण बात नहीं है विशेषकर ऐसी अवस्था में जहां आवश्यकता मालूम है और औपचारिक टेन्डर जांच की आशा है। टैंडर जांच के डालर 5.50 प्रतिटन के हिसाब से, जिसमें उतारना भी सम्मिलित है, का भी संकेत दिया था। टैंकर किराये पर देने वाले अकसर जांच जारी होने के समय अपनी दरों का संकेत देते हैं।

3. 5.50 डालर प्रतिटन की प्राप्त न्यूनतम दर के स्वीकार होने के बाद ही 5.45 डालर प्रतिटन की न्यूनतम दर प्राप्त हुई थी। स्वीकृत टेन्डर ग्रीक टैंकर मालिक मैसर्स हालकोसिस की ओर से उनके भारत में स्थानीय जहाजरानी माध्यमों के द्वारा प्राप्त हुआ था। परन्तु इस विषय में भारतीय तेल निगम के चेयरमैन की परामर्श से और जांच की जा रही है और वास्तविक स्थिति सभा पटल पर रखी जायेगी। इस संबंध में एक आश्वासन सभा में 14-11-72 को पूछे गए अता० प्रश्न सं० 387 के उत्तर में पहले ही दिया गया है।

पूर्वी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें

3087. श्री पी० गंगादेव : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में अभी तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लाभ उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख): ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति पूर्वी क्षेत्र में अखिल भारतीय औसत के मुकाबले में कम है। यह मुख्यतः राज्यों के विद्युत विकास में साधारण पिछड़ेपन और पर्याप्त पारेषण और वितरण तार जाल कार्यों की कमी के कारण है। 1,88,350 ग्रामों में से लगभग 18,000 ग्राम विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। 31 अक्तूबर, 1972 तक 81,338 पंप सेटों को भी ऊर्जित किया जा चुका है। इस क्षेत्र के लिए चतुर्थ योजना में 65.49 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ब्याज की कम दरों पर लम्बी अवधि वाले ऋणों के रूप में योगात्मक धन की व्यवस्था की जाती है। भारत सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए निगम द्वारा अतिरिक्त रियायतें दी जा रही हैं। अब तक (31-10-1972 तक) निगम ने 304 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकार की है जिनमें 167.99 लाख रुपये की ऋण सहायता परिकल्पित है। इनमें, पूर्वी क्षेत्र के लिए 9,866 ग्रामों के विद्युतीकरण, 76,203 पंप सेटों के ऊर्जन और 25,684 लघु तथा कृषि उद्योगों को विद्युत सप्लाई करने के निमित्त 44.86 करोड़ रुपये की परिकल्पित ऋण सहायता से 74 स्कीमें स्वीकार की हैं। इसमें पारेषण जाल कार्य के लिए 6 स्कीमें सम्मिलित हैं। सारे देश के लिए कुल स्कीमों तथा ऋण के संदर्भ में पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वीकृत स्कीमें 24.3% है जबकि ऋण सहायता 27% है।

बिमलागढ़ से तालचेर (दक्षिण पूर्व रेलवे) तक रेलवे लाइन का बिछाया जाना

3088. श्री पी० गंगादेव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में बिमलागढ़ से तालचेर के बीच रेलवे लाइन बिछाने का निर्माण कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत पहले कार्य शुरू करने का आश्वासन दिये जाने के बावजूद कार्य को शुरू करने में बिलम्ब के क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): बिमलगढ़ से तालचेर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण किये गये है और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है। लेकिन इस परियोजना पर आगे विचार तभी किया जा सकता है। जब मलंगटोली लोह अयस्क निक्षेपों के विकास के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो जाये।

कावेरी बेसिन में तल के कुएं खोदने के कार्य की प्रगति

3089. श्री वाई० ईश्वर रेडडी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने चालू वर्ष में कावेरी बेसिन में दो कुएं खोदने की योजना बनाई थी; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। चालू वर्ष, 1972-73 के दौरान एक कुएं का व्यधन पूरा करने और दूसरे कुएं का व्यधन शुरू करने की योजना बनाई गई है।

(ख) उस कुएं, जिसका इस समय व्यधन हो रहा है, पर व्यधन अभी परियोजित गहराई तक पूरा होना है। व्यधन के पूरा होने तथा कुएं के परीक्षण के पश्चात् ही परिणामों का पूरी तरह पता लगाया जा सकेगा।

पारेषण लाइनों में बिजली लीक होने के कारण हुई हानि

3090. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारेषण लाइनों में बिजली लीक होने के कारण प्रतिवर्ष बिजली की काफी हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में बिजली लीक होने के कारण वास्तव में कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पारेषण लाइनों में "लीकेज" के कारण बहुत कम मात्रा में हानि हुई है। विद्युत केन्द्रों से बाहर भेजी गई ऊर्जा और उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा के अन्तर को "हानियां" नाम दिया गया है और इसके अंतर्गत पारेषण, रूपान्तरण और वितरण आते हैं। इन लाइनों द्वारा विद्युत ले जाने के लिए मुख्यतः अपेक्षित ऊर्जा है, परन्तु इसमें लाइनों में लीकेज, ऊर्जा की चोरी और बिना मोटर भी शामिल है।

(ख) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान हुई हानि 'हानियों' ऊर्जा की मात्रा क्रमशः 7645, 8280 और 9307 मिलियन यूनिट थी जोकि बाहर भेजी जाने वाली कुल ऊर्जा का 17, 16.8 और 17.5 प्रतिशत है।

(ग) रूपान्तरण, पारेषण और वितरण में हानि को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अन्तर्निहित और अनिवार्य है। बहरहाल, इन्हें सतर्कतापूर्वक आयोजन तथा अभिकल्प करके और पर्याप्त पारेषण सुविधाओं की व्यवस्था करके 15% अथवा इससे कम किया जा सकता है। उन हानियों को जो चोरी, खराब मोटर व्यवस्था इत्यादि के कारण होती है, पर्याप्त उपाय करके समाप्त किया जा सकता है।

देश को कुछ विद्युत प्रणालियों में अत्यधिक हानियों के प्रश्न को राज्य बिजली बोर्डों के साथ बार-बार उठाया गया था और उन्हें इनको कम करने के लिए पर्याप्त उपाय करने हेतु कहा गया है। गोलमाल को रोकने के लिए कुछ राज्यों ने विशेष सतर्कता दस्ते भी स्थापित किये हैं। हानियों को कम करने के लिए पारेषण और वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु विशेष वित्तीय स्कीमों का प्रस्ताव किया जा रहा है।

त्रिपुरा को जिन्दा रहन के लिए रेलवे की आवश्यकता (त्रिपुरा नीड्स रेलवे फार सर्वाइवल)

3091. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अक्तूबर, 1972 के 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' में 'त्रिपुरा नीड्स रेलवे फार सर्वाइवल शीर्षक' से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): समाचार पत्र में उल्लिखित रेल परियोजनाओं के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :—

(I) अगरतला-साबरूम मीटर आमान रेल सम्पर्क :

इस रेल सम्पर्क के लिए यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी जा चुकी है। बेलोनिया और अखौरा में रेल की व्यवस्था करके बंगला देश को जोड़ने के प्रश्न की भी जांच की जायेगी। लेकिन, सर्वेक्षण के परिणाम ज्ञात हो जाने के बाद ही अगरतला-साबरूम मीटर आमान रेल सम्पर्क के लिए अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

(II) धर्मनगर-अगरतला रेल सम्पर्क :

सर्वेक्षण की रिपोर्टों के अनुसार यह रेलवे लाइन नितान्त अलाभप्रद है। फिर भी, रिपोर्टों की जांच पड़ताल जो आजकल हो रही है, पूरी हो जाने के बाद सभी संगत पहलुओं को ध्यान रखते हुए अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता

3092. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख): पांचवीं योजना के कार्यक्रम के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अनुमानतः बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में 6.5 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त शक्यता का आयोजन करना प्रस्तावित है परन्तु राज्यों द्वारा प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही इस मामले पर आगे विचार किया जाना है।

बिजली घरों क रख-रखाव क लिए प्रशिक्षण देने हेतु संस्थाओं की स्थापना

3093. श्री पम्पन गोडा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरों के उपलब्ध न होने के कारण संयंत्रों की हुई हानि को देखते हुए देश में बिजलीघरों के रखरखाव के लिये प्रशिक्षण देने हेतु संस्थाएं स्थापित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है, वे कहां कहां पर स्थित हैं और उक्त योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)) : (क) और (ख) : अधिक परिष्कृत यूनिटों की प्रतिष्ठापना और ताप विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि से विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस की गई। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दो प्रशिक्षण संस्थान नेवेली और दुर्गापुर में स्थापित किए गए हैं। नेवेली संस्थान, जो फरवरी, 1965 में स्थापित किया गया था प्रचालन और अनुरक्षण अभियंताओं को प्रशिक्षण देता है। दुर्गापुर संस्थान को अवर प्रचालन कर्मचारियों तथा अनुरक्षण तकनीशियनों

के प्रशिक्षण के लिए अप्रैल, 1968 में स्थापित किया गया था। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। अब तक नेवेली में 199 कर्मचारी तथा दुर्गापुर में 193 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

इन संस्थानों की वार्षिक ग्रहण-क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से उनके विस्तार की एक स्कीम हाल ही में स्वीकृत हो चुकी है।

Demand for running Patliputra Express via Gaya

3094. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the reasons for which the Patliputra Express introduced with effect from the 1st November, 1972 between Dhanbad and Patna is being run via Asansol, whereas the people's demand was that it should be run via Gaya; and

(b) the present fare of various classes from Dhanbad to Patna Via Asansol?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) From 1-11-1972, 25/26 Patliputra Expresses are being run between Patna and Dhanbad via the main line and the Sitarampur by pass line without touching Asansol, due to non-availability of capacity on Dhanbad-Gomoh-Gaya section.

(b) In respect of the classes of accommodation provided in this train, the present fares for travelling from Patna Jn. to Dhanbad are as under:—

1st Class	.. Rs. 44.65
3rd Class	.. Rs. 13.00

Double Railway Line from Gaya to Patna

3095. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether any proposal for laying double Railway line from Patna to Gaya is under the consideration of Government; and

(b) if so, the time by which the said work is likely to be completed?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai): (a) No.

(b) Does not arise.

दिल्ली में ईंट निर्माताओं को रेल वैगनों की मांग

3096. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ईंट निर्माताओं की वैगनों की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : ईंटें पकाने के प्रयोजन के लिए स्लैक कोयले की ढुलाई दिल्ली प्रशासन द्वारा किये जाने वाले प्रायोजन के आधार पर की जाती है। दिल्ली के लिए स्लैक कोयले की ढुलाई के लिए इस वर्ष (1972-73 अक्तूबर तक) कुल 3835 मालडिब्बे आबंटित किये गये जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए 3023 मालडिब्बे आबंटित किय गये थे; इस प्रकार प्रति महीने 116 मालडिब्बों की वृद्धि हुई है।

लदान का काम और भी तेज करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

लहेरिया सराय रेलवे स्टेशन पर पेय जल की कमी

3097. श्री योगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में अधिक समय तक पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिबीजन में लहेरिया सराय स्टेशन पर यात्रियों के लिये पेय जल की भारी कमी रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर नियमित रूप से पेय जल सप्लाई करने के लिये क्या संतोषजनक व्यवस्था की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां, कुछ कमी थी क्योंकि गत ग्रीष्म ऋतु में पानी स्टेशन इमारत की पहली मंजिल पर नहीं चढ़ सका । इसका कारण यह था कि नगर पालिका के पानी के बम्बे में दबाव कम था और वही सप्लाई का साधन है ।

(ख) नलकूपों और ऊपरी टंकियों की व्यवस्था करके तथा पानी सप्लाई करने की वर्तमान प्रणाली में पाइप लाइनें डालकर पानी की सप्लाई और बढ़ाने का काम शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

इलाहाबाद में गैस सिलेन्डरों का फटना

3098. श्री वेकारिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 10 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुआ था, घरेलू गैस के कई सिलेन्डर इलाहाबाद में फट गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख): एक झोंपड़ी, जो कि मैसर्स इलाहाबाद गैस सर्विस के एल० पी० जी० सिलिण्डर के गोदाम के सुरक्षा क्षेत्र के ठीक बाहर है, में अचानक आग लगने के कारण गोदाम में रखे पकाने वाली गैस के कुछ सिलिण्डर फट गये । ये इलाहाबाद में इण्डेन के एजेण्टों में से एक है । इस धड़ाके के कारण गोदाम के पास स्थित भवनों व झोंपड़ियों को नुकसान पहुंचा । तेरह व्यक्तियों के चोटें आईं जिनमें से बाद में दो व्यक्ति मर गये बताये जाते हैं ।

दुर्घटना की जांच स्थानीय सरकारी अधिकारीगण तथा विस्फोटक निरीक्षक कर रहे हैं। इस दुर्घटना की जांच होने तक वितरक को इण्डेन गैस की सप्लाई बन्द कर दी गई है तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रबन्ध कर दिये गये हैं । इस मामले में, जांच की समाप्ति पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

पर्वतीय स्थलों के लिए टिकट में रियायत उपलब्ध (हिल स्टेशन कन्सेशन) करने के लिए नए पर्वतीय स्थलों की सूची में शामिल करना

3099. श्री वेकारिया :

श्री टी० पी० जदेजा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा जिन पर्वतीय स्थलों के लिये टिकट में रियायत दी जाती है उन की सूची में क्या कोई नए पर्वतीय स्थल शामिल किये गये हैं अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उन के नाम क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल किराये में रियायत हेतु पर्वतीय स्थलों की सूची

3100. श्री डी० पी० जडेजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन पर्वतीय स्थलों के नाम क्या हैं जिनके लिये रेल-किराये में रियायत दी जाती है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : चालू वर्ष में जिन पहाड़ी स्टेशनों के लिए रियायत दी गयी वे इस प्रकार हैं :—

1. पठानकोट
2. शिमला
3. सोलन
4. धर्मपुर (पंजाब)
5. देहरादून
6. काठगोदाम
7. दार्जिलिंग
8. कुरसांग
9. शिलांग आउट एजेंसी (गुवाहाटी और पांडू द्वारा सेवित)
10. आबू रोड
11. पिपरिया
12. उदकमण्डलयम
13. कोन्नूर
14. कोडई कोनाल आउट एजेंसी (कोडइ कोनाल रोड द्वारा सेवित)
15. कोटा गिरि आउट एजेंसी (मेट्टूपालेयम द्वारा सेवित)
16. मसूरी आउट एजेंसी (देहरादून द्वारा सेवित)
17. नैनीताल आउट एजेंसी (काठगोदाम द्वारा सेवित)
18. बैजनाथ पपरोला
19. पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)
20. ज्वालामुखी रोड
21. नगरोटा
22. जोगिन्द्र नगर
23. कालिमपोंग आउट एजेंसी (सिलीगुड़ी जंकशन द्वारा सेवित)
24. डलहौजी आउट एजेंसी (पठानकोट द्वारा सेवित)

बंगलौर स्टेशन पर आरक्षण और टिकट रद्द करने के लिए अलग काउंटर बनाना

3101. श्री डी० बी० चन्द्रगोडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण और टिकट रद्द करवाने के लिये लम्बी कतार होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टिकट रद्द करने के लिये अलग काऊंटर खोलने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) तीसरे दर्जे के यात्रियों के आरक्षण के लिए केवल एक खिड़की पर लम्बी पंक्ति देखने में आयी है तथा एक और खिड़की खोलने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) तीसरे दर्जे के आरक्षित स्थानों के टिकट रद्द करने के लिए एक पृथक खिड़की पहले से मौजूद है ।

कोचीन तेल शोधक कारखाने का अधिग्रहण

3102. श्री वयालार रवि : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने के प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन आयल कारपोरेशन में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी

3103 श्री वयालार रवि : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन में इस समय ऐसे कुल कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं जो दूसरी तेल कम्पनियों से सेवानिवृत्त हुए हैं; और

(ख) क्या ये अधिकारी उन कम्पनियों से, जहां पर वह पहले कार्य करते थे, अभी भी पेंशन ले रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा बनाने का कारखाना लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध अभ्यावेदन

3104. श्री बी० वी० नायक : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा बनाने का कारखाना लगाने के लिये भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध हीरेगुट्टी में धान के काश्तकारों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है कि उनकी भूमि का अधिग्रहण न किया जाये; और

(ख) यदि हां तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) क्योंकि भूमि का अर्जन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, उन्हें प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने के लिये कहा गया है ।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

3105. श्री बी० पी० नायक : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद लगभग किस तारीख तक हल हो जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा नदियों से सम्बन्धित विवाद, जिन्हें आपसी बातचीत द्वारा सुलझाया जा सकता था, न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरणों को सौंप दिए गए थे। न्यायानिर्णयन की कार्यवाही चल रही है।

आशा है कि कृष्णा के जल से संबंधित विवाद एक वर्ष के भीतर तय हो जायेंगे । गोदावरी के सम्बन्ध में कोई तारीख बताना कठिन है, क्योंकि इस समय न्यायाधिकरण कृष्णा-विवाद पर निर्णय देने में व्यस्त है और उसने गोदावरी विवाद पर तर्कों के देखने का कार्य आरम्भ नहीं किया है । न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को कहा गया है कि वे कार्य में यथा-संभव तेजी लाएं ।

जहां तक नर्मदा का संबंध है, संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने फैसला किया है कि अपने मतभेदों को आपस में बातचीत द्वारा हल करेंगे। 22 जुलाई, 1972 को हुए समझौते में राजस्थान और महाराष्ट्र को पानी का आबंटन तय किया गया था। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच जल का आबंटन तथा नवगाम बांध की ऊंचाई के प्रश्न को प्रधान मंत्री द्वारा फैसला देने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रधान मंत्री द्वारा अगले दो महीनों में फैसला दे दिए जाने की संभावना है।

राज्यों के बीच कुछ अन्य नदियों के संबंध में भी मतभेद हैं। पहले ही गत कुछ महीनों में उनमें से कुछ को मैत्री-पूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया है। आशा है कि अन्य मतभेदों में से अधिकांश को भी शीघ्र ही मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा।

मैसर्स वल्लारपुर पेपर एंड स्ट्रा बोर्डस लिमिटेड को नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा संयंत्र लगाने के लिए लाइसेंस जारी करना

3106. श्री बी० पी० नायक : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्डस लिमिटेड ने मैसूर राज्य के नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा संयंत्र लगाने के लिये लाइसेंस प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या लाइसेंस की शर्तों का पालन किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

संयुक्त बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की योजना

3107. डा० हरिसप्राद शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग ने अपनी हाल की बैठक में सिलहट-कचार जिलों में संयुक्त रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी-मोटी बातें क्या हैं; और

(ग) उस निर्णय का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग के अनुसार, स्कीम को संभव रूपरेखा तैयार करना तथा अन्वेषणों का कार्यक्रम तैयार करना प्रथम पग होगा। रूपरेखा तैयार की जाने वाली स्कीम का वृहदाकार एक स्थायी पूर्णकालिक उच्च स्तरीय संयुक्त संस्था के गठन की अपेक्षा रखता है। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि बारक बांध के अन्वेषण, जोकि प्रगति पर हैं, यथा-सम्भव, शीघ्र पूरे कर दिए जाएं।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से उठाये जाने वाले कदमों पर विचार किया जाएगा।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कार पुर्जों का अनधिकृत उत्पादन

3108. डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तीन विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कार-पुर्जों जैसे अनधिकृत उत्पादों के अवैध व्यापार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी बिक्री को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उनके विरुद्ध ऐसी अवैध बिक्री के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग): विदेशी तेल कम्पनियों को सुझाव दिया गया था कि वे अपने व्यापारिक नाम के अन्तर्गत अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों के जरिये बैटरियां, शाक एवजाबिर्ज आदि उपभोक्ता वस्तुएं बेचने की वर्तमान पद्धति को बन्द कर दें और अपनी गतिविधियां उन वस्तुओं तक ही सीमित रखें जो उन की शोधनशालाओं में उत्पादित की जाती हैं। विदेशी तेल कम्पनियों ने इस सुझाव को मान लिया है और इस बात की पुष्टि की है कि इसके पश्चात ऐसी वस्तुओं के लिये निर्माताओं को वे आर्डर नहीं देंगी और न ही उन वस्तुओं को लेंगे जिनके लेबलों से ऐसा प्रतीत होता हो कि वे इन तेल कम्पनियों के फुटकर बिक्री के लिये निर्मित की गई हों।

कोयला क्षेत्रों के निकट तापीय संयंत्रों की स्थापना

3109. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार ने भावी विद्युत विकास कार्यक्रम में संशोधन बड़े करने का निर्णय किया है जिससे कोयला क्षेत्रों के निकट ताप बिजली घरों को स्थापित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले संयंत्रों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और प्रस्तावित ताप बिजली घर कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) :(क) से (ग): सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने पांचवीं योजना में विद्युत विकास के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से वृहत ताप-केन्द्रों में 11.8 मिलियन किलोवाट ताप विद्युत क्षमता का प्रतिष्ठापन सम्मिलित है। विभिन्न क्षेत्रों के राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ हाल में हुए विचार-विमर्शों में यह प्रस्ताव किया गया है कि उपलब्ध कोयला संसाधनों का लाभ उठाते हुए, कोयले की खानों के निकट, केन्द्रिय क्षेत्र में प्रति केन्द्र 1-2 मिलियन किलोवाट क्षमता वाले एक या दो बृहताकार ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित किए जाएं। इनके प्रतिष्ठापन के लिये जिन स्थानों के संबंध में विचार किया जा रहा है वे ये हैं : पश्चिमी क्षेत्र में सतपुड़ा और चन्द्रपुर (चंदा), दक्षिणी क्षेत्र में रामगुडम तथा पूर्वी क्षेत्र में तेनुघाट। एक वृहत्त ताप-विद्युत केन्द्र, सिंगरोहली कोयला-खानों के निकट उत्तर प्रदेश में ओबरा में प्रतिष्ठापित किया जा रहा है।

इन ताप-केन्द्रों के स्थलों का निश्चत अन्वेषणों तथा सम्भाव्य रिपोर्टों के तैयार होने के पश्चात ही किया जाएगा। यह प्रत्याशा है कि ये केन्द्र पांचवीं योजना के अन्त तक अथवा छठी योजना के आरम्भ में प्रतिष्ठापित कर दिए जाएंगे।

राजस्थान नहर का निर्माण

3110. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) उक्त परियोजना की मूल अनुमानित लागत क्या है और अनुमान में कहां तक वृद्धि होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राजस्थान नहर परियोजना पर कार्य की प्रमुख मदों के निर्माण में हुई प्रगति नीचे दी गई है :—

चरण-एक

कार्य-मद	प्रगति
मिट्टी कार्य	पूर्ण हो गया
पलस्तर कार्य	पूर्ण हो गया
राजस्थान मुख्य नहर	
मिट्टी कार्य	96%
पलस्तर कार्य	69%
वितरण प्रणाली	
मिट्टी कार्य	52%
पलस्तर कार्य	13%
लिफ्ट नहर	
मिटटी का कार्य	84%
पलस्तर कार्य	38%

चरण-दो

चरण-दो पर कुछ प्रारम्भिक कार्यों के अतिरिक्त अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। वह कार्य पांचवी योजना में किया जाएगा।

(ख) सितम्बर, 1972 के अंत तक 84.6 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय हुई।

(ग) मूल परियोजना 66.0 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 16.8 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए 1957 में स्वीकृत की गई थी। उस समय से 28.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए परियोजना का विस्तार किया गया है। अनुमान है कि संशोधित परियोजना की लागत 208 करोड़ रुपये होगी।

चरण-एक		119 करोड़ रुपये
चरण-दो		89 करोड़ रुपये
	योग	208 करोड़ रुपये

कीमतों में सामान्य वृद्धि के कारण परोक्त प्राक्कलनों के सीमन्ततः प्रभावित होने की संभावना है।

मियांभाई न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अखिल भारतीय गार्ड परिषद् द्वारा आयोजित "विरोध दिवस"

3111. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मियांभाई न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अखिल भारतीय गार्ड परिषद् के आवाहन पर भारतीय रेलों के गार्डों ने "विरोध दिवस" मनाया है;

(ख) इस विरोध के क्या कारण थे; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां, कुछ रेलों पर कुछ गार्डों ने।

(ख) और (ग) यह विरोध मुख्यतः रेलवे श्रम न्यायाधिकरण, 1969 की सिफारिशों के विरुद्ध गार्डों के वेतनमानों के संशोधन के प्रश्न पर था। सरकार को खेद है कि एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण की सिफारिश पर कर्मचारियों के कुछ वर्गों ने विरोध प्रदर्शित किया है।

संघ की भाषा में विभिन्न विधियां और नियमों का पाठ

3112. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विधियों और नियमों आदि का पाठ संघ की भाषा में तैयार करने, उसके प्रकाशन और प्रमाणीकरण का काम कितना हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है;

(ख) शेष कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या विदेशों की महत्वपूर्ण विधि पुस्तकों के अनुवाद के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) राजभाषा (विधायी) आयोग, अब तक 343 केन्द्रीय अधिनियमों के (जिनमें 6521 पृष्ठ हैं) हिन्दी अनुवाद तैयार कर चुका है जिनमें से 222 अधिनियमों के अनुवाद (जिनमें 4007 पृष्ठ हैं) राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5(1)(क) के अधीन शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जा चुके हैं। अंग्रेजी में केन्द्रीय अधिनियमों के लगभग 10,000 पृष्ठों में से लगभग 3479 पृष्ठों का अभी हिन्दी में अनुवाद होना बाकी है। आशा की जाती है कि केन्द्रीय अधिनियमों का बाकी कार्य लगभग दो वर्ष में समाप्त हो जाएगा।

अब तक आयोग द्वारा कानूनी नियमों और आदेशों के (जिनमें 3570 पृष्ठ हैं) हिंदी अनुवादों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5(1)(ख) के अधीन शासकीय राजपत्र में या तो पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है या प्रकाशित किए जाने के लिए भेज दिया गया है। ऐसा अनुमान है कि अनुवाद किए जाने वाले नियमों और आदेशों आदि के पृष्ठों की कुल संख्या लगभग 30,000 होगी। अतएव कानूनी नियमों और आदेशों के लगभग 25,000 पृष्ठों से अधिक का अनुवाद किया जाना बाकी है। इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा किया जा सकेगा। तथापि कानूनी नियमों और आदेशों के अनुवाद कार्य की गति बढ़ाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) विदेशों की विधि पुस्तकों के अनुवाद का कोई प्रस्ताव नहीं है। किंतु हिन्दी में मानक विधि पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए आरम्भ की गई स्कीम की मुख्य बातों में से एक का संबंध ऐसी विधि पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करने से है जिन्होंने उनमें चर्चित विषयों पर गौरव-ग्रन्थों का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अनुवाद के लिए चुनी गई 59 पुस्तकों में से 52 पुस्तकें विदेशी लेखकों की हैं। पुस्तकों के अनुवाद के अधिकार सम्पृक्त लेखकों/प्रकाशकों से प्राप्त करने के लिए तथा यह कार्य करने की उपयुक्त अनुवादकों का चयन करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

Electrification of Tehsil Head Quarters in the country

3113. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3100 on the 22nd August, 1972 regarding the electrification of Tehsil Head Quarters in Rajasthan and state the number of Tehsil Headquarters in the various States of the country where electricity has been supplied to farmers?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : A statment is attached.

STATEMENT

The requisite information is given below:—

Serial Number	Name of State	Number of Tehsil Headquarters, Talukas electrified
1.	Andhra Pradesh	192
2.	Assam }	46
3.	Meghalaya }	
4.	Bihar	(54)(a)
5.	Gujarat	180
6.	Jammu and Kashmir	(b)
7.	Kerala	54
8.	Haryana	32
9.	Himachal Pradesh	38
10.	Madhya Pradesh	190
11.	Maharashtra	229
12.	Mysore	175
13.	Manipur	9
14.	Nagaland	1
15.	Orissa	974(c)
16.	Punjab	42
17.	Rajasthan	180
18.	Tamil Nadu	114
19.	Tripura	10(a)
20.	Uttar Pradesh	229
21.	West Bengal	(b)

(a) The information is in respect of Sub-divisions.

(b) Not available.

(c) In Orissa Tehsil-wise information is not maintained. In that State 974 Lift Irrigation points were energised as on 31-10-1972.

Electrification of Tehsil Headquarters in Rajasthan

3114. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the names of the nine Tehsil Headquarters in Rajasthan, the electrification of which has been sanctioned, and

(b) the time by which the Electricity Board would submit feasibility reports and make electrification resources available in order to electrify the remaining eight Tehsil Headquarters in Rajasthan?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel): (a) The names of the nine Tehsil Headquarters in Rajasthan which were sanctioned for electrification are as below:—

1.	Roopbas	(District Bharatpur).
2.	Phagi	(District Jaipur),
3.	Digod	(District Kota),
4.	Pipalda	(District Kota),
5.	Shahbad	(District Kota),
6.	Kharchi	(District Pali),
7.	Khandar	(District Swai Madhopur),
8.	Sapotra	(District Swai Madhopur),
9.	Sarara	(District Udaipur),

Sarara Tehsil Headquarter in Udaipur District has since been electrified

(b) Efforts are being made by the State Electricity Board to electrify the remaining eight Tehsil headquarters as early as possible.

Enquiry into Theft of Coal and taking of Money from ticketless Passengers between Udaipur City and Ahmedabad

3115. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have made any investigations during the current year into the cases of theft of coal and other goods in connivance with Railway employees as also into the cases of taking money from ticketless passengers by the Railway employees at the Stations located between Udaipur city and Ahmedabad; and

(b) if so, the action taken in the matter and if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai): (a) No case of theft of coal and other goods in connivance with Railway employees has come to notice so far. However, a case of taking of money from ticketless passengers by Railway employees in this Section is under enquiry.

(b) The Senior Travelling Ticket Examiner involved in this case has been placed under suspension. He and another Ticket Collector of Himmat Nagar have been issued with Charge-sheets for imposition of major penalty. The Government Railway Police personnel suspected to have been involved in the case have been transferred away.

Provision of electricity at 24 stations in Udaipur District, Rajasthan

3116. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 7970 on the 30th May '72 and state:—

(a) Whether any progress has been made to provide electricity at the 24 railway stations located in District, Udaipur Rajasthan referred to therein ; and

(b) if not, the action proposed to be taken by Government?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) & (b) Out of the 24 stations where electrification could not be taken up, now at one station, *viz.*, Kanor, low tension supply has been made available and the electrification of the station is under consideration.

Goods belonging to Rajasthan Electricity Board not removed from Wagons.

3117. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether goods worth about Rs. 60-70 lakhs belonging to Rajasthan Electricity Board are lying at various Stations in Rajasthan and demurrage to the tune of Rs. 30-40 thousand is being levied on them daily; and

(b) if so, the details thereof and the amount of demurrage realised from the Rajasthan Electricity Board by the Railways in 1971-72 and the amount of demurrage still outstanding?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) & (b) : Demurrage charges amounting to Rs. 17,562.50 were collected on consignments belonging to Rajasthan Electricity Board during 1971-72. The amount of demurrage charges outstanding at present against the Rajasthan Electricity Board is Rs. 16,055.73 and attempts are being made to recover the same.

वसरान पैट्रोलियम कम्पनी द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन के विरुद्ध दायर किया गया मुकदमा

3118. श्री राम भगतपासवान : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसरान पैट्रोलियम कम्पनी, लन्दन, में निगमित, ने इंडियन आयल कारपोरेशन को ईराक में उत्तर रूमानिया तेल क्षेत्र से पैट्रोलियम लेने, उसका व्यापार करने अथवा उसे शोधित करने से रोकने हेतु उसके विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दल ीर सिंह) (क) जी हां ।

(ख) बम्बई हाई कोर्ट में भारतीय तेल निगम के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमें के प्रतिवाद के लिये निगम ने प्रभावकारी कदम उठाये हैं । मामला अभी न्यायाधीन है ।

अप्रयुक्त रेल टिकटों की वापसी के मामले में यात्रियों के दल को रियायतें देना

3119. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अप्रयुक्त रेल टिकटों की वापसी के मामले में यात्रियों के दलों को कोई रियायतें देने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित रियायतों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मीठापुर में पैट्रो-रसायन उद्योग समुह की स्थापना हेतु टाटा को प्रोत्साहन

3120. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मीठापुर में पैट्रो-रसायन उद्योग समह की स्थापना करने के लिये टाटा बन्धुओं को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : उस समय तक जब तक कि कच्चे तेल के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा आयातित ईंधन तेल के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा से कम रहती है, मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि0 द्वारा संभरण सामग्री के रूप में आयातित कच्चे तेल पर आधारित मीठापुर के अपने उर्वरक कारखाने की कार्यान्विति किये जाने के बारे में सरकार सहमत हो गई है । इसके अतिरिक्त, भारतीय तेल निगम तथा मैसर्स टाटा कैमिकल्स की मार्फत आयात किये जाने वाले कच्चे तेल की जरूरत अन्य पैट्रोलियम संभरण सामग्री के प्रयोग के लिये पड़ेगी यदि इस संयंत्र के लिये देशीय उपयुक्त संभरण सामग्री उपलब्ध हो गई । इस तरह से प्रयोग किये जाने वाली पैट्रोलियम संभरण सामग्री पर उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा और इस संभरण सामग्री पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की लाभप्रदता में सुधार लाने के लिये इस पर कुछ अन्य मूल्य समंजन भी दिये जाएंगे । संभरण सामग्री के रूप में पैट्रोलियम पर आधारित होने वाली सभी परियोजनाओं को यह रियायतें लागू होंगी ।

गंगा कावेरी परियोजना के संबंध में तमिलनाडु सरकार से प्राप्त अभ्यावेदन

3121. श्री आर०बी० स्वामीनाथन् : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकाय ने गंगा कावेरी परियोजना का कार्य एक साथ दोनों ओर से प्रारम्भ करने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने कावेरी के जल को तिरुनेवेली जिले के तम्बारा बारानी स्थान पर ले जाने की संभाव्यता के बारे में भी एक अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अलाभकारी रेल लाईनों को बन्द करने के लिए राज्य सरकारों की रजामंदी

3122. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, राज्य सरकारों से उनके राज्यों में अलाभकारी रेल लाइनों को बन्द करने के बारे में उनकी सहमति मांगी है;

(ख) उन रेल लाइनों के, राज्यवार, नाम क्या हैं जो अलाभकारी हैं और जिनको बन्द करने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस बात पर सहमति प्रकट की है कि वे हानि में हिस्सा बटाने के लिए तैयार हैं, और यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का सारांश क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : लाटागुड़ी-रामशायी और कूंकवाभ-देर्दी रेलवे लाइनों के बन्द किये जाने के संबंध में अपनी राय बताने के लिए क्रमशः पश्चिम बंगाल और गुजरात की राज्य सरकारों को लिखा गया है ।

(ग) इन राज्य सरकारों से अभी उत्तर नहीं मिले हैं ।

चौथी योजना में मुख्य सिंचाई योजनाओं पर किया गया व्यय

3123. श्री सी० के० चद्रप्पन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चौथी योजना के दौरान मुख्य सिंचाई योजनाओं पर कुल कितना व्यय किया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : चतुर्थ योजना में बृहत् और मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए स्वीकृत परिव्यय 951.5 करोड़ रुपये था । राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं के लिए यथासंभव अधिक से अधिक धनराशि की व्यवस्था करने के लिए कोशिश कर रही हैं और ऐसी आशा है कि वास्तविक परिव्यय लगभग 1200 करोड़ रुपये होगा ।

बड़ौदा निर्वाचन क्षेत्र को अनारक्षित स्थान में बदलना

3124. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में बड़ौदा निर्वाचन-क्षेत्र आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसे अनारक्षित स्थान घोषित करने का है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) यह स्थान पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 25 के उपबन्धों के अधीन परिसीमित आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान घोषित किया गया था ।

(ग) 1971 की जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के प्रश्न पर विचार करने का काम, संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) के अनुसरण में संसद् द्वारा बनायी गई विधि के अधीन गठित किए जाने वाले परिसीमन आयोग का है, सरकार का नहीं ।

तूफान एक्सप्रैस में गन्दगी

3125. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-हावड़ा-तूफान ऐक्सप्रैस में बहुत गंदगी रहती है और इस बारे में शिकायतें भी की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेल यात्रियों को अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) हालांकि तूफान एक्सप्रैस में सफाई की स्थिति के बारे में सामान्यतः कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है लेकिन 29/30-10-72 को इसके चालन के बारे में एक विशिष्ट शिकायत मिली है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ख) इस रेल के रख-रखाव सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है । फिर भी, पर्यवेक्षण कार्य को और चुस्त बनाने के लिए रेलवे को कहा गया है ।

कीरतपुर स्टेशन पर आलू की बोरियों के लदान के लिए माल डिब्बों की कमी

3126. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1972 के प्रथम सप्ताह में कीरतपुर रेलवे स्टेशन पर आलू की बोरियों के लदान के लिए रेलवे के मालडिब्बों की अत्यधिक कमी के बारे में हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों के निवासियों ने तार भेज कर शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो शीघ्र खराब हो जाने वाली इस वस्तु के परिवहन के लिए अपर्याप्त प्रबंध के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस क्षेत्र से भेजी जाने वाली विभिन्न प्रकार की परमावश्यक वस्तुओं की आवश्यकताओं के अनुसार कीरतपुर साहिब स्टेशन से बीज आलू के लदान के लिए मालडिब्बों की अधिक से अधिक सप्लाई करने के प्रयास किये गये हैं । अक्तूबर और नवम्बर, 1972 में (27 तारीख तक) कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन से बड़ी लाइन के 132 डिब्बे लादे गये थे जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 54 मालडिब्बे लादे गये थे । 27-11-1972 को कीरतपुर साहिब से प्रतिबंधित गन्तव्य स्थानों के लिए केवल 2 मांगें बकाया थीं ।

हिमाचल प्रदेश में जगाधरी से पोन्टा साहिब तक रेलवे लाइन

3127. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में जगाधरी से पोंटा साहिब तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) क्या सर्वेक्षण पूरा हो गया है और यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मं ी (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) : जगाधरी और पोन्टा के बीच एक बड़ी रेलवे लाइन के लिए टोह इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण का काम जारी है । इस काम को हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रभार्थ 'निक्षेप कार्य' के रूप में 14-7-72 को स्वीकृति दी गयी थी और अगस्त, 1973 के अन्त तक इसके पूरा हो जाने की आशा है ।

मीटर गेज और नैरो गेज लाइन का बड़ी बड़ी लाइनों में बदला जाना

3128. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रेल मंत्री मीटर गेज और नैरो गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के बारे में 14 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में कुछ नई मीटर गेज और नैरो गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उन लाइनों का नाम क्या है जिन्हें बदलने का बिचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): बाराबंकी-समस्तीपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मंजूरी दी जा चूकी है। बोंगाईगांव-गुवाहाटी और बरौनी-कटिहार खण्डों को बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और शीघ्र ही विनिश्चय किये जाने की संभावना है।

नंगल उर्वरक कारखाने में विद्युत का उपयोग

3129. श्री बनमाली पटनायक : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में अभूतपूर्व बिजली के संकट पर काबू पाने के लिए प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि वह केन्द्रीय सरकार के नंगल उर्वरक कारखाने को लगभग 10 मेगावाट बिजली की खपत कम करने के लिए राजी करें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : जी हां। पंजाब सरकार ने ऐसा अनुरोध किया है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में हाइड्रो-क्रैकिंग एकक बनाना

3130. श्री बनमाली पटनायक : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा (उत्तर प्रदेश) के तेल शोधक कारखाने में मिट्टी के तेल और हाई-स्पीड डीजल बनाने के लिए हाइड्रो-कैकिंग एकक लगाया जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हाइड्रो क्रैकर समूह में हाइड्रो क्रैकर के अतिरिक्त एक वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट जो कि पोषण आयोजन यूनिट है और हाईड्रो क्रैकिंग के लिये आवश्यक हाइड्रोजन उत्पादन के लिये एक हाईड्रोजन यूनिट समाविष्ट है। यह लगभग 800,000 टन मिट्टी के तेल व तीव्र गति डीजल तेल का उत्पादन करेगा।

पैट्रोलियम के भारी भाग का हाईड्रो क्रैकिंग अब तक एक नई प्रविधि है जो कुछ बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की कम्पनियों ने विकसित की है। इस प्रक्रिया में कच्चे तेल से अलग किये गये वैक्यूम गैस तेल का कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है और क्रैकिंग हाईड्रोजन वातावरण में भारी दबाव और तापमान (लगभग 100 वातावरण और 400° सेन्टी ग्रेड) में कैटालिस्ट की उपस्थिति में किया जाता है। हाईड्रो क्रैकिंग के लिये प्रक्रिया जानकारी अब तक स्वदेश में विकसित नहीं हुई है। भारतीय तेल निगम विभिन्न लाईसेंस वालों से सम्पर्क स्थापित कर रहा है।

रेलवे द्वारा बिजली को सुरक्षित रखना

3131. श्री बनमाली पटनायक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बिजली को सुरक्षित बनाये रखने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ऐसी क्या कार्यवाही की गई है, जिस से कार्य में बाधा न पड़े और यात्रियों को परेशानी न हो ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) रेल प्रशासनों और रेलवे की उत्पादन यूनिटों ने बिजली की खपत सुरक्षित रखने के लिए सभी संभव उपाय इस बात को ध्यान में रख कर किये हैं कि रेलवे के काम में रेल

उपयोग कर्त्ताओं को अत्यधिक कठिनाई न हो। रेल मंत्री बिजली की खपत में चरम मितव्ययता बरतने के लिए सभी रेल कर्मचारियों से व्यक्तिगत अपील पहले ही कर चुके हैं। जो विभिन्न उपाय किये गये हैं, उनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(i) गाड़ियों का समय न होने पर प्लेटफार्मों पर स्टेशन परिसरों आदि में बत्ती और पंखों का सीमित उपयोग खाली होने पर यात्रियों के आश्रय स्थलों के पंखे बन्द कर दिये जाते हैं। जाड़े के दिनों में पंखे बन्द रखे जाते हैं।

(ii) कार्यलयों, कैन्टीनों, कारखानों आदि में वातानुकूलकों और जलशीतकों के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध तथा बत्तियों की संख्या में कमी।

(iii) सभी महत्वपूर्ण स्टेशन इमारतों, कार्यालय आदि के लिए एक कोटा निश्चित करके खपत का नियमन।

(iv) उद्दीप्त बत्तियों के स्थान पर कम संख्या में प्रतिदीप्त बत्तियां लगाकर शौचालयों आदि में बत्तियों की संख्या में कमी।

(v) इसी प्रकार, स्टेशन इमारतों तथा यार्डों में सामान्य प्रदीप्त बत्तियों के स्थान पर प्रतिदीप्त तथा एच०पी० एम०वी० बत्तियां लगाना ताकि कम बिजली से भी उतना ही प्रकाश उपलब्ध हो सके।

(vi) कर्मचारी क्वार्टरों और स्टेशन इमारतों की सड़कों पर लगभग 50 प्रतिशत बत्तियां हटा लेना।

(vii) पानी के अपव्यय को रोकना ताकि, पम्पिंग संस्थापनाओं में बिजली के खर्च में कमी हो।

(viii) कर्मचारी क्वार्टरों में बिजली की खपत में वैसी ही कटौती जैसी कि राज्य सरकार ने की है।

(ix) उपनगरीय खण्डों पर बिजली गाड़ियों द्वारा तटानुगमन फलकों का (अर्थात् जब वे बिना बिजली के चलती हैं) सख्ती से पालन, आदि।

पूर्व तथा मध्य पूर्व में राष्ट्रीय तेल कम्पनियों का एक संगठन बनाने का सुझाव

3132. श्री के० बालदन्डायुतम : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीलोन पैट्रोलियम कारपोरेशन के पूर्व तथा मध्य पूर्व में राष्ट्रीय तेल कम्पनियों का एक संगठन बनाये जाने के सुझाव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : सिलोन पैट्रोलियम कारपोरेशन ने प्रारंभ में, और बातों के साथ साथ, भारतीय तेल निगम को सुझाव दिया था कि तेल उद्योग की विभिन्न समेकित अवस्थाओं में कार्यरत राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को मजबूत बनाने तथा उन्हें राष्ट्रीय हित में घरेलू विपणन कार्यों पर पूरा नियंत्रण करने के योग्य बनाने की दृष्टि से पूर्व तथा मध्य पूर्व में राष्ट्रीय तेल कम्पनियों की एक संस्था बनाई जाए। और बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया गया था कि यह संस्था आर्थिक तथा तकनीकी विकास, अनुसन्धान कार्य बढ़ाने तथा सदस्य कम्पनियों के बीच अनुसन्धान के परिणामों पर ज्ञान के आदान-प्रदान के लिये पारस्परिक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता आदि मुहैया करने का प्रयत्न करेगी।

इस प्रस्ताव पर भारतीय तेल निगम के चेयरमैन तथा सिलोन पैट्रोलियम कारपोरेशन के बीच श्रीलंका में अगस्त, 1972 में विचार-विमर्श हुआ था। इन विचार विमर्शों के दौरान यह महसूस किया गया कि इस समय किसी औपचारिक संस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। प्रारंभ में विभिन्न नेशनल तेल कम्पनियां दल के रूप में एकत्रित हो जाएं और पारस्परिक हित की समस्याओं पर बातचीत करें जिन से बाद में द्विपक्षीय प्रबन्ध हो सकते हैं। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

Trains without Attendants in Jodhpur Division

3133. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether many Railway trains running in Jodhpur Division are without Attendants and if so, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : Coach Attendants are required to be provided on First Class corridor type coaches. On Jodhpur Division, such coaches are running on 93 Up/94 Down and 97 Up/98 Down trains. Coach Attendants have been provided on 93 Up/94 down trains. The proposal for creation of additional posts of Coach Attendants to man corridor type coaches recently introduced on 97 Up /98 Down trains is under consideration.

Wagon Shortage Creating Hurdles for Industrial Development

3134. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of Railway wagons in the country; and

(b) if so, the extent thereof and the number of years likely to be taken in meeting the shortage thereof?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) & (b): There is some shortage of wagon under present conditions of working and for the present level and lead of traffic. The availability of wagons for loading depends not only on the total number of wagons on line but also on the mobility of these wagons. The mobility is seriously affected by the adverse law and order and labour situations which are recurring features month after month. Wagon orders have been placed on the manufacturers and the position will ease as more wagons are put on line and conditions, both working and environmental, improve.

उच्च ग्रेडों में तीन वर्षों से स्थानापन्न अराजपत्रित कर्मचारियों की पदावनति के विरुद्ध संरक्षण

3135. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू लाइनों पर अथवा निर्माणाधीन लाइनों पर लगातार तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि तक उच्च ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले अधिकारी को पदोन्नति से संरक्षण दिया जाता है ;

(ख) क्या तीन वर्षों अथवा अधिक अवधि तक उच्च ग्रेडों में स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों की पदावनति कर दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिकारियों को दिया जा रहा संरक्षण अराजपत्रित कर्मचारियों को भी देने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) श्रेणी II के जो अधिकारी और अस्थायी सहायक अधिकारी (अवर्गीकृत) तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि तक वरिष्ठ वेतन-मान में स्थानापन्न रूप में निरन्तर काम करते हैं, उनकी परावर्तन से सुरक्षा की जाती है। श्रेणी I के जो अधिकारी तीन वर्ष या अधिक अवधि के लिए ऊंचे ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में कोई अनुदेश नहीं है।

(ख) और (ग): ऊंचे ग्रेड के अराजपत्रित पदों पर निरन्तर बने रहना पदों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, स्थानापन्न रूप से कार्य करने की अवधि पर नहीं। स्थानापन्न अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में परावर्तन से सुरक्षा सुनिश्चित करना व्यावहारिक नहीं है।

2/Lok Sabha/73—10

धनबाद पूर्वी रेलवे के उप-मंडलीय अधीक्षक के ध्यान में लाए गए भ्रष्टाचार के मामले

3136. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोला मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद् सदस्य द्वारा 19 अप्रैल, 1972 को धनबाद, पूर्वी रेलवे के उप मंडलीय अधीक्षक के ध्यान में लाये गये भ्रष्टाचार के विशेष मामलों के संबंध में, जो रेलवे बोर्ड को भेज दिये गये थे, जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): सदस्य महोदय ने अपने 20-4-1972 के पत्र के साथ भ्रष्टाचार के जिन विशिष्ट मामलों के बारे में शिकायत भेजी है, उनकी रेल प्रशासन जांच कर रहा है। अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

समयोपरि भत्ते के रूप में बहुत अधिक धनराशि की अदायगी

3137. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को अपने कर्मचारियों को अधिक समय तक कार्य करने के एवज में बहुत अधिक धन-राशि की अदायगी करनी पड़ रही है;

(ख) क्या अधिक समय तक कार्य करने का कर्मचारियों को असुविधा होती है और उनके स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समय से अधिक कार्य करने की पद्धति समाप्त करने और अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने का और इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने का है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रेलों पर वर्ष 1970-71 में दिये गये समयोपरि भत्ते की कुल राशि 6,94,25,000 रुपये थी जबकि तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का कुल वेतन बिल 4,49,06,31,000 रुपये का था अर्थात् केवल 1.6 प्रतिशत।

(ख) कर्मचारियों को नितान्त आवश्यक होने पर ही समयोपरि ड्यूटी पर लगाया जाता है। उनको नियमित रूप से समयोपरि काम पर नहीं लगाया जाता क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य पर अनुचित बोझ पड़ता है।

(ग) रेलों पर समयोपरि काम की घटना अधिकतर आपात स्थिति में ही होती है जैसे गाड़ियों की अप्रत्याशित रुकौनी, पारी कर्मचारियों का ऐन मौके पर बीमार हो जाना तथा दुर्घटनाएं। ऐसे अवसरों पर रात-दिन काम चालू रहने के कारण समयोपरि काम करना अपरिहार्य होता है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से समयोपरि काम का पूर्णतः उन्मूलन नहीं हो सकेगा।

तेल उद्योग द्वारा अभी भी आयात की जाने वाली मशीनें

3138. श्री राजदेव सिंह : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के तेल उद्योग के लिए अभी तक किस प्रकार की मशीनों का आयात किया जा रहा है; और

(ख) किसी मद के आयात किये बिना तेल उद्योग के कब तक अपने पांव पर खड़े हो जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : भारत तेल उद्योग के लिये अपेक्षित उपकरण तथा सामग्री का अधिकांश भाग देश में ही उपलब्ध करने की स्थिति में है। तथापि, देश में जहां निर्माण क्षमता अथवा जानकारी उपलब्ध नहीं है, कुछ निश्चित आकार के ऊपर के तथा कुछ नाजुक सेवाओं के

लिये उपकरणों का आयात करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, हाइड्रोकैकिंग प्रक्रिया, रिएक्ट्रों, कामप्रेशर्ज आदि का केवल आकार ही बड़ा नहीं है किन्तु इन का इस तरह डिजाइन किया जाना है ताकि उन उपकरणों जो इस समय देश में बनाये जा सकते हों, द्वारा सहन किये जा सकने वाले दबाव तथा तापमान से बहुत अधिक दबाव एवं तापमान पर चल सकें। इन मदों के लिये देशीय क्षमता का विकास उनकी मांग एवं इस प्रकार के अन्य तथ्यों, जिन का सतत पुनरीक्षण किया जा रहा है, पर निर्भर करेगा।

अधिकतम आत्म निर्भरता प्राप्त करना एक उद्देश्य है और इस की सतत पैरवी की जा रही है। इस प्रयोजन के लिये कोई निश्चित लक्षित तिथि नहीं बताई जा सकती, क्योंकि प्रौद्योगिकी भी तीव्र गति से विकसित हो रही है।

'सिगनैल' तथा 'टैलीकोम्यूनिकेशन' के कर्मचारियों को वर्दियां तथा पहचान-पत्र देना

3139. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रिले' जैसे कीमती उपकरणों का संचालन करने वाले सिगनैल तथा 'टैलीकोम्यूनिकेशन' के कर्मचारियों को वर्दियां और पहचान-पत्र दिये जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): वर्दियां और पहचान पत्र सप्लाई करने के मामले में क्षेत्रीय रेलें अपना-अपना तरीका अपनाती हैं। केवल दक्षिण रेलवे में कुछ कोटियों के सिगनैल और दूर-संचार कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं। मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण-पूर्व रेलों के सभी सिगनैल और दूर संचार कर्मचारियों को और दक्षिण-मध्य और दक्षिण रेलों के कुछ कोटियों के कर्मचारियों को पहचान-पत्र दिये जाते हैं। बाकी तीन रेलें सिगनैल और दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों को पहचान-पत्र सप्लाई नहीं करती।

बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

3140. श्री झार खंड राय : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निधि की कमी के कारण पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के कार्यान्वियन में प्रगति धीमी रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बाढ़ नियंत्रण उपायों को गति प्रदान हेतु इन राज्यों को वित्तीय सहायता देने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख): राज्य सरकारें बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए अपनी योजनाओं में विकास के विभिन्न सेक्टरों की मांगों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए धनराशि की व्यवस्था कर रही है जो समग्र संसाधनों में से ही ली जायेंगी। राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली यह धनराशि बाढ़ नियंत्रण उपायों में इच्छित प्रगति को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

1971 के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में विनाशकारी बाढ़ों और क्षति को देखते हुए भारत सरकार ने बार-बार होने वाली ऐसी क्षति को कम करने के लिए एवं सहायता उपायों पर व्यय के निमित्त इन राज्यों को कुछ प्राथमिकता वाले बाढ़-नियंत्रण कार्यों के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए सुझाव दिया है। केन्द्र भी इन राज्यों में प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों के लिए चौथी योजना के अंतिम दो वर्षों में निम्नांकित सीमित दर से विशेष सहायता की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया है :—

बिहार	9 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश	10 करोड़ रुपये
पश्चिम बंगाल	11 करोड़ रुपये

स्कीमों के कार्यान्वियन में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर यह सहायता दी जाती है। अब तक बिहार के लिए 50 लाख रुपये और पश्चिम बंगाल को एक करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

जोनल रेलों का कार्य-निष्पादन

3141. डा० रानेन सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न जोनल रेलों के कार्य-निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के पहले छः महीनों में विभिन्न जोनल रेलों के कार्यकरण के वित्तीय परिणाम क्या रहे ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1972-73 के अर्द्ध वार्षिक लेखों से ज्ञात होता है कि ग्रामदनी में बजट प्रत्याशा से लगभग 18 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और बजट में निर्धारित अंश से लगभग 39 करोड़ रुपये अधिक खर्च हो गये हैं ।

लाभ और हानि के लेखे पूरे वर्ष के ही रखे जाते हैं । सितम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली छमाही में हुई ग्रामदनी और सामान्य संचालन व्यय के ग्रांकड़े इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	ग्रामदनी	संचालन व्यय
मध्य	84.82	52.81
पूर्व	68.57	61.79
उत्तर	88.63	63.44
पूर्वोत्तर	28.97	24.27
पूर्वोत्तर सीमा	19.40	24.12
दक्षिण	52.13	43.10
दक्षिण मध्य	48.48	33.46
दक्षिण पूर्व	90.69	54.98
पश्चिम	88.56	59.52
जोड़	570.25	417.49

विवरण

(क) अप्रैल से सितम्बर, 1972 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के कार्य के महत्वपूर्ण ग्रांकड़ों की तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के ग्रांकड़ों से की गयी जो इस प्रकार है —

रेलवे	प्रारम्भिक यात्रियों की संख्या (दस लाख में) (मोटे तौर पर)		राजस्व उपार्जक ढोया गया टन भार (दस लाख में)		प्रारम्भिक ग्राधार पर राजस्व उपार्जक यातायात के शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर (दस लाख में)	
	1971	1972	1971	1972	1971	1972
मध्य	263	289	7.0	6.9	5.737	5,875
पूर्व	145	181	17.2	18.0	11,094	10,791
उत्तर	144	153	6.7	7.5	7,504	9,372
पूर्वोत्तर	79	84	2.5	2.1	1,388	1,396
पूर्वोत्तर सीमा	14	14	1.5	1.7	1,275	1,554
दक्षिण	129	133	6.2	6.3	4,976	5,190
दक्षिण मध्य	61	62	5.8	6.0	3,337	3,533
दक्षिण पूर्व	54	55	25.5	26.1	13,204	3,560
पश्चिम	336	353	8.9	8.9	6,969	7,071
जोड़	1,225	1,324	81.3	83.5	55,484	58,342

रेलवे और राज्य परिवहन के बीच ताल-मेल

3142. डा० रानेन सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे और सड़क परिवहन के बीच तालमेल सुधारने की बहुत गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो परिवहन के दोनों साधनों के बीच अधिक ताल-मेल सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : परिवहन सम्बन्धी समन्वय की विभिन्न समस्याओं, विशेष रूप से सड़क तथा रेल समन्वय की समस्याओं की ओर रेलवे तथा परिवहन मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा लगातार पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सम्पूर्ण योजना इस प्रकार बनायी जाती है कि विभिन्न प्रकार की परिवहन प्रणालियों का विकास इस तरह हो सके ताकि जहां तक आवश्यक और व्यावहारिक हो कार्य की आवृत्ति से बचा जा सके। रेलें 1974 से 1989 तक के 15 वर्षों की अवधि के लिए एक सम्मिलित योजना भी तैयार कर रही है।

इस सम्बन्ध में आवश्यक अध्ययन किये जा रहे हैं ताकि जनता को कम से कम लागत पर रेल परिवहन की व्यवस्था की जा सके और पाइप लाइन, सड़क परिवहन और तटीय नौवहन जैसे परिवहन के अन्य साधनों के निकट समन्वय से काम किया जा सके। संसदीय कार्यों जहाजरानी एवं परिवहन के केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्र में स्थापित परिवहन विकास परिषद्, जिसमें केन्द्रीय रेल मंत्री तथा राज्यों के परिवहन मंत्री सदस्यों के रूप में शामिल हैं, परिवहन के विकास और समन्वय से सम्बन्धित प्रमुख समस्याओं और नीतियों की जांच करती है। कुछ राज्यों में राज्य परिवहन सलाहकार समितियां/बोर्ड हैं जिनमें रेलों को भी प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और वे समन्वय के काम की जांच पड़ताल करते हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे के विद्युतीकृत अनुभागों को बिजली की सप्लाई

3143. डा० रानेन सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारम्बार "लोड शेडिंग" और "पावर ट्रिपिंग" का दक्षिण पूर्व रेलवे के विद्युतीकृत अनुभागों में रेल यातायात पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के विद्युतीकृत अनुभागों को आयायित रूप से बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाइ) : (क) और (ख) : जून, जुलाई और अगस्त 1972 के महीनों में दक्षिण पूर्व रेलवे के विद्युतीकृत खण्डों पर मालडिब्बों का संचलन सामान्य रूप मे मन्द रहा बिजली का प्रवाह निरन्तर बनाये रखने के लिए रेल प्रशासन स्थानीय राज्य बिजली सप्लाई प्राधिकारियों के साथ सभी स्तर पर बराबर सम्पर्क बनाये रखते हैं। रेल कर्षण को अन्य कम आवश्यक उपभोक्ताओं की अपेक्षा उच्चतम प्राथमिकता पहले ही दी जा चुकी है। जब सप्लाई में अवरोध अपरिहार्य होता है, तब उन पर न्यूनतम प्रभाव पडता है। आपात स्थिति में सिगनलिंग व्यवस्था के लिए निकटवर्ती सब-स्टेशनों से सम्भरकों के विस्तार की व्यवस्था भी की जाती है.

हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाईपलाईन के पुनः रेखांकन संबंधी विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन

3144. डा० रानेन सेन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन के पुन रेखांकन की जांच सम्बन्धी विशेषज्ञों के कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यकारी दल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी हां

(ख) विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के मुख्य बातों का एक विवरण-पत्र संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3912/72**]

(ग) दल की रिपोर्ट विचाराधीन है।

तृतीय श्रेणी के यात्रियों को और अधिक सुविधाएं

3145. श्री सत्य चरण बेसरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय श्रेणी के यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने के प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सुविधाएं देने का विचार है और तृतीय श्रेणी के डिब्बों में भीड़ कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है।

रेल मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) और (ख) : स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये प्रति वर्ष यातायात संबंधी आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक रेलवे की रेल उपयोगकर्त्ता सुविधा समितियों के परामर्श से कार्यक्रम बनाये जाते हैं। प्रतिवर्ष तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों, प्लेटफार्म छतों को बढ़ाने, ऊंचे प्लेटफार्म बनाने, नल के पानी की व्यवस्था आदि पर लगभग 4 करोड़ रुपये की रकम खर्च की जाती है। विभिन्न दर्जों के डिब्बों में भीड़ भाड़ का अनुमान लगाने के लिए प्रति वर्ष दो बार यात्रियों की गणना की जाती है जिसके आधार पर नयी गाड़ियां चलाने, गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाने और भीड़ भाड़ कम करने के लिए वर्तमान गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जाती है। 1969-70 से 1971-72 तक की अवधि में 484 गाड़ियां चलायी गयी हैं। उनका चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है जिससे 33,662 दैनिक गाड़ी किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 1-5-72 और 1-11-72 से लागू समय समय-सारणी में 109 गाड़ियां चलायी गयीं/बढ़ायी गयीं जिससे 6919 दैनिक गाड़ी किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 1-4-69 के बाद बड़ी लाइन पर 14 जोड़ी गाड़ियां और मीटर लाइन पर 9 जोड़ी गाड़ियां डीजल कर्षण से चलायी जा रही हैं और उनके डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गयी है।

Setting up of Ganga Flood Control Board

3146. Shri K.M. Madhukar: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Ganga Flood Control Board has been set up with its Head-quarter at Patna;

(b) whether any report has been received from the Chairman of the Board regarding the formalities required to be completed for the functioning of the Board and the action taken by the Centre in this direction;

(c) whether the required staff and financial assistance have been provided to the Board if so, the extent to which the staff and assistance have been provided; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel) : (a) The Honourable Member is presumably referring to the Ganga Flood Control Commission.

Ganga Flood Control Commission with headquarters at Patna constituted by the Government of India started functioning from August, 1972.

(b) The Chairman of the Commission had requested for the nomination of the representative of the Ganga Flood Control Commission on the Technical Advisory Committees of the State Flood Control Boards and the State Committees of Engineers in the states in the Ganga basin for keeping in close touch with their activities. The authorities concerned have been addressed in this regard.

The Chairman of the Commission had also requested for laying down the procedure of processing of flood control and drainage schemes relating to the Ganga basin. This is under examination in consultation with the Planning Commission.

(c) to (d): An amount of Rs. 5 lakhs has been provided to meet the expenditure on the Ganga Flood Control Commission during 1972-73. The Chairman, one director out of the two and 4 Deputy Directors for the Commission are in position. Supporting technical and non technical staff have also been provided to meet the immediate requirements. Another Director is expected to join the commission early in December, 1972. Two posts of Members of the commission are to be filled as soon as the selection of candidates is finalised.

Provision of Shed on Chakia Station

3147. Shri K.M. Madhukar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether no shed has been provided either at Chakia Station or its goods platform on Narkatiaganj, Muzaffarpur line of North Eastern Railway so far and nor any lavatory has been provided here so far;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which these facilities are likely to be provided at Chakia Station?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai): (a) To meet the requirements of passenger traffic offering at Chakia station, covered accommodation by way of waiting hall measuring 1060 sq. ft. and a Verandah on the platform measuring 300 sq. ft. already exist. A cover measuring 1260 sq. ft. on the goods platform also exists. There are three seated acqua privy latrines on the passenger platform and one seated acqua privy latrine in the upper class waiting room at this station. The existing arrangements are considered adequate.

(b) & (c) : Do not arise.

Broad Gauge line from Samastipur to Muzaffarpur

3148. Shri K.M. Madhukar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government had taken a decision to lay Broad-guage Railway Line from Samastipur to Muzaffarpur in the North Eastern Railway and if so, the reasons for which no progress has been made so far in implementing the said decision; and

(b) whether any target has been fixed for completing the construction of Broad-gauge line from Samastipur to Muzaffarpur and if so, what?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai): (a) This section forms a part of the Barabanki-Samastipur M.G. to B.G. conversion project which has been sanctioned on 25-4-1972. Preli minary arrangements have been initiated to take up the work.

(b) The work on the Samastipur-Muzaffarpur portion is expected to be completed by 1975-76.

मैसूर में सिंचाई परियोजनाएं

3149. श्री बी० वी० नायक : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के बेलगांव जिले में खानपुर ताल्लूक में मालाप्रभा नदी पर दो सिंचाई परियोजनाएं हैं, असोगा (अपर माला प्रभा) और तातीनाला (लोअर मालाप्रभा);

(ख) क्या अपर मालाप्रभा परियोजना का कार्य पांचवी पंचवर्षीय योजना में संभव हो सकेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ताती नाला योजना का कार्य न्यायाधिकरण द्वारा कृष्णा बेसिन नदी जल-विवाद निपटाने के तुरन्त पश्चात प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : मैसूर सरकार ने अभी तक बेलगांव जिले के खानपुर तालुक में माला प्रभा को एक सहायक सत्ती नाला के ऊपर तत्तिहाला नाम की केवल एक नई

सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव किया है। यह परियोजना कृष्णा बेसिन में पड़ती है जिसके जल का विवाद न्याय-निर्णयाधीन है। कृष्णा न्यायाधिकरण के पंचाट के पश्चात जिसके एक वर्ष के अन्दर उपलब्ध होने की आशा है, इसकी स्वीकृति के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

जल विद्युत योजनाओं द्वारा पैदा की गई बिजली को अन्य राज्यों में बांटना

3150. श्री बी० वी० नायक : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने काली जल-विद्युत परियोजना से पैदा होने वाली बिजली को अन्य राज्यों के साथ बांटना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मैसूर सरकार के लिए कालीनदी जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत की अन्य राज्यों के साथ बांटने के लिए कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल. मैसूर सरकार, अन्य पड़ौसी राज्यों नामश: आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु आदि के लिए जब भी ऊर्जा फालतू की जा सकती है, विद्युत सप्लाई करती रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मिलान (इटली) में की गई नियुक्तियां

3151. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारती उर्वरक निगम ने किसी व्यक्ति को नियुक्त करके मिलान (इटली) भेजा है;

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किये गये व्यक्ति की आयु और उसकी अर्हताएं क्या हैं; और

(ग) उसका मासिक वेतन क्या है; वेतन अदायगी किस प्रकार से होगी और उसको अन्य सुविधाएं क्या दी जायेंगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 60 वर्ष। वर्तमान पदस्थ के शैक्षिक योग्यता निम्नप्रकार हैं :—

(1) मास्टर आफ आर्टस (1936) तथा अर्थशास्त्र में मास्टर आफ लेटर्स (1941) (**अन्नमले विश्व विद्यालय**)

(2) सिडनी विश्वविद्यालय में ट्रैवेलिंग रिसर्च फैलो। कृषि संबंधी ऋण समस्याओं के विशेष संदर्भ में आस्ट्रेलियन कामन्वेल्थ बैंक के अध्ययन हेतु सिडनी तथा अन्नमले विश्वविद्यालयों से फैलोशिप 1940-42।

(ग) 31-5-1971 से रु० 1300-60-1600 के वेतनमान में रु० 1300 प्रतिमास मूल वेतन तथा भत्ते व अन्य लाभ जैसा कि संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं।

विवरण

1. **विदेशी भत्ता** : रु० 2100 प्रतिमास।

2. **आयकर की देनदारी** : यदि सैद्धान्तिक आधार पर उनके वेतन पर विदेश में देय आयकर भारत में उद्गाह्य आयकर से कम है तो सारा ही उन्हें देना होगा। दूसरी ओर, यदि आयकर यदि भारतीयं आयकर से अधिक होगा तो इसका उत्तर केवल एक ही विन्दु पर निगम वहन करेगी।

व्यवसायिक कर के वापसी के प्रस्ताव, वृद्धावस्था कर तथा अन्य व्यक्तिगत कर, यदि कोई हो तो एफ० सी० आई० ऋ0 उन पर विचार करेगी।

3. **फनिश्ड निवास स्थान** : किराये की अधिकतम सीमा रु० 2400 प्रतिमास होगी।

4. **चिकित्सा पर व्यय** : उनके तथा उनकी पत्नी के लिए सामान्य व उचित व्यय।

5. **मनोरंजन भत्ता** : रु० 690 प्रतिमास।

6. **दौरे पर यात्रा के लिए** : वास्तविक वायुयान रेल का किराया तथा 9 पौण्ड का दैनिक भत्ता।

7. **सज्जा भत्ता** : केवल प्रारंभिक नियुक्त पर रु० 1000 की अधिकतम सीमा तक एक मास के मूल बेतन 50% भारत में व बाकी विदेश में जब अधिकारी चाहें।

8. **स्थानान्तरण अनुदान** : एक मास का मूल वेतन जिसका 50% भारत में देय होगा तथा शेष विदेश में।

9. **सामान** : 2000 कि० ग्राम धरातल मार्ग से जिसमें से 900 कि० ग्रा० प्रति (बड़ा) व्यक्ति, जिसमें 20 कि० ग्रा० मुक्त भत्ते सहित, वायुयान से साथ में जाने वाले सामान के रूप में ले जाया जा सकता है।

10. पहुंचने पर निवास स्थान : जब तक निवास स्थान नहीं प्राप्त होता तथा अधिकतम 3 सप्ताह तक।

(क) मिलान में होटल में निशुल्क स्थान : 5000 इटाली 'लिरे' की अधिकतम सीमा तक, वास्तविक व्यय।

यदि पत्नी के साथ हो तो 50% की अधिकतम सीमा में 50% और

(ख) नकद भत्ता : अधिकारी के लिए 6700 इटाली लिरे प्रति दिन

पत्नी के लिए 6700 इटाबी लिरे प्रति दिन

नोट : यदि होटल स्थान के मूल्य में नाश्ता शामिल होगा तो नकद भत्ते का 10% वापस ले लिया जायेगा।

(ग) सीमा के भीतर स्थान के वास्तविक मूल्य के अतिरिक्त, अधिकारी को उसका 10% 'टिप' के लिये मिलेगा पर यह वास्तविक पर निर्भर करेगा।

(घ) कर, सर्विस चार्जेज हीटिंग चार्जेज इत्यादि जो कि अनिवार्य है, और जिन्हें होटल वसूल करेगा, अतिरिक्त दिये जायेंगे।

Implementation of Irrigation scheme in Bihar

3152. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government propose to consider any proposal for speedy implementation of big irrigation schemes in Bihar in view of the drought situation of the current year.

(b) whether Government are considering a proposal to entrust to the Members of Parliament from Bihar the responsibility of supervision the irrigation projects in their respective areas from time to time and to obtain a report from them for reviewing the progress, and

(c) If so, the time by which the proposals are likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel): (a) The Government of India are always anxious to consider any proposal for speedy implementation of big irrigation schemes in Bihar subject only to the constraints of financial resources allocable to the Irrigation Sector of State Plan.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

भारतीय उर्वरक निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों में असन्तोष

3153. श्री अचल सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय उर्वरक निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों में बड़े पैमाने पर असंतोष व्याप्त है;

(ख) गत दो वर्षों में भारतीय उर्वरक निगम में हुई हड़तालों, भूख हड़तालों, प्रदर्शनों आदि का ब्यौरा क्या है और क्या किसी हड़ताल का नोटिस आया हुआ है;

(ग) कुल कितने जन दिवसों तथा उत्पादन की हानि हुई है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ख) : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

2/Lok Sabha/73—11

चिकित्सा विभाग (दक्षिण रेलवे) के सफाई वालों को वर्दियों की सप्लाई

3154. श्री था किरुतिनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के चिकित्सा विभाग के सफाई वालों को वर्दियां नहीं दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या अन्य रेलों के चिकित्सा विभाग में सफाई वालों को वर्दियां दी जाती हैं और यदि हां, तो उन रेलों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) दक्षिण रेलवे पर चिकित्सा विभाग के सफाई वालों को रेलवे के वर्दी विनियमों के अनुसार वर्दियां दी गयी हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। अन्य रेलों पर भी चिकित्सा विभाग के सफाई वालों को संबद्ध रेलवे पर लागू वर्दी विनियमों के अनुसार वर्दियां दी जाती हैं।

रायपुरम स्थित पुस्तक एवं फार्म डिपो का (दक्षिण रेलवे) सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाना

3155. श्री था किरुतिनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुरम स्थित इमारत, जहां दक्षिण रेलवे का पुस्तक एवं फार्म डिपो स्थित है, टूटी फूटी स्थिति में है और वहां पर काम कर रहे कर्मचारी सदा चिंता की स्थिति में रहते हैं; और

(ख) क्या डिपो को सुरक्षित स्थान पर लेजाने के लिए तथा डिपो के लिए नई ईमारत के निर्माण के लिए तुरंत कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) संरक्षा के विचार से प्रश्न नहीं उठता। लेकिन मद्रास में बाहरी बंदरगाह परियोजना के विकास के संदर्भ में इस डिपो को हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

कार वर्कशाप, ताम्बरम् (दक्षिण रेलवे) के मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल सैक्शनों में रिक्त स्थान

3156. श्री था किरुतिनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार वर्कशाप, ताम्बरम् के मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल सैक्शनों में सभी वर्गों में बड़ी संख्या में रिक्त स्थानों को नहीं भरा गया है जिसके फलस्वरूप वर्तमान कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): विभिन्न ग्रेडों में केवल 21 खाली जगहें भरने को पड़ी हुई हैं और उन्हें भरने के लिये कार्रवाई की जा रही है।

दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा खरीदे गये सामान का मूल्य

3157. श्री था किरुतिनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा विभाग-वार स्थानीय रूप से कितने मूल्य का सामान खरीदा गया ;

(ख) इतनी भारी मात्रा में सामान के खरीदे जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1970-71 और 1971-72 में स्थानीय खरीदों के मूल्य में वृद्धि के कारण इस प्रकार हैं :—(1) अनुरक्षण, परिचालन और उत्पादन के लिए अपेक्षित भण्डार की बड़ी-बड़ी मदों की आवश्यक मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भण्डार नियंत्रकों, यांत्रिक कारखाना अधीक्षकों और कर्मशाला प्रबन्धकों के स्थानीय खरीद के अधिकारों में वृद्धि; और (2) भण्डार के मूल्य में आम वृद्धि।

विवरण

दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा नकद स्थानीय खरीद का मूल्य

क्रम सं०	कार्यालम	वर्ष में की गयी स्थानीय खरीद का मूल्य		
		1969–70	1970–71	1971–72
1	2	3		
		रु०	रु०	रु०
1.	प्रधान कार्यालय की भण्डार शाखा, पेयम्बूर	2,92,000	5,93,785	6,42,755
2.	सभी भण्डार डिपो	1,25,841	3,61,134	5,02,982
3.	मंडल			
	(i) मद्रास	1,53,678	2,49,418	1,43,685
	(ii) गुन्तकल्लु	16,110	12,598	26,250
	(iii) ओलव्वक्कोड	6,417	10,380	59,265
	(iv) मैसूर	12,252	21,908	38,776
	(v) तिरुच्चिराप्पल्लि	15,213	78,102	77,425
	(vi) मदुरै	1,398	397	18,102
4.	इतर मण्डलीय कार्यालय, अर्थात् कारखाने, निर्माण परियोजनाएं आदि	4,148	7,593	18,099
	जोड़	6,28,057	13,35,315	15,27,339

टिप्पणी : भण्डार विभाग के अलावा, स्थानीय खरीद मण्डलों और इतर मण्डलीय कार्यालयों द्वारा की जाती है न कि अलग-अलग विभागों द्वारा, इसलिए खरीद का अलग-अलग ब्यौरा तदनुसार दिखाया गया है।

गृह निर्माण के लिय एडवांस तथा प्लाट की खरीद सम्बंधी ऋणों के लिये आवेदन पत्रों क निपटान में विलम्ब (दक्षिण रेलवे)

3158. श्री धा किरुतिनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों से गृह-निर्माण के लिए एडवान्स तथा प्लाटों की खरीद सम्बन्धी ऋण के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और अब तक कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया ;

(ग) क्या आवेदन पत्रों की जांच के लिए पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में आवेदन पत्रों पर विचार में विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वर्ष में प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	447
अब तक निपटाये गये आवेदन-पत्रों की संख्या	170

(ग) और (घ) : भवन निर्माण अग्रिम नियमों के समय-समय पर उदारीकरण के फलस्वरूप आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ गयी है और उनके शीघ्र निपटान के लिए, सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं । कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है ।

तमिलनाडु में भारतीय उर्वरक निगम के व्यापारी

3159. श्री दामोदर पांडे : क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री भारतीय उर्वरक निगम की उद्यम विकास योजना के अन्तर्गत तमिल नाडु से प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के बारे में 14 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 2344 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में भारतीय उर्वरक निगम के कितने व्यापारी हैं;

(ख) कितने बेरोजगार स्नातकों को क्त योजना के अन्तर्गत व्यापारी नियुक्त किया गया है;

(ग) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कितनी सहकारी समितियों और भाण्डागारों को व्यापारी नियुक्त किया गया है; और

(घ) इस बारे में सरकार की पुनर्गठन योजना क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 27

(ख) 2

(ग) (1) सहकारी समितियां

(2) भाण्डागारों शून्य

(घ) ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि उर्वरक को बेचना संबद्ध निर्माताओं का उत्तरदायित्व है ।

रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्कों की 'अत्यावश्यक स्टाफ' के रूप में घोषणा

3160. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के चेयर मैन ने जून, 1971 में जनरल मैनेजरों के साथ हुई अपनी एक बैठक में कहा था कि कमर्शियल विभाग सर्वोच्च विभाग है और अन्य विभागों को कमर्शियल विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए ।

(ख) यदि हां, तो कमर्शियल क्लर्कों को, जो कमर्शियल विभाग के आधार स्तंभ हैं, अत्यावश्यक कर्मचारी न समझे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) कमर्शियल स्टाफ पर परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) स्टाफ को पर्यवेक्षी स्टाफ समझे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अन्य विभागों को कमर्शियल विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जून, 1971 में महाप्रबन्धकों के साथ हुई एक बैठक में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने कहा कि जहां तक बाजार पर अधिकार करके और माल डिब्बों के अधिक उपयोग द्वारा और अधिक माल डिब्बों

का संचालन करके रेलवे की आमदनी बढ़ाने का संबंध है, रेलों पर वाणिज्यिक अधीक्षकों को ही सर्वोच्च अधिकार रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि "परिचालन, इंजीनियरी और अन्य विभागों को स्वयं को वाणिज्यिक विभाग के इस उद्देश्य के अनुकूल बनाना होगा।"

(ख) "अनिवार्य" और "गैर-अनिवार्य" कर्मचारी के रूप में कर्मचारियों का विभाग-वार कोई सम्पूर्ण वर्गीकरण नहीं है। अल्प सूचना पर कुछ कर्मचारी उपलब्ध हो सकें इसी आधार पर क्वार्टरों के आबंटन के लिए यह वर्गीकरण है। इस प्रयोजन के लिए केवल परिचालन और अनुरक्षण कर्मचारी "अनिवार्य" कर्मचारी है।

(ग) स्टेशनों पर, स्टेशन मास्टर, जो परिचालन कर्मचारी है, स्टेशनों के संचालन और काम से संबंधित विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करते है लेकिन वे परिचालन और वाणिज्यिक दोनों अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वे एक दृष्टि से "वाणिज्यिक" कर्मचारी भी हैं।

(घ) यात्रियों और ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक विभाग द्वारा निश्चित की गयी विभिन्न यात्री सुविधाओं, अन्य सुविधाओं आदि की दूसरे विभागों द्वारा तुरंत व्यवस्था की जाती है। महाप्रबंधक और मण्डल अधीक्षक इसे सुविनिश्चित करने के लिए निगाह रखते हैं।

बड़े व्यापार गृहों द्वारा नियंत्रित बिजली संयंत्र

3161. कुमारी कमला कुमारी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बिजली संयंत्रों के नाम क्या हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं जो 20 बड़े व्यापार गृहों के नियंत्रण में हैं;

(ख) क्या वे सब संयंत्र लाइसेंस दी गई पूरी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : 20 बड़े वाणिज्य संस्थानों में से 6 विद्युत आपूर्ति कम्पनियां जिनके पास अपने उत्पादन संयंत्र हैं, को नियंत्रित करते हैं। इन कम्पनियों के नाम और स्थान का एक विवरण संलग्न है।

मरम्मत ओवरहालिंग के लिए बंद किए संयंत्रों के अतिरिक्त अन्य कार्यरत हैं।

विवरण

वाणिज्य संस्थान का नाम	विद्युत आपूर्ति कम्पनी का नाम	राज्य जिसमें स्थित हैं
1. एन्ड्यू यूले	1. एसोसिएटेड पावर कम्पनी लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
	2. दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
2. बर्ड होलगर्स	सिजुआ (झरिया) इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	बिहार
3. बिरला	रेणुसागर पावर कम्पनी लिमिटड	उत्तर प्रदेश
4. गोयंका	1. मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	बिहार
	2. पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	बिहार
5. मार्टिन बर्न	1. आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
	2. बरेली इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
	3. बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर कम्पनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
	4. जबलपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	मध्य प्रदेश
	5. सागर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	मध्य प्रदेश

6. टाटा	1. आंध्र वैली पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
	2. टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
	3. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड	महाराष्ट्र

असिस्टेंट कमर्शियल इन्सपेक्टर (दर तथा दावे) के वेतनमानों का पुनरीक्षण

3162. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असिस्टेंट कमर्शियल इन्सपेक्टरों (दर तथा दावे) के वेतनमानों को 1 फरवरी, 1972 से 205—280 से बढ़ाकर 210-320 (ए० ए० स०) कर दिया गया है हालांकि उक्त कर्मचारियों का अभ्यावेदन नवम्बर, 1961 से सरकार के विचाराधीन था;

(ख) क्या संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के अंतर्गत मध्यस्थ बोर्ड ने उक्त प्रश्न पर अपना फैसला दे दिया है ;

(ग) यदि हां, तो नवम्बर, 1961 और 31 जनवरी, 1972 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन निर्धारण तथा पेंशन आदि के लाभों से वंचित रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का है जिससे कि दर तथा दावों के ऐसे असिस्टेंट कमर्शियल इन्सपेक्टरों को, जिनको उक्त लाभों से वंचित रखा गया है और जिनकी पेंशन कम दरों पर नियत की गयी है, होने वाली कठिनाईयों को दूर किया जा सके ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): संयुक्त परामर्शतंत्र के अधीन विवाचक मण्डल ने यह निर्णय दिया था कि सहायक बाणिज्य निरीक्षकों (दावा और दरें) को 210-320 रुपये का वेतनमान दिया जाये और उक्त निर्णय फरवरी, 1972 से लागू किया जाये ।

(ग) विवाचक मण्डल ने लागू की जाने वाली तारीख पर विशिष्ट रूप से विचार किया और निर्णय दिया कि यह 1-12-1972 से लागू किया जाये ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रांची और दिल्ली के बीच एक्सप्रैस सेवा न आरम्भ करने के कारण

3163. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री 14 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रांची और दिल्ली के बीच एक्सप्रैस सेवा न आरंभ करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : यातायात की दृष्टि से औचित्य न होने के अलावा दिल्ली/नयी दिल्ली गाजियाबाद खंड पर पर्याप्त लाइन क्षमता न होने तथा दिल्ली/नयी दिल्ली में टर्मिनल सुविधाएं सीमित होने के कारण चोपन, चुनाव और गढ़वा रोड के रास्ते रांची और दिल्ली के बीच एक्सप्रैस गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से भी व्यावहारिक नहीं है ।

कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) की चिकित्सा संबंधी शिकायतों की जांच के लिए संगठन

3164. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कर्मचारियों की चिकित्सा संबंधी शिकायतों तथा सुझावों की जांच के लिए कोई संगठन है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कर्मचारियों की ऐसी शिकायतों की जांच के लिये सरकार कोई संगठन स्थापित करने जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां। अन्य सामान्य प्रशासनीय और ट्रेड यूनियनों के माध्यमों के अलावा उत्तर रेलवे के कर्मचारियों की शिकायतों और सुझावों पर विचार करने के लिए अस्पताल निरीक्षण समितियां हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे की चिकित्सा सेवाओं से लाभ प्राप्त करने वाले रोगी

3165. कुमारी कमला कुमारी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की चिकत्सा सेवाओं से प्रति वर्ष औसतन कितने रोगियों को लाभ होता है; और

(ख) उत्तर रेलवे द्वारा कितने अस्पताल चलाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 25,81,323।

(ख) 15 ।

पंजाब के गांवों का विद्युतीकरण

3166. श्री आर० एल० भाटिया : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कितने गांवों में बिजली लगाई गई है और कितने गांवों में अभी बिजली लगाई जानी है ;

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में पंजाब के ग्रामों में आरम्भ की जाने वाली ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पंजाब में बिजली की वर्तमान कमी को ध्यान में रखते हुए उक्त योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 30-9-72 तक, पंजाब के कुल 11,947 ग्रामों में से, 6497 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

(ख) 1972-73 में 1000 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 20,000 पम्पसेटों के ऊर्जन करने का लक्ष्य है । 1973-74 के लिए अभी अंतिम रूप में लक्ष्यों का निर्धारण नहीं हुआ है ।

(ग) विद्युत की वर्तमान कमी अल्पकालिक है और इस का ग्राम विद्युतीकरण पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है । उत्तरी क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजना के पूरा होने पर अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध होने की भी सम्भावना है ।

मई,　　में हुआ भारतीय रेलवे सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारी का सम्मेलन

3167. श्री राजदेव सिंह :

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारी संघ का एक अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन मई, 1972 में हुआ था और संघ की महासभा द्वारा पारित मांगपत्र तथा संकल्प रेलवे प्रशासन को औपचारिक रूप से प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार के मुद्दे मान्यता प्राप्त श्रम संगठनों द्वारा समय-समय पर उठाए जाते हैं और उन्हें स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र की बैठकों में सामान्यतः बातचीत के जरिए निबटाया जाता है ।

दिल्ली मेन स्टेशन पर जावक तथा आवक पार्सल कार्यालयों का निरीक्षण

3168. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन लेखों संबंधी निरीक्षकों ने अगस्त और सितंबर, 1972 के महीनों में दिल्ली मेन स्टेशन पर पश्चिम तथा मध्य रेलों के जावक तथा आवक पार्सल कार्यालय का निरीक्षण किया था और उन्होंने लेखों में गम्भीर अनियमितताओं का पता लगाया था; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) निरीक्षण किया गया था लेकिन लेखों में कोई गंभीर अनियमितताएं नहीं पायी गयी हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Use of Hindi in Departmental Examinations

3169. **Shri Chandrika Prasad**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the time by which permission is likely to be accorded for the use of Hindi also in the Departmental examinations (including those of Accounts Department) of Railways;

(b) the time by which various codes and manuals of Railways would be made available in Hindi in connection with the Departmental examinations; and

(c) Whether any organization of Railway employees has opposed the use of Hindi in the Departmental examinations?

The Minister of Railways (Shri T.A. Pai) : (a) & (b) : The matter is under examination.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बाढ़ के पानी के निकास के बारे में चिल्का विकास समिति

3170. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिल्का से बाढ़ के पानी के निकास के बारे में चिल्का विकास समिति के कार्यों तथा अन्य सुधारात्मक उपायों के संबंध में अब तक कोई प्रगति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति की गई है ;

(ग) समिति द्वारा किये जा रहे विकास कार्य संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ): चिल्का झील समिति, चिल्का झील की समुद्र की निकास चैनल में खराबियों की समस्याओं को विस्तार में जांच करने; तथा ऐसे उपायों पर संभावित लागत तथा उससे लाभ बताते हुए झील से समुद्र तक एक चैनल का विकास तथा उसका रख-रखाव करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए, भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी समिति ने उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला पूना में माडल अध्ययन किये जाने के लिए प्रस्ताव किया है । माडल अध्ययनों के लिए अपेक्षित सभी आंकड़े अभी एकत्र नहीं किए गए हैं । मार्च, 1973 के अंत तक इनके उपलब्ध होने की संभावना है । उसके उपरांत किए जाने वाले माडल अध्ययनों के परिणामों पर आधारित समिति की रिपोर्ट जून, 1973 के अंत तक तैयार हो जाने की संभावना है ।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा एशिया मेलें में अपने मण्डप पर व्यय

3171. **श्री स्वामी ब्रह्मानन्द** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने एशिया 72 मेले में अपने मण्डप पर 14 लाख रुपये दिखाये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय उर्वरक निगम के मंडप के वास्तविक खर्च का अनुमान लगाने और इस बारे में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए निर्धारिति नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

एशिया—72 मेलें के निकट फ्लैग स्टेशन

3172. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ दिनों के दौरान एशिया—72 मेला के निकट जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यात्रियों को मेले में आने की सुविधायें देने के उद्देश्य से, उन्हें गाड़ी में चढ़ने उतरने की सुविधा देने के लिए आने-जाने वाली गाड़ियों के ठहरने के लिए एक अस्थायी फ्लैग स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ग) : जी नहीं ।

(ख) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार के भारतीय उर्वरक निगम में तीस प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या

3173. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के भारतीय उर्वरक कारखाने में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अधिकतम वेतनमान पर 30 प्रतिशत और मूल वेतनमान पर 30% और 25% की दर से मकान भत्ता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में विधि मंत्रालय की राय प्राप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) :—

विवरण	प्रतिशत	कर्मचारियों की सं०
1. जो वेतनमान के अधिकतम का 30% मकान किराया भत्ता ले रहे हैं	67.7	281
2. जो मूल वेतन का 30% मकान किराया भत्ता ले रहे हैं	10.8	45
3. जो मूल वेतन का 25% मकान किराया भत्ता ले रहे हैं	21.5	89
	योग	415

(ख) जी नहीं ।

(ग) जैसा कि सदन में 14-11-72 को प्रश्न सं० 289 के उत्तर में कहा गया था मकान किराया भत्ते की अदायगी सरकार द्वारा बनाये गये निर्देश पदों से नियमित की जाती है । परन्तु जहां पुराने आदेशों के आधार पर कर्मचारी अधिक किराये देने के लिये मकान मालिकों को बचन दे चुके हैं वहां उनको मिलने वाला किराया भत्ता बचनबद्धता के समाप्त होने पर पुनः निर्धारित किया जाएगा ।

गंगा कावेरी को जोड़ने संबंधी योजना की आर्थिक उपयोगिता के बारे में इंजीनियरों को शंका

3174. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-कावेरी को जोड़ने संबंधी योजना की आर्थिक उपयोगिता के बारे में कुछ इंजीनियरों ने शंका व्यक्त की है ;

(ख) उक्त योजना के बारे में मुख्य शंकायें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : अपेक्षित गंगा-कावेरी लिंक, राष्ट्रीय जल ग्रिड के एक संघटक, में औसतन 1850 फुट ऊंचाई तक जल को उठाना सम्मिलित है जिसमें से 700 फुट, नदियों के साथ बहाव में विद्युत उत्पादन के लिए परिवर्तित की जाएगी । समाचार पत्रों में कुछ इंजीनियरों के द्वारा विचार प्रकट किए गए हैं कि यह स्कीम अलाभप्रद होगी ।

2/Lok Sabha/73—12

यह पंपिंग नदियों/सरिताओं के साथ साथ संरचनाओं के एक क्रम द्वारा प्रस्तावित है तथा तकनीकी तौर पर व्यावहार्य है। पहले ही अमरीका में केलिफोर्निया में 4.23 मिलियन एकड़ फुट जल को सिंचाई के लिए 4000 फुट तक उठाया जाता है।

प्रस्तावों को क्षेत्रों में, विस्तार सहित अन्वेषणों के पश्चात् ही उनकी लागतों का वास्तविक मूल्यांकन करना संभव होगा। प्रारंभिक संगणनाओं से पता चलता है कि सिंचाई के लिए जल लगभग 135 रुपये प्रति एकड़ फट उपलब्ध होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक दल ने, जिन्होंने प्रस्तावों का पुनरावलोकन किया है, समझा है कि यदि इस प्रकार की लागत इस समय, वर्तमान परियोजना से उपलब्ध जल की लागत से औसतन कई गुणा भी हो, तो भी यह स्कीम न्याय-संगत होगी, क्योंकि यह भविष्य में इसकी अनिवार्य आवश्यकता होगी तथा अन्य विकल्पों जैसे निरभरता आदि से पर्याप्त सस्ती होगी।

रेलवे कालोनी, पहाड़गंज, नई दिल्ली में दीवार के गिरने से लड़की की मृत्यु

3175. श्री अमर नाथ चावला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलवे कालोनी, पहाड़गंज, नई दिल्ली में शौचालय ब्लाक की हाल ही में बनाई गई दीवार के गिर जाने से एक रेल कर्मचारी की $8\frac{1}{2}$ वर्षीय लड़की की मृत्यु होने और उसके पत्नी के गंभीर रूप से जख्मी होने के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बात को देखने के लिये कि इस क्षेत्र में बनने वाली रेल विभाग की सभी इमारतों का निर्माण मानकों के अनुरूप हो और निर्माण में प्रयुक्त घटिया सामान के प्रयोग करने के कारण जान और माल की और अधिक क्षति न हो, क्या सरकार विशेष कार्यवाही करेगी और यदि हां, तो वह क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन ने 20-11-72 को जांच के आदेश दे दिये हैं।

(ग) रेलों पर चालू मानक विशिष्टिओं और ठेके की शर्तों के अनुसार मानक सामानों के उपयोग करने की पहले से व्यवस्था है और उनके अपेक्षित मानकों के निर्माण की शर्त है। फिर भी, जांच के निष्कर्ष उपलब्ध हो जाने के बाद यथावश्यक विशेष कदम उठाये जायेंगे।

रुपसा-तालबन्द लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3176. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपसा-तालबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है; यदि हां, तो उक्त लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा; और

(ख) उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की विशिष्ट बातों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): रूपसा-तलबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना पर 3.79 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जिसके बदले में केवल 2.53 प्रतिशत की प्राप्ति होगी। प्रकटतः यह परियोजना बहुत ही अलाभकारी है।

त्रिपुरा में सिंचाई परियोजनायें सम्बन्धी योजनायें

3177. श्री दशरथ देव : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि तथा चालू पंचवर्षीय योजना के लिये सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में आवश्यक धन के आबंटन के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) अभी तक त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई बृहत् अथवा मध्यम सिंचाई स्कीम प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिगनल तथा दूर-संचार मजदूरों (दक्षिण मध्य रेलवे) द्वारा हड़ताल

3178. श्री दशरथ देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दक्षिण मध्य रेलवे (सिकन्दराबाद तथा अन्य डिवीजनों) के 450 सिगनल और दूर संचार मजदूरों की लम्बी हड़ताल की ओर दिलाया गया है

(ख) यदि हां, तो मजदूरों की मांग क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) हड़ताल नहीं हुई थी क्योंकि उसमें नियमित कर्मचारी शामिल नहीं थे । जो कुछ हुआ वह यह था कि काजीपेट में दैनिक मजूरी पर रखे गये लगभग 400 नैमित्तिक मजदूर 20-7-72 से 9-8-72 अवधि में काम पर नहीं आये ।

(ख) उनकी मांगें इस प्रकार थीं :—

(1) 6 महीने की निरन्तर सेवा के बाद प्राधिकृत वेतन-मान का लाभ ।
(2) अधिक दैनिक मजदूरी ।
(3) बाहर के स्टेशनों पर काम के लिये यात्रा भत्ते का भुगतान ।
(4) चौथी श्रेणी की भर्ती के लिए स्क्रीनिंग पेनल को लागू करना ।
(5) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना ।
(6) कृत्रिम रूप से सेवा भंग न हो ।

(ग) प्रत्येक मांग पर विचार किया गया है और उपर्युक्त कार्रवाई की गयी है जिसमें कुछ कोटि के कर्मचारियों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी और चौथी श्रेणी के पेनल में दर्ज कामगारों का चौथी श्रेणी में आमेलन भी शामिल है ।

परियोजनाओं के पूरा करने में पुर्नविलोकन समिति के समक्ष कठिनाइयां

3179. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान जिन 19 परियोजनाओं की पुर्नविलोकन समिति ने जांच की थी, उनके पूरे होने में क्या कठिनाइयां और बाधायें हैं; और

(ख) इन कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) सलाहकारों ने, जिन्होंने कुछ विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन किया, निम्नलिखित बड़ी कठिनाइयों/बाधाओं का उल्लेख किया :—

1. देशी सप्लायर बी०एच०ई०एल०/एच०ई०आई०एल० द्वारा उपस्कर/संघकों की सप्लाई में देरी ।
2. अनुभवी हाई-प्रेशर वेल्डरों की अनुपलब्धता ।
3. ठेकेदारों द्वारा उपस्करों के निर्माण में देरी ।

(ख) 1. कुछ परियोजनाओं के लिए अधिक राशि में विदेशी मुद्रा का प्रदान किया जाना ।
2. इस्पात की कमी को पूरा करने के लिए, जहां आवश्यक हुआ इस्पात का आयात किया गया ।
3. संयंत्रों के निर्माण तथा परियोजनाओं के लिए उपस्कर तथा विद्युत संयंत्र उपस्कर के देशी निर्माताओं को शीघ्रता करने के लिए कहा गया ।

4. कुछ परियोजनाओं को अनुभवी हाई-प्रेशर वेल्डर उपलब्ध कराए गए । इस मामले पर सरकार का बराबर ध्यान है ।

परियोजना-प्राक्कलनों के पुनरीक्षण के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारशें

3180. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना-प्राक्कलनों के बार-बार पुनरीक्षणों के कारणों की वैज्ञानिक जांच करने के लिए स्थापित विशेषज्ञ समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख) : विशेषज्ञ समिति द्वारा अपना कार्य इस वर्ष दिसम्बर के अन्त तक पूरा कर देने की आशा है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हरिजन बस्तियों को ऋण

3181. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर किया गया 1400 से अधिक हरिजन बस्तियों के लिए 14 विशेष ऋणों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा उपबंधित एक करोड़ रुपये में से अब तक कितनी राशि के ऋण मंजूर किये गये हैं; और

(ग) सारे देश में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अगस्त, 1972 तक राज्य बिजली बोर्डों को 14 विशेष ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की स्वीकृति दी है । ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्कीम की संख्या	सम्मिलित हरिजन बस्तियों की संख्या	सड़क लाइटों की संख्या	स्वीकृत ऋण की धनराशि
					(लाख रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	1	51	507	3.740
2.	गुजरात	1	66	860	4.370
3.	केरल	1	10	97	0.945
4.	मध्य प्रदेश	1	167	1799	4.760
5.	महाराष्ट्र	1	192	1232	6.600
6.	मैसूर	1	153	618	8.350
7.	पंजाब	1	57	331	2.016
8.	राजस्थान	1	141	1245	9.298
9.	तमिल नाडु	2	249	1514	9.702
10.	उत्तर प्रदेश	3	280	2493	18.392
11.	पश्चिम बंगाल	1	73	532	3.890
	कुल :	14	1439	11228	72.063

(ख) हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए निगम को 1971-72 के दौरान 50 लाख रुपये और 1972-73 के दौरान 100 लाख रुपये दिए गए थे। इसमें से निगम ने अब तक 3990 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए 156.585 रुपये की ऋण सहायता स्वीकार की है।

(ग) पहले से विद्युतीकृत ग्रामों के निकट हरिजन बस्तियों में विद्युत की व्यवस्था हेतु पिछले वर्ष एक स्कीम लागू की गई थी और चतुर्थ योजना के दौरान 20,000 ऐसी बस्तियों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। भारत की स्वतंत्रता के रजत-जयंती-वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि उनको अपने राज्य में प्रति दिन कम से कम एक हरिजन बस्ती को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। 15 अगस्त, 1972 से अब तक लगभग 2,900 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

विद्युत केन्द्रों में ईंधन तल की खपत

3182. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल रूप में ईंधन के रूप में तेल का प्रयोग करने वाले विद्यत केन्द्रों के बायलरों में तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने के बारे में शीघ्र रिपोर्ट देने के लिए सितम्बर, 1970 में स्थापित की गयी समिति द्वारा की गयी महत्त्वपूर्ण सिफारिशें सरकार द्वारा क्रियान्वित कर दी गयी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थापित किये जा रहे विद्युत केन्द्रों में ईंधन तेल की खपत को कम करने के मामले में सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ख) : इस प्रकार के बायलर यूनिटों में परिवर्तन केवल बरौनी, धुवारण और ट्राम्बे के कुछ उत्पादन यूनिटों में ही संभव है। इस समय इन विद्युत केंद्रों के क्षेत्र में विद्युत की कमी होने के कारण, इन उत्पादन यूनिटों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, इन्हें कार्य करने से हटाया नहीं जा सकता।

(ग) प्राथमिक ईंधन के रूप में ईंधन तेल प्रयोग करने वाला कोई नया विद्युत केंद्र स्थापित नहीं किया जा रहा है। विद्युत केंद्र प्राधिकारियों को कार्यारंभ के लिए तथा अग्निशिखा स्थिरीकरण (फ्लेम स्टैबलाइजेशन) के लिए, माध्यमिक तेल उपभोग को न्यूनतम करने के लिए भी कहा गया है। विद्युत-उत्पादन लागत को न्यूनतम करने के लिए भी, यह करना पड़ेगा। इन संभावनाओं की विस्तारपूर्वक जांच एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जा रही है।

संसद सदस्यों की सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सुझाव

3183. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने 1971-72 के दौरान सलाहकार समिति की चार बैठकों में संसद् सदस्यों द्वारा दिये गये आठ सुझावों पर जो 1971-72 के लिए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 126 पर दिए गए हैं; क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3913/72]**

मैसर्स पोलियोलिफिन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत

3184. श्री आर० बी० बड़े : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पोलियोलिफिन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड हाई डेन्सिटी पोलीथीन के, जो प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता है, एक मात्र निर्माता है;

(ख) क्या वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा किये जाने वाले आयात को, इस धारणा पर कि नये उत्पादक द्वारा उनकी मांग को पूरा किया जायेगा, उस समय रोक दिया गया था जब उक्त फर्म को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं जो कि उनके एकमात्र वितरक मैसर्स होन्पेस्ट डाईज एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित कार्यालय द्वारा कुछ वास्तविक उपभोक्ताओं को थीं, जिनको पहले आयात का लाइसेंस मिलता था; यह सामान नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि वास्तविक उपभोक्ताओं को उत्पादन क्षमता के अनुसार सामान प्राप्त हो ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । किन्तु अक्तूबर, 1972 में आयात नीति का पुनरीक्षण किया गया है और वास्तविक प्रयोग कर्ताओं को प्रतिबन्धित आधार पर आयात की अनुमति दी गई है ।

(ग) कच्चे माल की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । कम्पनी की वितरण नीति निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर आधारित है :—

(i) व्यक्तिगत प्रवर्धकों की पिछली खरीद

(ii) अन्तिम प्रयोग (माल) जिसमें सामग्री का प्रयोग किया गया है ।

अन्तः क्षेपण गढ़त माल के प्रयोग कर्ताओं, जो अन्य प्लास्टिक कच्चे माल का प्रयोग कर सकते हैं, की तुलना में फूंक गढ़त माल एवं निःसावित उत्पादों के प्रयोग कर्ताओं की आवश्यकताओं को अधिक अग्रता दी जाती है ।

(घ) प्रयोग कर्ताओं तथा निर्माताओं के संघ के प्रतिनिधियों के परामर्श से सप्लाई स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है । निर्यात कर्ताओं और वास्तविक प्रयोग कर्ताओं को भी प्रतिबन्धित आधार पर इस कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जा रही है ।

मैसर्स अलकली कैमिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया के विरुद्ध शिकायतें

3185. श्री आर० वी० बड़े : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि मैसर्स अलकली कैमिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने प्लास्टिक उद्योग के लिए मूलतः आवश्यक कम घनत्व वाली पौलिस्टिरीन की जानबूझ कर चोर-बाजारी आरम्भ की है ;

(ख) क्या चोर बाजारी के परिणामस्वरूप उक्त कच्चे माल के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन शिकायतों की जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं । किन्तु इस कच्चे माल की कुछ कमी है ।

(ख) गत 8 महीनों में मैसर्स अलकली कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया के इस पदार्थ की मूल्य सूची में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) क्योंकि सरकार के पास कम्पनी द्वारा चोर बजारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए जांच करने का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, इस कच्चे माल की सप्लाई स्थिति और वितरण प्रबन्धों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

छोटे कारखानों को कम घनत्व वाली पोलिथीलीन के वितरण के लिए समान की नीति

3186. श्री आर० वी० बड़े : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० अल्कली कैमिकल कार्पोरेशन लि० कम घनत्व वाली पोलिथीलीन के दो एकाधिकारी निर्माताओं में से एक हैं;

(ख) क्या छोटे कारखानों से इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि कम घनत्व वाली पोलिथीलीन के आबंटन में उक्त कंपनी समान नीति का अनुसरण नहीं करती; और

(ग) यदि हां, तो सभी कारखानों के प्रति समान नीति सुनिश्चित करने के लिए और कारपोरेशन के अर्ध एकाधिकारी स्वरूप को विशेषतः ध्यान में रखते हुए कच्चे माल के उचित वितरण के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह कारखाना, कम घनत्व वाली पोलिथिलीन के निर्माताओं में से एक है ।

(ख) जी नहीं । किन्तु देश में इस कच्चे माल की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) इस कच्चे माल की सप्लाई स्थिति और इसके वितरण प्रबंधों पर निगरानी रखने के लिए कम घनत्व वाली पोलिथिलीन के प्रयोगकर्ताओं एवं निर्माताओं के साथ सरकार निरंतर संपर्क बनाये हुए है ।

वैगनों के निर्माण के लिए अलग कारखाना

3187. श्री मधु दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैगनों के निर्माण के लिए एक अलग कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने वैगन निर्माण एककों की वर्तमान क्षमता का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो वैगनों के निर्माण के लिए नया कारखाना खोलने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ख) जी हां । यद्यपि निजी क्षेत्र के 16 माल डिब्बा निर्माण कारखानों की कुल प्रस्थापित क्षमता चौपहियों के हिसाब से 31869 माल डिब्बा है, लेकिन वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए ऐसा लगता है कि 1972/73 के दौरान वे लगभग 10,000 माल डिब्बे ही बना पायेंगे । वे कदाचित 1973-74 में अपना उत्पादन बढ़ाकर 15,000 माल डिब्बा (चौपहियों के हिसाब से) कर देंगे ।

रेलवे के तीनों कारखानों का (अमृतसर, गोल्डन राक और समस्तीपुर) संयुक्त उत्पादन 1600 माल डिब्बा प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1972-73 में 2860 और 1973-74 में 4000 माल डिब्बा कर देने की भी योजना बनायी गयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम तट रेलवे

3188. श्री मधु दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम तट रेलवे का प्रारम्भिक सर्वेक्षण-कार्य इस समय किस स्थिति में है;

(ख) क्या इस बारे में विभिन्न संगठनों के सुझावों पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) आप्ता-मंगलूर बड़ी लाइन रेल सम्पर्क के टोह-इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण हाल ही में पूरे किये गये हैं और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।

(ख) इस रेल सम्पर्क के सर्वेक्षण करते समय राज्य सरकारों, जन-संगठनों आदि के सुझावों पर समुचित ध्यान दिया गया है ।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्टें बहुत ही तकनीकी और सामान्यतः बहुत लम्बी चौड़ी हैं और केवल विभागीय उपयोग के लिए हैं। लेकिन, सर्वेक्षण रिपोर्टों पर सभी दृष्टियों से जांच करने के बाद, इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार के विनिश्चय से सदन को अवगत करा दिया जायेगा।

भारतीय उर्वरक निगम में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति

3189. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के वर्तमान अंशकालिक अध्यक्ष के अधीन कौन कौन से सरकारी उद्यम हैं;

(ख) भारतीय उर्वरक निगम में उनका कार्यकाल किस तारीख को समाप्त होगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय उर्वरक निगम में पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय तेल निगम का वर्तमान चेयरमैन इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया का चेयरमैन भी है।

(ख) श्री एच० एन० सेथना के वर्ष 1972-73 के अन्त तक भारतीय उर्वरक निगम के चैयरमैन बने रहने की आशा है।

(ग) इस समय इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

तल उत्पादक राज्यों को रायल्टी में वृद्धि

3190. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तेल उत्पादक राज्यों को रायल्टी की दर में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रति टन रायल्टी में कितनी वृद्धि होगी और बढ़ी हुई रायल्टी किस अवधि तक के लिए दी जाएगी ;

(ग) रायल्टी की अदायगी में वृद्धि करने के क्या कारण है; और

(घ) बढ़ी हुई दरें कब से लागू होंगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) : कच्चे तेल पर रायल्टी की दर, जो कि 31-12-71 को समाप्त हुई चार-वर्षीय अवधि के लिए लागू थी, प्रधान मंत्री के 28 दिसम्बर, 1968, जिसमें, और बातों के साथ साथ, 1971 के अन्त में इस दर का पुनरीक्षण किये जाने की व्यवस्था है, के पंचाट पर आधारित थी। पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप तथा कई सम्बद्ध तथ्यों पर विचार किये जाने के पश्चात् नयी दर के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा असम एवं गुजारत सरकारों (तेल का उत्पादन करने वाले दो राज्य) के बीच एक समझौता हुआ था।

प्रधान मंत्री ने इस समझौते के आधार पर पंचाट दे दिया है। इस पंचाट के अनुसार, भारत के किसी भी स्थान पर उत्पादित कच्चे तेल पर रायल्टी की दर 10 रुपये प्रति मीटरी टन से बढ़ा कर 15 रुपये प्रति मीटरी टन कर दी गई है। नयी दर 1-1-1972 से 31-3-1979 की अवधि के दौरान लागू रहेगी।

बड़ी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्माण-मशीनरी

3191. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का समाचार प्राप्त हुआ है कि बड़ी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के स्थानों पर फालतू पुर्जों की कमी के कारण लगभग 27 करोड़ रुपये मूल्य की निर्माण-मशीनरी बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए अपेक्षित फालतू पुर्जों का निर्माण करने के लिए देशी इंजीनियरी उद्योग को राजी करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और फालतू पुर्जों के आयात से बचने के लिए बाधाएं हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : आवश्यक सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) निर्माण संयंत्र तथा मशीन समिति, 1972 द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, बृहत् सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर 34.38 करोड़ रुपये के मूल्य के उपस्कर निष्क्रिय पड़े हैं जोकि इन परियोजनाओं में निर्माण-मशीनों के कुल मूल्य का 24.6% है । 6.24 करोड़ रुपये जोकि कुल मूल्य का 4.48% होता है के मूल्य के उपस्करों को मरम्मत कराना लाभप्रद नहीं है ।

(ख) और (ग) : 'अर्थमूविंग' मशीनों तथा निर्माण उपस्करों के लिए कल-पुर्जों के स्वदेशी विकास में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है । संभरण और निपटान के महानिदेशक के दर-संविदा के अंतर्गत स्वदेशी कल-पुर्जों की लगभग 12,000 मदें आ चुकी हैं और अन्य मदों का विकास किया जा रहा है । बहरहाल, 'अर्थमूविंग' मशीने तथा निर्माण-उपस्करों को आयातित मदों के लिए कल-पुर्जों के संबंध में आयात-प्रतिस्थापन मुख्यतः मशीनों की कोटि, निर्माण (मेक) तथा माडलों में अधिक विभिन्नताओं के कारण सीमित हैं तथा विशिष्ठ संघटकों को विशिष्ठियों तथा आरेख भी उपलब्ध नहीं हैं । स्वदेशी उत्पादन के लिए अधिक से अधिक कल-पुर्जों के निर्माण करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । आगामी कुछ वर्षों में अधिकतम आयातित उपस्करों का पूर्ण समुपयोजन तथा उनके स्थान पर स्वदेशी उपस्करों का प्रयोग सम्भावित हैं । कल-पुर्जों के स्वदेशी उत्पादन के क्षेत्र में सतत वृद्धि तथा आयातित उपस्करों के स्वदेशी उपस्करों द्वारा प्रतिस्थापन में प्रगति के साथ-साथ, आगामी पांच वर्षों में आयातित कल-पुर्जों की आवश्यकता में प्रगामी तथा पर्याप्त कमी होने की संभावना है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पंजाब और हरियाणा के अनेक कालिजों को अनुदान बन्द कर दिए जाने के समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पंजाब और हरियाणा के अनेक कालेजों को अनुदान बन्द कर दिये जाने और उसके परिणामस्वरूप उन कालेजों के बन्द हो जाने के समाचार" ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (प्रो० नूरुल हसन) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कुछ अनुमोदित योजनाओं के लिए, कालेजों को विकास अनुदान देता है । आयोग ने, पंजाब और हरियाणा स्थित कालेजों को इस प्रकार के अनुदानों की अदायगी स्थगित नहीं की है । अतः आयोग द्वारा अनुदान रोक दिए जाने के परिणामस्वरूप कालेजों के बन्द होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब तथा हरियाणा सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पंजाब के 125 गैर-सरकारी कालेजों के लगभग 3,500 अध्यापक और हरियाणा के 84 गैर-सरकारी कालेजों में से अधिकांश के अध्यापक, अपनी मांगें मनवाने के लिए

कुछ समय से हड़ताल पर हैं। राज्य सरकारों ने न तो किसी कालेज को बंद करने के निर्देश दिए हैं और न ही उन्होंने अब तक उनको अनुदानों का भुगतान रोका है।

यह मामला पूर्णतया संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : पंजाब के गैर-सरकारी कालेजों के 3500 तथा हरियाणा में गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापक नवम्बर, 1972 से हड़ताल पर हैं। इस पर मंत्री महोदय का कहना है कि यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। क्या यह सच है कि पंजाब तथा हरियाणा के सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेजों में बहुत अधिक अंतर है और इसी कारण यह हड़ताल हुई है? इनके प्रबन्धक अध्यापकों से उचित व्यवहार नहीं करते। हरियाणा के गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापक गत दो वर्षों से ज्ञापनों, संकल्पों तथा प्रदर्शनों द्वारा हरियाणा सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी सेवा की सुरक्षा के लिए तथा वेतन आदि के मामले में उनको सरकारी कालेजों के अध्यापकों के समान लाने के लिए एक विधेयक बनाया जाए। परन्तु उनके इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस पर बाध्य होकर उन्होंने हड़ताल की है।

उनकी मांग यह है कि उनकी सेवा की सुरक्षा के लिए अध्यादेश जारी किया जाये। इस में कुछ भी अनुचित नहीं है। उनकी दूसरी मांग अन्तरिम तथा तदर्थ सहायता के बारे में है। तीसरी मांग आवास तथा चिकित्सा सुविधाओं के बारे में है। इसके अतिरिक्त इन अध्यापकों को 95 प्रतिशत अनुदान सहित वे सभी सुविधायें तथा लाभ दिये जाने चाहिएं जो सरकारी कालेजों के अध्यापकों को मिलते है। अन्य राज्यों में राज्य सरकारें 50 अथवा 60 अथवा 75 प्रतिशत तक अनुदान देती हैं ताकि सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों में समानता लाई जा सके।

उनकी अन्य मांग यह है कि सरकार इन कालेजों को अपने नियंत्रण में ले। अधिकांश कालेजों में कदाचार चल रहा है। इसके बाद उन्होंने मांग की है कि इन कालेजों का लोकतंत्रीकरण किया जाये। इन में कुछ भी अनुचित नहीं है। वास्तव में हम सब लोगों की सहानुभूति अध्यापकों के साथ है।

पंजाब के मुख्य मंत्री ने अध्यापकों की हड़ताल को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। ऐसा लगता है कि वह उनको कठिनाई में नहीं डालना चाहते। परन्तु इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक हड़ताल जारी रहेगी वह अध्यापकों से बातचीत नहीं करेंगे। इस हड़ताल के कारण पंजाब में एक लाख से अधिक तथा हरियाणा में 60,000 विद्यार्थियों का हर्ज हो रहा है। मुझे आशा है कि माननीय उन परिस्थितियों को महसूस करेंगे जिनके अन्तर्गत अध्यापकों को हड़ताल करनी पड़ी। माननीय इस मामले में हस्तक्षेप करें। केन्द्रीय सरकार जो भी सहायता देना चाहती है वह तुरन्त दे देनी चाहिए ताकि इन राज्यों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाए जा सकें। पंजाब के हरियाणा के इन अध्यापकों को स्टेट बैंक आफ इंडिया के चपरासी से भी कम वेतन मिल रहा है। मैं अध्यापकों की इन मांगों के प्रति माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं? मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अतः उनको इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और इसको हल कराना चाहिए।

प्रो० एस० नुरूल हसन : जब अध्यापकों को कोई कठिनाई हो तो मेरी सहानुभूति उनके साथ है। परन्तु यदि कोई अध्यापक विद्यार्थियों के हितों से अपने हितों को ऊपर समझता है तो वह अध्यापन व्यवसाय के साथ न्याय नहीं करता है। हड़ताल करके अध्यापक अपने विद्यार्थियों के हितो को हानि पहुंचाते हैं। यह सत्य नहीं है कि इन अध्यापकों के वेतन बैंकों के चपरासी के वेतन से कम हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है। वे हस्ताक्षर तो 500 रुपये के लिए करते हैं परन्तु वेतन 300 रुपये ही मिलता है।

प्रो० एस० नुरूल हसन : जहां तक मेरी जानकारी है इन दोनों राज्यों में सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान समान है। जहां तक उनकी सेवा की सुरक्षा का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार को इस बारे में चिन्ता है। इस उद्देश्य हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध संबंधी समिति को अध्यापकों की सेवा की शर्तों के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। मुझे आशा है कि समिति की सिफारिशें शीघ्र ही मिल जायेंगी और फिर कोई कार्यवाही करना सम्भव होगा। दोनों सरकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि सेवा की सुरक्षा आवश्यक है।

हरियाणा सरकार ने इस बारे में एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है और उसे पंजाब सरकार को भेजा है ताकि वह इस पर अपनी टिप्पणी कर सके । पंजाब विश्वविद्यालय ने कई समितियां नियुक्त की थी और उनकी सिफारिशों के आधार पर विनियमों आदि में आवश्यक संशोधन किये गए हैं । जिससे कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों की सेवा को उचित सुरक्षा प्रदान हो सके ।

जहां तक किसी अध्यापक को सेवामुक्त करने का प्रश्न है इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है । हरियाणा के सभी गैर-सरकारी कालेज पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं । जहां तक अध्यापकों को अन्तरिम सहायता तथा मकान किराया भत्ता देने का प्रश्न है यह जिम्मेदारी प्रबन्धकों की है और उनका कहना है कि वे इस प्रयोजन हेतु कालेजों को अनुदान देने की स्थिति में नहीं हैं । जहां तक 95 प्रतिशत के सूत्र का प्रश्न है इससे अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी ।

जहां तक कालेजों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रश्न है हरियाणा सरकार संकटग्रस्त कालेजों को अपने नियंत्रण में लेने को तैयार है यदि उनके प्रबन्धक इसके लिए तैयार हों ।

मैं अध्यापकों से अनुरोध करूंगा कि वे हड़ताल को समाप्त कर दें ताकि विद्यार्थियों के हितों को हानि न हो ।

जहां तक ऐसे प्रयोजनों हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार ऐसा नहीं कर सकती । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ही सहायता दी जाती है ।

जहां तक मेरी जानकारी है राज्य सरकारों ने किसी कालेज को बन्द करने के आदेश नहीं दिए हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : 1000 अध्यापकों को सेवामुक्त कर दिया गया है ।

प्रो० एस० नुरूल हसन : सेवामुक्ति का प्रश्न कालेजों तथा विश्वविद्यालय का आपसी मामला है इसमें राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri M.C. Daga (Pali) : May I know whether the hon. minister would like to see the discrimination between the teachers of Government and non-Government colleges to continue? The teachers of Government and non-Government colleges should be brought at par in so far the question of granting of facilities are concerned. I would like to know whether Government will nationalise the private educational institutions?

Prof. S. Nural Hasan : There are certain provisions in the Constitution whereby the minorities have the right to run and administer their educational institutions. Moreover, while taking over these private institutions, many problems, relating to the taking over of the property of these colleges will arise. Further, our first effort is to fulfil the requirement of the constitution relating to the primary education for children between 6 and 14 years. Any change in this priority will create many problems in regard to Higher Education. The Government will then be faced with the question of resources for providing additional facilities for research etc. Since we do not have the resources, the quality will suffer.

So far as the question of providing the same terms and conditions for the teachers performing similar functions is concerned, this question has been referred to the committee on Governance of Universities. If conditions will permit us, we will get on the guidelines specified by the committee during the Fifth Plan.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : पंजाब और हरियाणा के प्राइवेट कालेजों के अध्यापकों की लम्बी हड़ताल के परिणामस्वरूप सारी शिक्षा व्यवस्था में गतिरोध आ गया है । उससे पूर्व पंजाब और हरियाणा के विद्यार्थियों की हड़ताल के कारण स्कूल-कालेज बन्द थे ।

इस संबंध में माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह बहुत ही अजीब है । उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा राज्य का विषय है और केन्द्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता । अध्यापकों की कठिनाइयों को दूर करने के स्थान पर उनके

दमन के लिए पुराने अफसरशाही ढंग अपना कर अध्यापकों को गिरफ्तार किया जा रहा है । पंजाब के मुख्य मंत्री ने अध्यापकों की हड़ताल वापस लेने के लिए धमकी भी दी है । यह तो स्पष्टतया अध्यापकों को भड़काने की बात है । इस हड़ताल का समर्थन विद्यार्थियों द्वारा भी किया जा रहा है और श्रमिकों तथा अन्य वर्गों द्वारा भी इसे समर्थन देने की बात की जा रही है ।

जहां तक सरकारी एवं गैर-सरकारी अध्यापकों की सेवा शर्तों में असमानता की बात है सरकार द्वारा 27 सरकारी कालेजों पर 150 लाख रुपये का व्यय किया गया है जबकि 127 गैर सरकारी कालेजों पर कुल 47 लाख रुपये का व्यय किया जा रहा है । वेतनों के संबंध में कुछ आंकड़े बताए गए थे परंतु गैर सरकारी कालेजों के अध्यापकों के लिए ये वेतन-मान खाली कागजों पर ही हैं । शिक्षा की सारी पद्धति अभी भी जाति और धर्म के आधार पर चल रही है ।

मेरा यह अनुरोध है कि इस विषय में कोई ठोस कार्यवाही की जाए । अध्यापकों की मांगें अनुचित नहीं हैं । वह शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और सेवा की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं । सेवा की सुरक्षा का एक विधेयक काफी समय से विचाराधीन है । क्या अध्यापक अनन्त काल तक उसके पारित होने एवं कार्यान्वियन की प्रतीक्षा करते रहेंगे ? इस संबंध में सारे देश के लिए एक समान पद्धति के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं ।

समाचार पत्रों में प्रतिदिन अध्यापकों अथवा विद्यार्थियों के असन्तोष के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं । इस स्थिति के बारे में शिक्षा मन्त्री ने अजीब प्रकार का रवैया अपना रखा है । वह लोगों को मूर्ख बना कर और भी भ्रांतियां फैला रहे हैं ।

इस स्थिति के कारण विद्यार्थियों को जो हानि हो रही है अध्यापक उसके प्रति उदासीन नहीं हैं । उन्होंने कहा है कि पढ़ाई की इस हानि की पूर्ति वह छुट्टियों के दिन कार्य करके और अन्य उपायों द्वारा पूरी कर देंगे । दूसरी ओर माननीय मंत्री महोदय यह उपदेश दे रहे हैं कि पढ़ाई में हानि को देखते हुए अध्यापक हड़ताल समाप्त कर दें । जबकि अध्यापक अपने कर्तव्य के प्रति जागरुक हैं सरकार को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करके सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों की सेवा-शर्तों के बीच स्थित भेदभाव को समाप्त करना चाहिएं । इसके साथ ही सारी शिक्षा पद्धति का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।

प्रो० एस० नुरूल हसन : इस विषय पर हमें दलगत आधार पर बातें नहीं करनी चाहिएं अपितु सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व को देखना चाहिए ।

इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्यवाही के बारे में है और मैंने स्पष्ट कर दिया है कि उक्त आयोग ने अनुदानें नहीं रोकी हैं । माननीय सदस्य ने गैर-सरकारी तथा सरकारी कालेजों को दी गई अनुदानों की तुलना की है । इस बारे में हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी कालेजों का सारा खर्च सरकार को वहन करना होता है जबकि गैर-सरकारी कालेजों के लिए समाज द्वारा स्वैच्छिक रूप से काफी पैसा दिया जाता है । अतः उक्त धनराशि का प्रबंध करना प्रबन्धकों का उत्तरदायित्व होता है । सरकार की ओर से इस बारे में किसी भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता । सरकारी कालेज और गैर-सरकारी कालेज के बीच इस बारे में किसी भेदभाव की बात नहीं उठती ।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Teachers are Nation builders. They are demanding security of service, but the Government has not paid any attention towards this. Sometimes it is said that this matter concerns State Governments. Are the Government prepared to mediate in the dispute between the Governments of Punjab and Haryana on the one hand and the teachers on the other ? Government should also ensure that future disputes in this regard could also be solved through a definite policy. There would not arise the necessity of strikes in these circumstances.

The Governments of Punjab and Haryana are giving grants to the extent of 80 per cent to Government colleges whereas Private Colleges are given grant to the extent of 1 per cent only. It is very sad that teachers of Private colleges had to resort to strike. It has been reported in the Press that teachers were hand-cuffed. Lady teachers were badly treated. Such a treatment

towards teachers is condemnable. On the one hand, we celebrate Teachers' Day and call the teachers the nation builders, on the other hand, we treat them in such a shabby manner.

It has been stated by the Education Minister of Punjab that teachers in Government Colleges are more educated than teachers of Private colleges. Therefore there is a difference in pay-seales. Are the Private College not governed by the same rules under which the Government colleges are governed? There is no justification for the above statement. Attitude adopted by the Chief Minister of Haryana towards the strike is not fair. He has refused to listen to the demands of the teachers. Haryana Government has sanctioned interim relief to the teachers of Government colleges whereas it has not been sanctioned to the teachers of private colleges. Government should make its policy clear in this regard.

Prof. S. Nural Hasan: Central Government is concerned with the two points raised by Hon. Member. He has asked the Central Government to spell out its policy. As I have already stated the Government has referred the matter to the University Grants commission and on receipt of the report it would be forwarded to all the State Governments.

University Grants Commission has not prescribed any minimum qualifications for appointment of teachers. Hon. Member appears to be labouring under some misunderstanding in this regard. In the first instance these qualifications were prescribed but about 10 years the matter was reconsidered and the commission decided that it was for the Universities to prescribe qualifications in this regard.

तमिल नाडु में उत्पन्न स्थिति के बारे में

RE: DEVELOPMENTS IN TAMIL NADU

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : तमिल नाडु में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सरकार ने इस बारे में क्या ठोस कार्यवाही की है ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Raiya Sabha has already discussed the matter but we are not getting the opportunity ?

Mr. Speaker : I am giving it a thoughtful consideration.

इस संबंध में विचारणीय बात यह है कि यदि हमने पीठासीन अधिकारियों के व्यवहार पर अथवा राज्यों की संविधान सभाओं में होने वाली बातों पर चर्चा करनी एक बार प्रारंभ कर दी तो किसी समय संसद की घटनाओं को भी विधान सभाओं द्वारा चर्चा का विषय बनाया जा सकता है। परंतु हमने इस बात पर भी विचार करना है कि कहीं संवैधानिक संकट तो नहीं उपस्थित हुआ है। विधान सभा में मंत्रालय के प्रति विश्वास का प्रस्ताव पास हुआ है। परन्तु मैं गवर्नर की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं और उसके प्राप्त होने पर ही अपना मत निश्चित करूंगा और अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : परंतु मेरा तमिल नाडु के बारे में मेरा कुछ अन्य प्रश्न है। तमिल नाडु के समाचार पत्रों में आयकर विभाग के छापों के समाचार प्रकाशित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह इस समय चर्चा का विषय नहीं है। इस बारे में आप अलग से प्रश्न की सूचना दें।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : सरकार को इस बारे में सदन को ब्यौरा बताना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You have referred to a Governor's Report. But there should be some Minister to reply on Governments' behalf.

Mr. Speaker : Can Shri Raj Bahadur tell if any report has since been received from the Governor ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : When a similar situation arose in West Bengal the Governor had sent a Report about the conduct of the Speaker. We have to see if any standards are there for the conduct of Governors also.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इससे सहमत नहीं हूं । राज्यों के विषयों में दखल देने का केन्द्र का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल की स्थिति बिल्कुल अलग थी । वहां पर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने पंजाब की स्थिति पर भी चर्चा की थी और अब हम तमिल नाडु के संकट के संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा एक छोटा सा अनुरोध है । भारत ने पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को वापस भेज दिया है और पाकिस्तान ने भी भारतीय युद्ध बन्दियों को वापस भेज दिया है । इन परिस्थितियों में क्या सरकार आपातकालीन स्थिति की समाप्ति की घोषणा करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत आपको सूचना भिजवा दी है ।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कल हमने उत्तर प्रदेश के कुछ मुसलमान गांवों के लूटे जाने और आग लगाये जाने का मामला उठाया था । उपाध्यक्ष महोदय ने सरकार को वक्तव्य देने का निर्देश दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1970-71 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)

RE : QUESTION OF PRIVILEGE QUERY

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न का क्या हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : वह नियम 115 के अन्तर्गत है। उत्तर प्राप्त होने पर मैं आपको सूचित कर दूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह श्री एस० एन० मिश्र के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्य के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे आशा है कि वह आज प्राप्त हो जायेगा।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले निधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, श्री सी०सी० देसाई की मृत्यु के कारण रिक्त हुए स्थान पर, श्री मोहम्मद शरीफ को नियुक्त करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, श्री सी० सी० देसाई की मृत्यु के कारण रिक्त हुए स्थान पर, श्री मोहम्मद शरीफ को नियुक्त करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक-जारी

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL-*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम कल प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाला विधेयक पास किया जाए ।"

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : केवल मतदान होना है ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (अलीपुर) : हमें तृतीय वाचन में चर्चा करनी है ।

अध्यक्ष महोदय : नियत समय में से कुछ ही समय बचा है। मैं एक दो सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा। उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर पांच मिनट म०प० पर पुन: समवेत हुई ।
The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु : कल मैंने अल्प संख्यकों के मकानों के जलाये जाने का उल्लेख किया था। आपने सरकार को निर्देश दिया था ....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कोई निर्देश नहीं दिया था । मैंन तो यह कहा था कि सरकार इस पर विचार करेगी । आपने सुबह भी इस विषय को उठाया था और अब फिर इसे उठा रहे है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है । श्री राज बहादुर ने आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क स्थापित किया जाएगा । क्या सरकार अल्प संख्यकों को संरक्षण नहीं देना चाहती ? आप. . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जारी रखें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। 1965 के अधिनियम का निर्सस किया जाना चाहिए । यह अधिनियम श्रमिक-वर्ग के हितों का विरोधी है । यह अध्यादेश श्रमिकों के प्रति महानुभूति के परिणामस्वरूप नहीं पेश किया गया है अपितु श्रमिक वर्ग के निरन्तर संघर्ष के कारण सरकार को इसे स्वीकार करना पड़ा है । परन्तु बोनस की दर में जो वृद्धि की गई है वह पर्याप्त नहीं है। भारतीय रुपये के मूल्य में इस दर से अधिक कमी आ गई है ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण से भी प्रकट हुआ है कि एकाधिकार गृहों की सम्पत्ति में वृद्धि हुई है जबकि करों और वेतनों में कमी हुई है । अत: सरकार की वास्तविक स्थिति यह है । 8.33 प्रतिशत बोनस अत्यंत अपर्याप्त है । सरकार एकाधिकारियों का पक्ष लेती है और मजदूरों की सहायता नहीं करती ।

कुछ व्यर्थ की बातें कही गई हैं कि परीक्षण के तौर पर वेतन कुछ कम किए जाने चाहिएं । सरकार मुद्रास्फीति का दबाव रोकने के लिए ऐसा सोच रही है। पश्चिम में प्रचलित विचारों और सिद्धांतों के अन्धानुकरण करने का यह एक अन्य उदाहरण है जो निसंदेह वास्तविक तथ्यों से सर्वथा भिन्न है। वह भी विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि भारतीय रुपये की क्रयशक्ति में बहुत कमी आ गई है । अत: एक अन्य अध्यादेश तत्काल पेश करके सरकार को बोनस की 8.33 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर इतना कर देना चाहिए जोकि श्रमिकों की आवश्यकताओं के समान हो ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस विधान में निर्धारित मुख्य सिद्धांतों का मैं विरोध करता हूं । यह न्यूनतम बोनस उन लोगों के लिए है जिनकों या तो बोनस मिलता ही नहीं या जिनका बोनस पिछले 8 वर्षों मे पिछले न्यूनतम बोनस के नीचे अर्थात् 4 प्रतिशत से कम रखा गया है । इस 8.33 प्रतिशत बोनस का लाभ केवल ऐसे श्रमिकों को है अन्य किसी को नहीं । उद्योग के संगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिकों को पहले भी 8 1/3 प्रतिशत बोनस मिल रहा है । अत: उन्हें न्यूनतम बोनस से कोई लाभ न होगा ।

एक बात प्राय: दोहराई गई है कि लाखों सरकारी कर्मचारियों को कभी भी कोई बोनस नहीं दिया गया । उन कर्मचारियों को भी यह न्यूनतम बोनस दिया जाना चाहिए । किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। विधेयक पारित होने के बावजूद भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस नहीं दिया गया है। क्या इससे कर्मचारियों में रोश अधिक नहीं बढ़ेगा हम चाहते हैं कि विधेयक सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए ।

विधेयक में यह भी उपबंध किया गया है कि कोई श्रमिक जो 8-1/3 प्रतिशत से अधिक बोनस का हकदार होगा उसे वह राशि नकद नहीं दी जाएगी बल्कि यह राशि उसके भविष्य निधि लेखे में जमा कर दी जाएगी । इसके पीछे यह उद्देश्य है कि श्रमिक वर्ग के हाथों में इतना पैसा है कि देश में मूल्यों में वृद्धि तथा मुद्रा स्फीति का यही मूल कारण है । अत: यदि हम कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा स्फीति को रोकना चाहते हैं तो हमें श्रमिकों को इतना धन नहीं

देना चाहिए । यह एक दुष्चक्रीय सिद्धांत है और यह पूर्णतः एक पूंजीवाद सिद्धांत भी है । हम इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे और श्रमिक वर्ग निरन्तर इसके लिए लड़ता रहेगा । मंत्री महोदय 8.33 प्रतिशत बोनस की बात पर जरा फिर से ध्यान दें । फार्मूले के अनुसार मज़दूरों को 8.33 प्रतिशत से अधिक मिलने वाली राशि भविष्य निधि में डाल दी जाएगी । इससे क्या लाभ होगा ? अप्रत्यक्ष रूप से सरकार मज़दूरों को इस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही है कि वे मालिकों को विवश करे कि 8.33 प्रतिशत से ऊपर मिलन वाली राशि अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप में दी जाए । इस प्रकार मज़दूर को नकद धनराशि मिल सकेगी । हमने इस दिशा में भी प्रयत्न शुरू कर दिए हैं । आशा है सरकार इस विधेयक पर पुनः विचार करेगी और कमियों को दूर करेगी ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैंने कल विस्तारपूर्वक सब स्पष्ट किया था । दुर्भाग्य-वश माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे । यदि उन्होंने मेरा दिया हुआ वक्तव्य पढ़ा होता तो उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि केन्द्रीय भारतीय मज़दूर संघ ने 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस का स्वागत किया है और यदि हां तो माननीय मंत्री की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : उनका स्वागत है । सी० आई० टी० यू० में आन्तरिक मतभेद है । अतः त्रुटियां स्वभाविक हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्री मुहम्मद इस्माइल ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा था कि हम मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वे इस बात के लिए यत्न करें कि कम से कम सरकारी कर्मचारी भी बोनस पाने के अधिकारी हो सकें और भविष्य निधि के बारे में चर्चा न उठाई जाए । श्री रानेन सेन ने आशंका व्यक्त की है. . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप मेरी बात तो सुनिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं सुनना चाहता । जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है वह कार्यवाही वृतांत में शामिल हो गया है और अब माननीय सदस्य कुछ कहेंगे तो वह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा । माननीय सदस्य मेरी अनुमति लिए बिना बोल रहे हैं ।

श्री दिनेन भट्टाचार्य *

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक

ALL INDIA SERVICES REGULATIONS (INDEMNITY) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक पर चर्चा करेंगे ।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री राम निवास मिर्धा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन बनाये गये कतिपय विनियमों को संसद के समक्ष

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।
*Not Recorded.

रखने में असफलता और उससे सम्बन्धित कुछ अन्य विषयों के बारे में संरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के विनियमन हेतु सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। तदनुसार, 1955 तथा उसके बाद भी कुछ विनियम बनाए गए हैं और उनमें संशोधन भी किए गए हैं।

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार सभी नियमों को उनके बनाए जाने के तुरंत बाद 14 दिनों के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। चूंकि उपधारा के अनुसार नियमों को संसद के समक्ष रखे जाने की व्यवस्था की गई अतः केन्द्र सरकार ने इस उपबन्ध का यह अर्थ लगाया कि विनियमों को संसद के समक्ष रखना आवश्यक नहीं है। अतः 1 जुलाई 1967 से पूर्व बनाए गए अधिकांश विनियमों और उनमें किए गए संशोधनों को संसद के समक्ष नहीं रखा गया। तत्पश्चात् उच्चतम न्यायलय द्वारा अपने एक निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियों में केन्द्रीय सरकार से कहा गया है कि जिन नियमों के अधीन विनियम बनाने की शक्तियां उसे प्राप्त हुई हैं उन्हें अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों का एक ही भाग समझा जाना चाहिए। अतः उन विनियमों को भी उसी प्रकार संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए जिस प्रकार नियमों को रखा जाता है। 1 जुलाई 1967 के बाद से बनाए गए सभी विनियम और उनमें किए गए संशोधनों में भी ऐसे ही किया जाता है।

संसद में जो विनियम पेश नहीं किए गए थे उनको मान्य ठहराये जाने के लिए राज्य सभा में अखिल भारतीय सेवा विनियम विधेयक पुनःस्थापित किया गया यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में 27 दिसम्बर 1970 को चौथी सभा के भंग होने के समय विचाराधीन था और इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 107 के अनुसार व्यपगत हो गया। अतः एक नया विधान पेश करना आवश्यक हो गया। वर्तमान विधेयक में, विनियमों को संसद के समक्ष रखने में केन्द्रीय सरकार और उसके कर्मचारियों की असफलता के संबंध में उन्हें संरक्षण प्रदान करने और ऐसे विनियमों के विधिमान्यकरण की व्यवस्था की गई है। विधेयक में, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने और अधिनियम की धारा 3 की वर्तमान उपधारा (2) के स्थान पर नई उपधारा प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था है। इस नई उपधारा में उस सूत्र को रखा गया है जिसके अनुसार संसद के सभी नियमों को सभा पटल पर रखने की व्यवस्था है।

मैं सिफारिश करता हूं कि संसद में इस पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन बनाये गये कतिपय विनियमों को संसद के समक्ष रखने में असफलता और उससे सम्बन्धित कुछ अन्य विषयों के बारे में संरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री दिनेश जोरदर (मालवा) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है। धारा (3) की उपधारा (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियम संसद के समक्ष रखे जाएंगे और इनको संशोधित परिवर्तित तथा रद्द किया जा सकेगा लेकिन सरकार ने नियम अथवा विनियम संसद में पेश नहीं किए।

श्री एफ० एच० मोहसिन : नियम संसद के समक्ष रखे गये थे। विनियम नहीं रखे गए।

श्री दिनेश जोरदर : जब से सरकार विनियमों का सहारा लेने लगी उसने नियम बनाना बन्द कर दिया है। सरकार ने पहले भी कोई विनियम संसद के समक्ष नहीं रखे। इसके लिए बहाना यह बनाया गया कि विधेयक के उपबन्धों के अधीन केवल नियम ही संसद में पेश किए जाने आवश्यक हैं न कि विनियम।

सरकार का यह तर्क अनुचित, असंगत, अवैधानिक तथा स्वार्थप्रेरित है। सरकार को मूल विधेयक के अन्तर्गत नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी। इसके बाद सरकार ने अखिल भारतीय संवर्ग अधिकारियों की भर्ती व सेवा की शर्तों से संबंधित विनियम बनाने की शक्ति भी हाथ में ले ली। यह बिल्कुल अवैधानिक है। मूल अधिनियम

बनाने वालों का ऐसा अभिप्राय: कदापि नहीं था। सरकार ने कपटपूर्ण उपाय का संभवत: इस मुख्य कारण से आश्रय लिया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अधिकारी यह नहीं चाहते थे कि उनकी सेवाओं का नियंत्रण विधेयकों द्वारा किया जाए। इस प्रकार सरकार ने संसद के अधीनस्थ विधान स्थायी समिति के नियमों तथा विनियमों पर विचार करने और उसके अवैध भाग को रोकने के विशेषाधिकार से वंचित कर दिया गया है।

अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती व सेवा की शर्तें बनाने के मामले में लोक सेवा आयोग की उपेक्षा की जा रही है और उससे परामर्श नहीं लिया जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारी नहीं चाहते कि उनकी सेवाओं पर कोई पाबंदी लगाई जाए।

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने अपने वक्तव्य में कहा कि सचिव से लेकर निम्न श्रेणी लिपिक तक की भर्ती के लिए पहले के नियम रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार के उच्चाधिकारी अन्य अधिकारियों तथा नौकरशाही को सेवा शर्तों का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह हमारी पूंजीवादी नीति और ब्रिटिश प्रशासन का अनुकरण करने का परिणाम है। यदि इन अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति दी जाती रही तो देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। इन नियमों और विनियमों को जब तक सभा पटल पर पुन: नहीं रखा जाता और हमें उन पर विचार तथा चर्चा करने, उन्हें अस्वीकृत अथवा उनका अनुमोदन करने का अवसर नहीं मिलता है, तब तक इस विधेयक को इस समय जल्दी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। हमें सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों की जांच पड़ताल करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए।

इस विधेयक द्वारा केवल घटित घटना से रक्षा करने का प्रयास किया गया है। किन्तु इस विधेयक में एक तकनीकी अनियमितता है। इस विधेयक द्वारा सरकार और उसके अधिकारियों की केवल रक्षा करने का प्रयास किया गया है जैसा कि इस विधेयक के शीर्षक में बताया गया है क्योंकि शब्द 'संशोधन' नहीं दिया गया है। किन्तु इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मूल अधिनियम की एक धारा में संशोधन करना है। यह अनियमित है और उचित रूप में नहीं है। अत: यह विधेयक अस्वीकृत किया जाना चाहिए। या तो सरकार इस विधेयक को वापिस ले अन्यथा सभा इसे अस्वीकृत करे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) **:** सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे सदन की कार्यवाही को यहां पढ़ा जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार दूसरे सदन की कार्यवाही का उद्धरण नहीं दिया जा सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं उद्धरण नहीं दे रहा। मैंने जो कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है उनको उद्धृत करना चाहता हूं यह कहा गया था कि 1969 में राज्य सभा की अधीनस्थ विधान समिति में इस विधेयक पर चर्चा की जा चुकी है और उनकी राय मांगी गई है। इस बात की पुष्टि होने पर ही मैं अपना भाषण शुरू करूंगा क्योंकि मेरे तर्क इसी बात पर आधारित है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे?

श्री एफ० एच० मोहसिन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक विवादास्पद विधेयक है। इस विधेयक के पारित होने पर दोषी व्यक्ति बच जायेंगे और सरकारी कर्मचारियों को कठिनाइयों का शिकार होना पड़ेगा। आवश्यक है कि विधेयक पर चर्चा करने से पूर्व तो सरकार की अधीनस्थ विधान समिति में भी इस पर चर्चा की जाए। मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया का मामला है। जब मंत्री महोदय को विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जा चुकी है और उन्होंने वह विधेयक सदन के विचारार्थ पेश कर दिया है तो इस अवस्था में उन्हें रोका नहीं जा सकता। यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद ही इस सभा में लाया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : समाचार पत्रों के अनुसार जब यह विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया तब कई सदस्यों ने आपत्ति की थी और संशोधन पेश किए थे जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिए गए थे।

श्री एफ० एच मोहसिन : वह पहला विधेयक था। उसे राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था और इस सभा में भेजा गया था तभी लोक सभा भंग हो गई थी और विधेयक व्यपगत हो गया था। एक नया विधेयक राज्य सभा में पेश तथा पारित किया गया था और अब उसी पर चर्चा की जानी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : लोक सभा की अधीनस्थ विधान समिति में चर्चा की जानी चाहिए उसके बाद विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम अधीनस्थ विधान समिति के कार्यों का गलत अर्थ लगा रहे हैं। जब सदन द्वारा स्वीकृत विधेयक में अधीनस्थ विधान बनाने की शक्ति दी गई है तो यह देखना समिति का कार्य है कि क्या बनाए गए अधीनस्थ विधान सदन द्वारा स्वीकृत मुख्य विधेयक के अनुरूप है अथवा नहीं।

श्री आर० वी० बड़े (खरगौन) : सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम तथा विनियम अधीनस्थ विधान समिति के सामने नहीं रखे गए जबकि इन्हें रखा जाना चाहिए था। सरकार का कहना है कि ये नियम तथा विनियम मान्य समझे जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : लगता है कि इस सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति पैदा हो गई है हम अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं न कि इस पर कि क्या ये विनियम मुख्य विधेयक के अनुरूप है अथवा नहीं। यह निर्णय करना सदन का काम है आपको विधेयक की आलोचना करने का पूरा अधिकार है।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप ठीक कह रहे हैं। यह विधेयक 1969 में पारित किया जा चुका है। यह समिति की चर्चा के लिए क्यों नहीं भेजा गया और संशोधन पेश क्यों किए गए ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : मुझे उन कारणों की जानकारी नहीं है कि क्यों ऐसा किया गया ? अब हम जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगर मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को ठीक से समझा हूं तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने यह बात कैसे स्वीकार कर ली कि यह विधेयक समिति को भेजा जाना चाहिए ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह विधेयक कभी भी समिति को नहीं भेजा गया।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं 1969 के विधेयक के बारे में कह रहा था............ (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखें। मैं मंत्री महोदय को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं स्वयं भ्रांति में पड़ गया हूं। क्योंकि कभी तो पहले वाले विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है कभी वर्तमान विधेयक के बारे में।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह विधेयक 1972 का है। इस विधेयक को कभी भी राज्य सभा अथवा लोकसभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति को नहीं सौंपा गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं 1969 के विधेयक का उल्लेख कर रहा हूं। यह वही विधेयक है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : उक्त विधेयक को तैयार करते समय राज्य सभा समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब स्थिति स्पष्ट है। यह विधेयक वर्ष 1972 का विधेयक है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह विधेयक सचिव, संयुक्त-सचिव, उप-सचिव अथवा देश के किसी सामान्य नागरिक अथवा सरकारी कर्मचारियों के कुकृत्यों और उनके द्वारा लोगों को परेशान किये जाने को वैध करार देने के लिये लाया गया है। अब यह कहा जा रहा है कि उक्तनियमों को सभा पटल पर रखा जायेगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने अस्थायी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल में भाग लिये जाने के बारे में हाल ही में निर्णय दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने उन कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया है और उन्हें उक्त अवधि का वेतन और भत्ता

देने का निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय का निर्णय बहाल रखा है। इसके बावजूद भी सरकार ने अस्थायी सेवा नियम के नियम 5 में वर्ष 1965 से संशोधन किया है। इस बारे में संसद् को अंधेरे में रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की कैसे उपेक्षा की जा सकती है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का और उसके निर्णय का अपमान किया है। अतः उक्त नियम में संशोधन कर केन्द्र सरकार के 4,000 कर्मचारियों को उनके वेतन देने से इंकार किया गया है।

कुछ अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों को भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत अनुचित रूप से गिरफ्तार कर लिया था। सर्वोच्च न्यायालय उनके द्वारा की गई गिरफ्तारियों को अवैध घोषित कर देती है तो वे अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत छोड़ दिये जायेंगे।

क्या हमने एक विशेष अधिकारी की लोक लेखा समिति के सामने गलत साक्ष्य देने के लिये भर्त्सना नहीं की थी? क्या हमने कुछ पुलिस अधिकारियों को संसद् सदस्यों से दुर्व्यहार करने के लिये रोके नहीं रखा था? इस विधेयक पर उचत रूप से चर्चा की जानी चाहिये कि किन अधिकारियों को उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए और किन परिस्थितियों में दोषी अधिकारियों को दोष मुक्त किया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक इतना अहानिकर नहीं है जितना प्रतीत होता है। मैं श्री मोहसिन से अनुरोध करूंगा कि वह सभा से उक्त विधेयक को शीघ्र पारित करने का अनुरोध न करें। कुछ अधिकारियों को जिन्होंने सरकार की नीतियों को क्रियान्वित नहीं किया है राजदूत नियुक्त किया गया है। इस विधेयक को सभा के सन्मुख नहीं लाया जाना चाहिए था।

मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि उसने उक्त विधेयक को सभा पटल पर न रख कर सर्वोच्च न्यायालय का अवमान किया है और सदन को गुमराह किया है।

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सेलम) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। उक्त नियमों और विनियमनों के अन्तर्गत तैयार किये गये अधिनियम को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए जिससे संसद् इस बात की जांच कर सके कि सरकार ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का सीमा से अधिक प्रयोग तो नहीं किया है।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बनाये गये नियम और विनियमन हजारों केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं। अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी सम्बद्ध अधिकारियों ने उन नियमों और विनियमनों को सभा पटल पर नहीं रखा है। इस विधेयक के माध्यम से उनके इस दोष को दूर किया जायेगा। सरकार ने ऐसा कर सदन् की पूर्णतया उपेक्षा की है।

इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी? यदि अन्य मामलों में भी सरकार अपने अधिकारियों के दोषों को माफ नहीं करती तो उस पर भेद भाव बरतने का आरोप लगाया जायेगा। क्या यह न्यायोचित होगा कि एक सेक्शन के अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया जाये जबकि दूसरे सेक्शन के अधिकारियों को दोष मुक्त न किया जाए।

उक्त विधेयक को प्रस्तुत करने से संसद् की पूरी उपेक्षा की गई है अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधेयक को प्रस्तुत कर एक गलती को दूर करने के लिये दूसरी गम्भीर गलती की जा रही है। सरकार सदन का अवमान कर रही है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अब अधिकारियों को इसके बाद ऐसी गलती न करने दे। मैं आशा करता हूं कि सरकार दोनों सदनों में इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियम और विनियमन सभा पटल पर रखेगी।

---

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*English translation of the Speech delivered in Tamil.

Shri M. C. Daga (Pali): The most important question is as to how many and what those regulations are which have not been laid on the Table of the House and what are the reasons for not laying them. The regulations which are sought to be regularised should be placed before us. Governments' attention has been drawn several times by the Subordinate Legislative Committee to the fact that the rules and regulations framed under a particular Act should be placed before them within the specified period for examination. But it has not been done. So far we will, therefore, like to know the list of the officers who have shown disregard to the Parliament. I want to know what action has been taken against them.

It would mean that the rights of the legislative bodies would be encroached upon by the executive agencies.

श्री आर० वी० बड़े (खारगौन) : उद्देश्य के विवरण में यह कहा गया है कि नियमों में विनियम भी शामिल हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : 1951 के अखिल भारतीय सेवा अधिनियम में केवल नियमों को सभा पटल पर रखने की व्यवस्था है, विनियमों की नहीं । इसलिए पहले जो विनियम सदन के समक्ष नहीं रखे गये हैं, उनके परिणामों से बचने के लिए वे छूट चाहते हैं ।

Shri M. C. Daga : I want to have a list of the regulations which have not been placed before this house and what action has been taken against the officers responsible for this lapse.

Shri R. V. Bade (Khargone): I rise to oppose the All India Services Regulations (Indemnity) Bill, 1972. According to section 3 (2) of the All India Services Act, 1951, all rules made under this section shall be laid on the table for not less than fourteen days before Parliament as soon as possible. They have said before the High Court that regulations are included in the rules. When objections were raised, the Minister said that it was regarding rules and not regulations. In the statement of objects and reasons, it has been said that as the regulations form an integral part of the rules; it was felt that it would be appropriate to lay the regulations before Parliament. If the regulations are not placed before the Parliament, they have got no force of law. Now it has been said that every such regulation shall for all purposes be deemed to have been duly laid before Parliament. The term "demeed to have been duly laid before Parliament" is a dangerous term. We do not know which of the regulations are pending before the court. The Government wants to give them retrospective effect. The other object is to increase the time limit from 14 days to 30 days. The Government wants to legalise the lapses of than bureaucrats. The Government should withdraw the Bill and place it before the subordinate legislation committee.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : श्री बनर्जी ने केरल के 4,000 कर्मचारियों के बारे में जो कुछ बताया है, उससे मुझे बहुत दुख हुआ है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : 28 और 29 जुलाई, 1972 को संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र में हमने इस अधिसूचना पर बहस की थी । गोपीनाथ बनाम सरकार के मुकद्दमे में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने सरकार की दलील को रद्द कर दिया है कि नोटिस की अवधि के बदले में वेतन न दिया जाए । फिर भी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी कि मांगे जाने पर ही वेतन की अदायगी की जाए । इसे उन्होंने पिछली तारीख से लागू कर दिया ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : एक ऐसे विनियम के द्वारा जो सदन के समक्ष नहीं रखा गया था, कर्मचारियों के हितों का नुकसान किया गया ।

संभव है कुछ अधिकारियों ने वास्तविक विश्वास के साथ कार्य किया हो और वे विनियमों को सदन के समक्ष रखे जाने के लिए भी जिम्मेदार न हों, उन्हें दण्डित न किया जाए । लेकिन हमें इस प्रकार का कोई खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि वास्तविक कार्य को छूट देने के कारण गलत कार्यों को भी संरक्षण मिल जाए ।

नियम और विनियम में भेद किये बिना हम उन पर सदन में विचार करते रहे हैं, लेकिन इस बारे में भूल कैसे हुई ? उन विनियमों पर बहस करने से हमें वंचित नहीं किया जाना चाहिए । मंत्री महोदय इस बारे में हमें उत्तर दें ।

Dr. Kailas (Bombay South): You have listened to the views expressed by the Members of the oppositions as well as of this side. In my view this Bill should have been referred to the select committee. You have given your ruling that objection for sending the Bill to the Subordinate legislation committee should have been raised at the introduction stage. But now we feel that the Bill should be referred to the select committee. The officers responsible for the supressing the authority of Parliament should not be excused.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजमाबाद) : माननीय मित्र श्री एस० एम० बनर्जी के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना। वह अपने भाषण के बजाय कांग्रेस के चुनाव के बारे में ज्यादा बोल रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य असंगत बातें कहने की बजाय बेहतर होगा अगर वह अपना भाषण बन्द कर दें।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं इस विधेयक का इसलिए विरोध करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से इसे यहां लाया गया है और जिस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग किया गया है, वह ठीक नहीं है।

विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में नियमों को संसद के सभापटल पर रखने की व्यवस्था थी और इसी कारण से 1 जुलाई, 1967 तक बनाये गये विनियम संसद के समक्ष नहीं रखे गये। चूंकि विनियम भी नियम में शामिल हैं, अतः अब उन्हें भी सभा पटल पर रखने का विचार है। मेरा निवेदन यह है कि इस वक्तव्य में तथ्य को छिपाया गया है। क्या किसी विनियम को किसी न्यायालय ने अवैध घोषित किया है, यदि नहीं, तो विधेयक पेश करके संसद का समय नष्ट करने की क्या आवश्यकता है? अगर अवैध घोषित किया गया है, तो इस तथ्य को संसद के समक्ष क्यों नहीं रखा गया?

इस विधेयक में यह कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत विनियम को सभा पटल पर रखने के लिए उत्तरदायी सभी अधिकारियों को एतद द्वारा उनके उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाता है। जब विनियम को सभा पटल पर रखने का दायित्व ही नहीं था, फिर उन्हें मुक्त किससे किया जा रहा है? सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे। तभी हम पिछली तारीख से विनियमित करने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं।

यह कहना भी बड़ा अजीब है कि विनियमों को संसद के समक्ष पेश किया हुआ मान लिया जाए, जबकि उन्हें वस्तुतः पेश ही नहीं किया गया। यह देश की सर्वोच्च संस्था संसद के साथ मखौल है। यह पूर्णतः गलत है।

अगर कुछ विनियमों को वैधता प्रदान की जाती है, तो उन्हें सदन के समक्ष पेश किया जाए। अन्यथा उन्हें विनियमित किया जाना असम्भव है। इस मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और अगर मन्त्री महोदय विधेयक को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसे विचारार्थ प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय के उत्तर देने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिनका उत्तर सदन को मिलना चाहिए। क्या ये विनियम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से सरकार ने यह विधेयक यहां पेश किया है? क्या कुछ अधिकारियों ने इन विनियमों के अन्तर्गत गम्भीर अनियमितता की है, जिन्हें सरकार उनके उत्तरदायित्व से मुक्त करना चाहती है? क्या यह अधिनियम, अगर पारित हो गया तो नियमों और विनियमों पर विचार करने सम्बन्धी अधिकार से संसद को वंचित नहीं कर देगी?

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): According to the present Bill, some of the regulations which were required to be placed on the table of the house, were not actually laid on the table of the house. When the Supreme Court ruled that these regulations should have been placed on the table of the house, the Government have brought forward this bill here. If the Government could have given some details about the regulations made so far, there could not have been so much controversy. Even now the house has got a chance to have a discussion on these regulations.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अगर सत्र की समाप्ति से पूर्व नियम सभा पटल पर रखे जाते हैं, तो हम प्रस्ताव पेश करके उस पर विचार कर सकते है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो विचार करने का कोई मौका नहीं है।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मेरा निवेदन यह है कि कुछ मामलों में नियम और विनियम अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र से बाहर बनाए गये हैं। यह निरंकुशता है। अगर इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना है, तो इस मामले पर प्रवर समिति विचार करे और अगले सत्र में इस पर विचार हो।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : नियम 109 के अनुसार, अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी विचाराधीन विधेयक पर बहस को स्थगित किया जा सकता है। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर बहस स्थगित कर दी जाये।"

श्री एफ० एच० मोहसिन : मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस अभिलेख का 1965 में संशोधन किया गया था, वह सभा पटल पर रखा गया था या नहीं ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : वह अखिल भारतीय सेवा अधिनियम से सम्बन्धित ही नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात नियम 5 का संशोधन किया गया अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के बारे में गम्भीर शंकायें व्यक्त की गई हैं। मैंने भी कुछ प्रश्न रखे थे, आप पहले उन प्रश्नों का उत्तर दें। क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि विधेयक पर बहस स्थगित की जाए ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं इसे आवश्यक नहीं समझता। पहले मैं उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दे दूं और फिर भी अगर सदन यह निर्णय करता है कि बहस स्थगित की जाए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। मेरे पास यह जानकारी है कि लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपनी छठी रिपोर्ट में पुराने बिल पर विचार किया था। मन्त्री महोदय कहते हैं—नहीं। मैं चाहता हूं कि जब तक मन्त्री महोदय को पूरी जानकारी नहीं दे दी जाती, इस विधेयक पर बहस स्थगित कर दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट मेरे सामने है और इसके अनुसार अखिल भारतीय सेवा विधेयक, 1969 पर अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने विचार किया था।

श्री एफ०एच० मोहसिन : मुझे खेद है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी।

वर्तमान विधेयक के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी है। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले विधेयक पर राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने विचार किया था और उसकी सिफारिशें मेरे पास हैं।

सम्भवतः अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने इस पर विचार नहीं किया है अन्यथा मुझे इसकी जानकारी भी मिल जाती। यदि वास्तविकता कुछ और है तो मुझे खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास वह प्रतिवेदन है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : भरती विनियम तथा सेवा की शर्तें सम्बन्धी अधिनियम की धारा 3 के उपखण्ड (2) के अनुसार नियमों को संसद के सम्मुख रखा जाये। पर उसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि विनियमों को संसद के सम्मुख रखा जाये। विधि मंत्रालय ने इसकी जांच की थी। लोकसभा सचिवालय ने भी यही सलाह दी और विनियम पहली जुलाई, 1967 से पहले संसद के सम्मुख नहीं रखे गये। परन्तु उसके बाद उन्हें भी रख दिया गया। विशेषज्ञों की रायों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों के अनुसार विनियम संसद के सम्मुख न रखे जाने पर भी विधि-संगत है। ऐसे 118 विनियम, जो पहले संसद के सम्मख नहीं रखे गये हैं, अब यदि संसद चाहे तो रखे जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ज्यों ही ये विनियम संसद के सम्मुख रखे गये, संसद इन पर विचार कर सकेगी और यदि वह चाहे तो इनमें परिवर्तन कर सकेगी ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यहां हमारा मतलब केवल पहली जुलाई, 1967 से पहले लागू किए गये विनियमों से है । इतने लम्बे समय के बाद उन्हें संसद के विचारार्थ रखा जाना उचित नहीं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) **:** परन्तु विधेयक को पास करने से पहले कम से कम हम उन्हें देख तो लें ।

श्री सी० एम० स्टीफेन (मुवत्तुपुजा) **:** मेरा प्रश्न यह था कि क्या ये विनियम अवैधानिक है अथवा वैधानिक । यदि वे वैधानिक हैं तो फिर मंत्री महोदय किस बात पर जोर डाल रहे हैं और इस विधेयक की भी क्या आवश्यकता है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह विधेयक उनके वैधानिक होने से सम्बन्धित किसी भी संदेह को दूर करने के लिए लाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं असमंजस में पड़ गया हूं । पहली बात तो यह कि किन्हीं कार्यों के लिए क्षति पूरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि ये विनियम इतने साफ हैं ।

दूसरे यह कि एक बिल क्षति पूर्ति से सम्बन्धित है तथा साथ ही वह पहले अधिनियम का संशोधन करता है । यह दोनों बातें एक विधेयक के द्वारा कैसे की जा सकती हैं । मैं समझता हूं कि संशोधनों के लिए एक अलग विधेयक होना चाहिए इस सम्बन्ध में मैं सभा का पथप्रदर्शन चाहता हूं ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : क्षतिपूर्ति भी इसके ही सम्बन्ध में है । मैं केवल उस समय के सम्बन्ध में विधेयक में संशोधन करना चाहता हूं जब विनियमों को सभा पटल पर नहीं रखा गया था । पहले यह समय 14 दिन था अब इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है । दूसरा संशोधन यह है कि पहले निर्णय ही सभा पटल पर रखे जाते थे अब विनियम भी रखे जायेंगे । इसमें किसी प्रकार के असमंजस की गुंजाइश नहीं है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : हमें इन विनियमों को बीती हुई तारीख से पास करने का पूरा अधिकार है । अतः हमें उनकी जांच करने और उन्हें समझने का पूरा समय दिया जाये ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : इससे बहुत झंझटें पैदा होने की सम्भावनाएं हैं क्योंकि ये विनियम........

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि यह बिल आज पास नहीं होता तो क्या इससे एक दो अधिकारी फांसी पर चढ़ जायेंगे ? मंत्री महोदय प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का यह कहना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभा को विनियमों पर चर्चा करने का अधिकार देने से भ्रम पैदा हो जायेगा । ....

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं सभा में हो रही चर्चा को बड़े गौर से सुन रहा हूं और बात समझ में आती है । सभा का वैधानिक बनाए जाने वाले विनियमों को देखने के लिए आतुर होना स्वाभाविक है । पर उनका, संशोधन करने पर पैदा होने वाली कठिनाइयों का अभी से अनुमान लगाना समय से पूर्व की बात होगी । उनकी जांच किए जाने के बाद यदि कोई कार्रवाई करने की बात होगी तो उस समय हम विचार कर सकते हैं । दूसरे सभा विनियमों को देखना चहती है । आपने यह कहा है कि उन्हें सभा-पटल पर रखा हुआ माना गया है । इस स्थिति में उन्हें फिर सभा पटल पर कैसे रखा जा सकता है । हम अपनी ओर से कुछ छिपाना नहीं चाहते । पर यदि कोई तकनीकी कठिनाई है तो हम क्या कर सकते हैं । अतः हम इस समय विधेयक को पास कर दें और जब उन पर विचार करेंगे तब इस बारे में सोचेंगे ।

श्री सी० एम० स्टीफेन : विधेयक के सम्बन्ध में पहली आपत्ति यह है कि इसके अनुसार विनियमों को संसद के सम्मुख रखा हुआ माना गया है । उन्हें संसद के सम्मुख रखा किस प्रकार माना जा सकता है जबकि वे कभी रखे नहीं गये । इन्हें विधि सम्मत किया जा सकता है पर जो बात हुई नहीं वह नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त हमारे सम्मुख

पूरी जानकारी नहीं रखी गई और न ही हमें सब वास्तविकताओं से अवगत कराया गया है । अतः मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस पर दोबारा विचार करे ।

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : इस चर्चा से चार बातें उठती हैं । सभी सदस्य अधिकारियों की कार्रवाई के लिए उनकी क्षतिपूर्ति करने को सहमत है । अतः उन विनियमों को वैधानिक करार देने में कोई रुकावट नहीं है । दूसरे एक बार जिन नियमों और विनियमों के अन्तर्गत किए गए कार्यों की एक बार क्षतिपूर्ति कर दिया गया तो उन्हें संसद द्वारा पास हुआ और संसद में रखा हुआ माना जायेगा । अन्यथा हम किसी कार्य की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते ।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री इस बात पर राजी हो गये हैं कि इन विनियमों को सभा पटल पर रखा जा सकता है । यदि उन्हें रखा हुआ नहीं माना जायेगा तो भ्रम पैदा हो सकता है । अतः क्या हम एक-दो दिन और नहीं ठहर सकते और क्या सरकार हमें उन्हें देखने का अवसर नहीं दे सकती ? ऐसी ही स्थिति में यदि हाउस आफ कामन्स चार-पांच दिन अथवा एक सप्ताह तक प्रतीक्षा कर सकता है तब हम क्यों नहीं कर सकते । यह इच्छा केवल विरोधी दल की ही प्रत्युत पूरी सभा की है ।

अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चर्चा को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया जाये ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मैं श्री एस० एम० बनर्जी के कथन से सहमत नहीं हूं । यदि ये नियम और विनियम विधेयक के पास होने के याद भी सभा पटल पर रखे जाते हैं तो भी उनके जांच करने से संसद को कौन रोक सकता है ।

Shri R.V. Bade (Khargone) : Those 118 Regulations must be placed before the house. It is factually wrong to consider them deemed to have been laid. Only when they are put before the house, we will pass the bill.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मेरे वरिष्ठ साथी श्री पन्त कह चुके हैं कि हमें विधेयक पास कर देना चाहिए. . .

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : बिना विनियमों को सदस्यों को दिखाये बिल को पास कराना मंत्री महोदय के लिए बड़े ही शर्म की बात होगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें सन्देह है कि इस प्रकार कुछ अधिकारियों की गम्भीर अनियमितताओं को छिपाया जा रहा है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : हमारी संसद को नजर अन्दाज करने की इच्छा कतई नहीं है । किसी अधिकारी के कार्यों को छिपाने की इच्छा इसमें नहीं है । ये केवल उस समय अधिनियम की की गई व्यख्या के अनुसार हुआ और बिनियमों को संसद के पटलों पर नहीं रखा गया । इस सम्बन्ध में हमने विधि मंत्रालय से दिशा निर्देशन लिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गए गंभीर संदेह को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि विधेयक पर वाद-विवाद को स्थगित करने के अनुरोध में कुछ बल है परन्तु मुझे इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखना पड़ेगा ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यदि माननीय सदस्यों की यही इच्छा है तो हम विधेयक पर वाद विवाद एक सप्ताह के लिए स्थगित कर देंगे और इस बीच वे विनियम पढ़ लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसे औपचारिक रूप से रखना होगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : बिना किसी प्रस्ताव के ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव होना चाहिये । नियमों के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाना है. . . .

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यदि वह इसे वापस लेने की अनुमति न लें. . . . . **(व्यवधान)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे प्रस्तुत करते हैं तो मैं स्वीकार कर लूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं इसे वापस लेता हूं ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर वाद-विवाद एक सप्ताह के लिये स्थगित किया जाये ।"

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर वाद-विवाद एक सप्ताह के लिये स्थगित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक
COAL MINES LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : श्री खाडिलकर की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक में कोयला खानों में नियुक्त व्यक्तियों के कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ाने तथा उन पर होने वाला व्यय पूरा करने के लिए सभी भेजे जाने वाले कोयले तथा कोक पर कर और उपकर की दर बढ़ाने और इससे होने वाली आय का सामान्य कल्याण लेखा तथा आवास लेखा के बीच विभाजन में परिवर्तन करने का उपबन्ध किया गया है ।

इस समय कोयला खान श्रम कल्याण निधि का व्यय भेजे जाने वाले समस्त कोयले तथा कोक पर 50 पैस प्रति टन उपकर लगाकर जो आय होती है उससे पूरा किया जाता है । 1 जनवरी, 1961 से यह दर चली आ रही है । इससे होने वाली कुल आय को 5 : 7 के अनुपात में आवास लेखा तथा सामान्य कल्याण लेखा के बीच विभाजित कर दिया जाता है । इस समय आवास लेखा की वार्षिक आय लगभग 1.10 करोड़ रुपये है परन्तु कोयला खान श्रमिकों को बढ़ती हुई आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए यह राशि कम पड़ रही है ।

इस निधि के लिए गठित त्रिपक्षीय सलाहकार समिति ने एकमत होकर यह सिफारिश की है कि उपकर में वृद्धि की जाये । इस प्रकार की वृद्धि का कोयले के मल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हमने इसे 25 पैसे प्रति टन कर दिया है ।

[**श्री नरेन्द्र कुमार साल्व पीठासीन हुए**
SHIR N. K. P. SALVE *in the Chair*]

550 रुपये प्रति माह पाने वाले कोयला खान श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के लाभ के लिये इस निधि द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं । इस निधि से इस समय 3 केन्द्रीय अस्पताल 12 क्षेत्रीय अस्पताल तथा कुछ औषधालय चलाये जा रहे हैं परन्तु निधि के प्रयासों को बढ़ाने के लिए कोयला खान मालिकों तथा राज्य सरकारों को इसकी वित्तीय सहायता करनी चाहिए । अतः मैं आशा करता हूं कि भविष्य में राज्य सरकार निधि को उन व्यक्तियों के इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति करेंगी जिनकी सामान्यतया राज्यों के अस्पतालों में चिकित्सा की जाती है ।

हमारे 75 प्रतिशत क निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1.40 लाख मकान और बनवाने पड़ेंगे । 1.1 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण के लिए निधि से लगभग 44 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ने का अनुमान है । अधिनियम

को संशोधित कर लेने के बाद मकानों के निर्माण के लिए आवास लेखा में कुल (नैट) वार्षिक आय लगभग 2 करोड़ रुपये होगी और वर्तमान मूल्य स्तर पर 75 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में 22 वर्ष लगेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाये ।"

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कोयला खान क्षेत्रों में कानून की व्यवस्था नाम मात्र को भी नहीं है। अंग्रेजों के समय में भी वहां कानून की व्यवस्था नहीं थी। कोयलाखान मालिक और उनके एजेन्टों के पास उनके द्वारा बनाये गए कानून को लागू करने का लाइसेंस होता था। वे अपनी मनमानी करने में पूर्णरूपेण स्वतन्त्र थे। उन क्षेत्रों में आज भी वही स्थिति है। श्रमिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। उन्हें आवास सम्बन्धी न्यूनतम सुविधायें भी नहीं दी गई हैं यद्यपि कोयला खान श्रम कल्याण संगठन बना हुआ है तथापि यह पूर्ण रूप से निष्क्रिय है। इस संगठन को सक्रिय बनाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिएं। इससे पहले कि हम कोयला खान श्रमिकों के लिये कल्याणकारी कार्य करें, हमें 1966 से कोयला खान श्रमिकों की संख्या में तेजी से हो रही कमी की ओर ध्यान देना चाहिए। कोयला खान मालिकों द्वारा छंटनी, खानों को बंद कर देने तथा तालाबंदी नीति अपनाने के फलस्वरूप कोयला खान श्रमिकों की संख्या में निरन्तर कमी होती जा रही है। इन श्रमिकों को बेरोजगारी और भुखमरी से बचाने के लिए मंत्रालय को तत्काल ध्यान देना चाहिए। इस विधेयक में श्रमिकों के कल्याण के लिये उपकर की दर को 75 पैसे प्रति टन करने का उद्देश्य रखा गया है। इसका हम स्वागत करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लाखों लोगों द्वारा प्रतिदिन काम में लाये जाने वाले कोयले की कीमत में वह इसके फलस्वरूप वृद्धि न होने दें। मंत्री महोदय ने बताया है कि श्रमिकों को शिक्षा तथा आवास की सुविधायें देने के लिए 44 करोड़ रुपये की कमी है। मैं महसूस करता हूं कि जो राशि उपकर के रूप में वसूल की जा रही है उसे श्रमिकों के कल्याण के लिए ठीक ढंग से व्यय नहीं किया जा रहा है। अतः मैं मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में उचित क्रियान्वयन के लिए सरकार की कोई नीति होनी चाहिए। कोयला खान श्रमिकों की दशा अन्य संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तुलना में कहीं अधिक खराब है। उन्हें चिकित्सा, मकान और शिक्षा सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं है। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपकर की बढ़ाई गई दर से जो धन एकत्रित किया जाए उसे समुचित और पर्याप्त रूप से कोयला खान श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों पर व्यय किया जाये। यदि उपकर से एकत्र की गई राशि कम पड़े तो केन्द्रीय सरकार को राशि मंजूर करनी चाहिए।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh): Although the present Bill is perfunctory, I welcome *it*.

The Advisory Committee for the Coal Mines Labour Welfare Fund has always pleaded for increasing cess on all despatches of coal and coke from fifty paise to rupee one per ton. Now there is proposal in the present measure to increase the rate of cess to 75 paise per ton only. There is great responsibility on the Coal Mines Welfare Organisation but the picture presented by the hon. Minister is incomplete. A medical survey was conducted recently which revealed that 10 per cent of the coal workers suffered from T.B. There are no proper facilities to give relief to the workers suffering from T.B. Apart from that the proposals to provide hospitals at a number of places have been shelved. Therefore this measure is perfunctory and the rate of cess should be increased from 75 paise per ton to rupee one per ton. It is said by an hon. Member that the increase in cess will increase the price of coal. That is not correct. There is already a wide gap between the cost of production and the price of which coal is sold in various places.

The hon. Minister has stated that the housing target of 75 per cent will be achieved in 22 years with the receipt of amount of the order of Rs. 2 crores. In this context I would like to say that the mines are not in big cities. They are in forests and the workers have to go there. They need housing accommodation there. The Government should draw up a plan to provide houses at least to 75 per cent of the workers in the next five years.

---

*बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translated of the speech delivered in Bengali.

The hon. Minister has stated in financial statement that the existing balance of Rs. 50 lakhs will go in loss. How will he be able to do welfare with an amount of Rs. 70 lakhs.

The foundation stones for a 100 beded hospital at Dhanbad and extension of 50 beded hospital at Asansol have been laid but these hospitals are not coming up.

Therefore, I request you to increase this cess to Re. 1 per ton and the cess proceeds should be apportioned equally between the Housing Account and General Welfare Account.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I agree with Shri Pandey who has rightly said that the cess of 75 paise should be increased to rupee one. It should be remembered that the present rate was fixed in 1961. Since then the cost of everything has increased manifold.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

The increase in the cess should have some relation with the increased costs.

There should not be a long term plan of 25 years for housing of workers. Instead there should be a short term plan of four or five years. The workers have been living in miserable conditions. Therefore, more money should be spent for housing purposes. I would like to suggest that half of the total amount recovered as cess should be spent for housing.

The Government propose to give this amount to the mine-owners but the amount recovered as cess will be devoured by them. The Government should see that this amount is properly spent.

40,000 workers in coal mines suffer from T.B. The Government should make necessary provision for their treatment and they should also be provided with nourishment etc.

There is great discontentment over the problem of potable water but the mine owners do not pay attention to that. The Government should give attention.

There are no adequate arrangements for imparting education to the children of coal-mine workers nor for providing recreation to them.

How take the example of N.C.D.C. —it is a Government undertaking. But it has done very little in this regard. The Government should act like an ideal employer. Then only the work will be done.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह): आवास के मामले में अधिक से अधिक व्यक्तियों को मकान दिये जाने चाहिएं और इस पर व्यय भी कोयला क्षेत्र से होने वाली आमदनी के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक कोयला क्षेत्र को कोयला भेजने से कुछ आय होती है अतः उस कोयला क्षेत्र में उसी अनुपात में व्यय किया जाना चाहिए।

अपना घर बनाओ योजना को लागू किया जाना चाहिए तथा इस योजना में संशोधन किया जाना चाहिए और कम से कम सहायता देने के मामले में कोयला-खान मालिकों और खान में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए।

झरिया कोयला क्षेत्रों के कल्याण कारी संगठनों को अपनी बस सेवा चालू करनी चाहिए।

कोयला खानों में काम करने वाले व्यक्तियों के पुत्रों को अधिक संख्या में छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिएं।

शुद्ध पेय जल की सप्लाई नितांत आवश्यक है। झरिया की खानों में काम करने वाले व्यक्तियों में से 80 प्रतिशत लोग शुद्ध पेय जल के अभाव के कारण कई प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं अतः कोयला खानों के कल्याणकारी संगठनों को अपने भारी संसाधनों की सहायता से इस कमी को दूर करना चाहिए।

वातावरण के दूषित होने की समस्या को ध्यान में रखते हुए खानों के ढांचे में परिवर्तन करने के लिये मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए जिसमें आवास तथा कल्याण सम्बन्धी व्यापक योजना सम्मिलित हो।

चिकित्सा सहायता की पात्रता 500 रुपये मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों तक सीमित है । मुद्रा-स्फीति को देखते हुए इसमें पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है ।

अपात्र व्यक्तियों को कोयला क्षेत्र में चिकित्सा सेवायें उनके द्वारा इस समय अदा की जा रही दरों से काफी कम दरों पर उपलब्ध की जानी चाहियें । उपकर की दर बढ़ाकर एक रुपया कर देनी चाहिए तथा एक द्रुत कार्यक्रम चालू किया जाना चाहिए ताकि ये मकान तुरन्त बन जायें तथा इन कोयला क्षेत्रों में वर्ष-प्रति-वर्ष प्रगति हो ।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : अपने दल द्रविड़मुनेत्र कड़गम की ओर से कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1972 के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

उक्त 50 पैसे प्रति टन का उपकर कोयला खानों में नियुक्त श्रमिकों की जीवन-दशा को सुधारने हेतु विभिन्न कल्याणकारी उपायों के लिये लगाया गया था । अब क्योंकि यह उपकर-निधि उक्त कार्यों के लिए कम है इसलिये इस उपकर को बढ़ाकर 75 पैसे करने का प्रस्ताव है । मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं ।

आवास लेखे में वार्षिक आय लगभग 1.10 करोड़ रुपये है और क्योंकि यह राशि कोयला श्रमिकों की आवास आवश्यकताओं के लिये कम पड़ती है इसलिये उपकर में 25 पैसे की वृद्धि से यह 172.50 लाख रुपये तक पहुंचेगी. सामान्य कल्याण तथा आवास कार्यों पर व्यय का अनुपात क्रमशः 7 : 5 है अतः हम अतिरिक्त राजस्व में से इस विधेयक में प्रस्तावित 50 लाख की बजाय कम से कम 72 लाख रुपया आवास कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए । कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन में आवास लेखे में 181.79 लाख रु० की राजस्व राशि थी परन्तु उसमें से भी केवल 154.72 लाख रुपया ही खर्च किया गया जिसका अर्थ है कि कुछ आवास परियोजनाओं का त्याग दिया गया होगा । देश में समाजवादी समाज की स्थापना की इच्छुक हमारी सरकार आबंटित राशि को भी श्रमिकों के आवास के लिए खर्च नहीं कर सकी जबकि वस्तुतः तो उक्त आबंटित राशि भी श्रमिक की आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम थी । श्रमिकों के प्रति क्या सरकार का यही प्रेम है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार अपने कार्यक्रमों को पूरी तरह लागू करेगी; तथा उक्त आबंटित राशि में से भी रुपया बचा लेने के क्या कारण थे जबकि श्रमिकों को आवास की अत्याधिक आवश्यकता है ? मेरा यह प्रश्न इसलिय भी उठा है क्योंकि सरकार इस उपकर में वृद्धि कोयला-मज़दूरों को और अधिक सुविधायें तथा आराम देना चाहती है ।

सरकार ने कोयला खानों के श्रमिकों के लिये बड़े नगर क्या छोटे नगर बसाने की योजनायें त्याग दीं तथा उनके स्थान पर एक नई आवास योजना आरंभ की । साथ ही एक कम लागत की आवास योजना भी आरंभ की । परन्तु कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि उक्त योजनाओं की क्रियान्विति सन्तोष-प्रद नहीं है । यही हाल "अपना निजी मकान बनाइये" योजना का भी हुआ है । कच्चे तथा लकड़ी के मकान बनाने की योजना भी संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित नहीं की गई । आज भी कोयला खान मज़दूर गन्दे पर्यावरण में रह रहे है तथा तपेदिक आदि जसे भीषण रोगों के शिकार हो सकते हैं सरकार का कहना है कि उनके लिये चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना यद्यपि बहुत जरूरी है परन्तु उसके लिये पर्याप्त निधि नहीं है । स्पष्ट है कि समुचित आवास व्यवस्था न होने से चिकित्सा सुविधाओं की तो आवश्यकता बढ़ेगी ही और उसे पूरा करने में सरकार को निरन्तर कठिनाई होती रहेगी ।

आवास कोयला खान श्रमिकों की मूल आवश्यकता है और इसके लिए आवास लेखे के लिये और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए तथा इसे पूरी तरह खर्च भी किया जाये, बचाया न जाये । यदि सरकार धन में वित्तीय कठिनाई अनुभव करे तो भी सामान्य कल्याण निधि तथा आवास लेखे के बीच वर्तमान 7 : 5 के अनुपात को कम नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा यह घोर अन्याय की बात होगी ।

श्री सी० एम० स्टीफेन (मुवत्तुपुजा) : इस विधेयक में जो कुछ भी व्यवस्था की गई है उस का तो स्वागत है परन्तु वस्तुतः इसमें पूरी व्यवस्था नहीं की गई है ।

---

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised Hindi version of English Translation of the speech delivered in Tamil.

उपकर में 25 पैसे की वृद्धि से स्वीकृत योजनाओं की वित्तीय आवश्यकताएं तो पूरी होंगी परन्तु उनकी पूर्ण रूपेण पूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः यह भी कहा गया है कि उपकर को बढ़ाकर 75 पैसे की बजाय एक रुपया कर दिया जाये। सरकार को यह सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि खदानों में कोयले का मूल्य 35 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया परन्तु वस्तुतः खुले बाजार में यह अत्यन्त ऊंचे मूल्यों पर बेचा जाता है। अतः कोयले के मूल्य पर उपकर में वृद्धि कर दी जानी चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उन श्रमिकों के लिए उक्त उपाय करने की सोच रहे हैं जोकि अत्यन्तद यनीय दिशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं; जो कि सभ्य जीवन से परे बड़ी ही खतरनाक परिस्थितियों में रह रहे हैं। इसलिये उनके आवास की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इतनी भारी संख्या में मजदूरों के लिए अब तक केवल 58,000 मकान ही निर्मित किये गए हैं। आवास की समस्या सारे देश में व्याप्त है और इसे एक दिन में हल भी नहीं किया जा सकता परन्तु जो श्रमिक देश की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं उनकी ओर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके लिए आवास-निर्माण की गति को बहुत तेज करना है परन्तु यह सब केवल सरकार की योजनाओं, संयुक्त आवास योजनाओं तथा सहकारी आवास योजनाओं द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिये अतिरिक्त निधि इस प्रकार एकत्रित करनी ही होगी।

आवास संबंधी निधि को सामान्य कल्याण आदि अन्य कार्यों में इस्तेमाल करना गलत है। यदि 7 करोड़ टन कोयले से 7 करोड़ रुपया प्राप्त होता है वह सारा का सारा इस कार्य में खर्च किया जाना चाहिए।

इस प्रकार की निधि श्रमिक प्रधान अन्य उद्योगों में भी एकत्रित की जा सकती है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस संबंध में कतिपय उद्योगों का उल्लेख किया है जैसे काज् उद्योग में $1\frac{1}{2}$ लाख श्रमिक कार्य करते है और वहां मूल्यों में निरन्तर उतार-चढ़ाव आते है। वहां एक रुपया उपकर लगाना बड़ी बात नहीं होगी जबकि कम से कम 50 लाख रुपया एकत्रित हो जाएगा जिसको कि वहां के मजदूरों की आवास समस्या को हल करने तथा अन्य सुविधायें देने में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें ऐसे संसाधनों का लाभ उठाना चाहिए। यदि उपकर में वृद्धि करना इस समय संभव न हो तो बाद में कीजिए और इससे प्राप्त राशि को केवल आवास कार्य में खर्च कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain): Although I commend the spirit of this Bill. Yet I would point out that it has been brought late by at least 11 years, and still it is not complete or comprehensive.

Then raising the cess upto 75 paise is also too less. I hope you would raise it and accept the amendment in this behalf.

It is rightly feared that the prices of coal would go up in case the cess is enhanced. But the Government should put a full control on them otherwise directly or indirectly it would affect the common man.

It has been seen that the laws concerning mine labour are not implemented and the poor workers do not get their due. They work in very very dangerous conditions to accelerate the peace of the nation. Even after 25 years of our independence, there has been no improvement in the miserable condition of the poor mines-labour. They live in dirty slums and have no medical facilities. Although the Hon. Minister has assured of opening certain hospitals. Yet I doubt whether those assurances would be given practical shape. I propose that the representatives of the labour should also be given participation in various committees so that they too become aware as to what has been provided for them and what actually do they get.

Also the Government should ensure that the employers of the mines labour pay their share in Provident Fund etc. regularly.

In case the assurance given in the Financial Memorandum of the bill would, bring some relief to the labour provided that those are implemented in time spirit.

Finally I would point out that the Bill is incomplete and needs reconsideration and also that you should accept the amendments that might come thereon.

Shri Shri Kishan Modi (Sikar): It is being stressed that the cess should be raised to Re 1 instead of 75 paise. Whereas the present cess is 50 paise which clearly shows that it was fixed without considering any basis or justification or particulars details as to what would have been needed and for what.

The Govt. should have well known it that they would be needing enough money for providing necessary housing and other facilities for 4 lakh labourers and that so much amount would be needed on the same. And then they could very well calculate the amount necessary to be raised for these facilities. This all could have resulted in appropriate amount of cess per ton may it be Re. 1 or Rs. 2 or so on and so forth. But the Government had no appropriate planning in this behalf.

So there should have been a proper plan or scheme for doing the needful in the prescribed period. There was no difficulty in fixing the rate of cess at any level.

Then, I would suggest that besides having separate Bills for separate mines, the Government should bring a comprehensive Bill for all the mines in the country so as to fix the equal rate of cess everywhere. Also let them make out a comprehensive plan for ten years within which they should decide as to what and how much will they do for the welfare of the labour in the mines.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol): I have had a close study of the coal mines and I consider myself one of the coal mines workers. Our constitution is the symbol of pride and honour for the labour class, since the rich, the poor or the labour all are treated at par.

The funds for various welfare work for the coal mines workers are got from levy and house building and medical facilities are the principal provisions made for the labour. But at present the housing condition for these labour is certainly very miserable besides the facilities for medical treatment, education, drinking water and entertainment being quite in adequate. Thus it appears as if the coal mines labour is very much neglected a class in our country. These labourers suffer from many diseases and there is an immediate need of opening new hospitals and also expanding the present ones, particularly at Rani Ganj, Parasia, Shahdol and regional hospitals. The number of Family Planning centres as well as Maternity Centres should also be increased, besides making adequate arrangements for the treatment of T.B., Cancer, leprosy and other mental diseases.

The housing problem of the coal mine labour should be dealt with at war-level and adequate provisions should be made to provide housing loans etc., separate provision should be made in the 5th Plan for the housing for these labourers.

Although the Central Labour Education Board is running these centres but the mines-owners do not permit their workers to get education there. I propose that there should be Labour Education Boards run jointly by the Labour Organisations, mine-owners and the Government. Thus the labourers would get educated about their rights and duties and also as to what right course of action should they take to get their demands acceded to.

Clear drinking water should be made available, besides making proper arrangements for lavatories, exit of poluted air, and insecticides for killing mosquitoes bed-bugs etc.

With these words I support the Bill.

Shri Mool Chand Daga (Pali) : The Planning Commission's main object was to reach upto the poorest man of the country and provide him all basic amenities. But there is a wide gap between the earning of a coal mine worker and a common man elsewhere in the country. Although an artificial link is fixed when some worker loses his limb in certain accident but no replacement is made. I also want to know as to how long does it take to pay the compensation to the injured. I have seen the miserable and wretched condition of the coal mine workers. It would therefore be a noble gesture if we invest some money for their welfare.

श्री बाल गोविन्द वर्मा : यह विधेयक सर्वथा निर्विवाद है। तथा इसका एक मात्र उद्देश्य उपकर को 50 पैसे से बढ़ाकर 75 पैसे करना है-(व्यवधान) । यहां अनेक सदस्यों ने मांग की है कि उपकर को बढ़ाकर 75 पैसे नहीं प्रत्युत 1 रुपया कर दिया जाये। परन्तु सरकार ने इस मांग के सभी पहलुओं पर विचार करके यही निर्णय किया है कि इस समय तो यह वृद्धि केवल 75 पैसे तक ही की जाये........ (**व्यवधान**) । सरकार को जनता के हितों को भी देखना है और यह भी विचार रखना है कि कोयले के मूल्यों में वृद्धि न होने पाये। उसके अतिरिक्त कोयले की बड़ी मात्रा में खरीद करने वाले रेलवे तथा सिंचाई और विद्युत मंत्रालयों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा फिर रेलवे के किराये में तथा बिजली की दरों में वृद्धि होगी। सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती। उसे जनता तथा श्रमिक दोनों के ही हितों की रक्षा करनी है। अतः सरकार यह अनुचित नहीं समझती कि उपकर को बढ़ाकर एक रुपया किया जाये।

कहा गया है कि आवास के लिए अधिक राशि नियत की जाए। अब यह निश्चय किया गया है कि पहले 5:7 के अनुपात के स्थान पर अब 2:3 का अनुपात रखा जाये। इसलिये अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए।

हम यह स्वीकार करते हैं कि इस निधि के कोयला खानकों के लिए आवास उपलब्ध कराये जाने चाहियें। परन्तु यह भी देखिये कि आवासों का निर्माण उपकर की वसूली पर निर्भर करता है। यह कोयला खानों के मालिकों तथा साथ ही राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे अपने श्रमिकों के कल्याण के लिये कुछ धन खर्च करें। कोयला खानों के मालिक भारी लाभ कमा रहे हैं। अतः उन्हें अपने श्रमिकों को पर्याप्त सुविधायें प्रदान करनी चाहियें। दूसरी ओर केन्द्र सरकार ने भी कुछ योजनायें बनाई हैं और निश्चय ही अपना योगदान देंगे। परन्तु श्रमिक संघों को भी कोयला खान मालिकों पर इसके लिए उचित दबाव डालना चाहिए कि वे अपने लाभ का कुछ भाग श्रमिकों की सुविधाओं के लिये खर्च करें।

सरकार राष्ट्रीयकृत तथा गैर सरकारी कोयला खानों में कोई भेदभाव नहीं बरतती है। फिर भी यदि धनराशि उपलब्ध हो तो प्राथमिकता राष्ट्रीयकृत खानों के श्रमिकों के लिये मकान बनाने को दी जायेगी।

चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में मैं कहूंगा कि धनबाद स्थित अस्पताल उस क्षेत्र में बने सभी अस्पतालों से अच्छा है। वहां सबसे उत्तम चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं। हां वहां भीड़ बहुत है और उसका कारण यह है कि हम अपात्र लोगों को भी चिकित्सा सुविधायें देते हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकार इसके लिये इस निधि में अपना योगदान देगी। अस्पतालों का विस्तार हम धन की कमी के कारण नहीं कर सके हैं और इस वृद्धि से प्राप्त धन से भी हम नहीं कर पायेंगे।

खान-मालिकों की ओर कोई धनराशि बकाया नहीं है। वर्ष 1970-71 में 415.07 लाख रुपये की आय हुई थी जबकि खर्च 462.57 लाख रुपये का रहा। सामान्य कल्याण निधि में कोई राशि शेष नहीं बची है बल्कि उस पर कुछ ऋण है। लगभग 2.93 करोड़ रुपया देना है। संभव है आवास लेखे में कुछ बचत रही हो। हमने कुछ वायदे कर रखे हैं परन्तु उक्त शेष राशि से हम उन वायदों को पूरा नहीं कर सकते।

अब मेरा निवेदन है कि विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2

सभापति महोदय : इस खण्ड पर श्री दामोदर पाण्डे का एक तथा श्री रामावतार शास्त्री के दो संशोधन हैं परन्तु उन्होंने उन पर अपेक्षित राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त नहीं की है अतः उन्हें यहां पेश नहीं किया जा सका । अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

सभापति महोदय : श्री दामोदर पाण्डे तथा श्री रामावतार शास्त्री के संशोधनों को यहां पेश करने की मैं विशेष अनुमति दे रहा हूं परन्तु इसे परम्परा नहीं मान लिया जाना चाहिए ।

श्री दामोदर पाण्डे : मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 6 तथा 7 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 तथा 7 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendments Nos. 6 and 7 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 3 was added to the Bill.

खंड 4

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 8 पेश करता हूं :

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 8 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 5, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री बालगोविन्द वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति
Business Advisory Committee

20वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उसके पश्चात लोक सभा बुधवार 6 दिसम्बर, 1972/15 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए विसर्जित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 6, 1972/Agrahayana 15, 1894 (Saka)

MGIPNLK—2/Lok Sabha/73—2-3-73 —490 copies.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

53 LSS/72—1